

नये युग की नारी

लेखक
मोहनसिंह सेंगर

प्रकाशक
किताब महल • इलाहाबाद

प्रथम संस्करण • १९४७

तोखक द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित

मूद्रक—जे० के० शर्मा, इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस, इलाहाबाद
प्रकाशक—किताब महल, इलाहाबाद

बहन सावित्री को

अपनी बात

नर और नारी का भेद शारीरिक ही नहीं, मानसिक अथवा मनो-वैज्ञानिक भी है। किन्तु इस भेद की समग्रता की तह में ही दोनों की मौलिक एकता का प्रकृत रहस्य भी छिपा है। उसीसे प्रेरित नर और नारी ने एक-दूसरे का पूरक बन कर एक ऐसी अक्षुण्ण इकाई को जन्म दिया है, जो घर, परिवार, समाज और सृष्टि का मूलाधार है। यही इकाई विश्व-मानवता के भविष्य—मानव-सम्यता और स्स्कृति के विकास-चक्र—की धुरी अथवा केन्द्र-विन्दु है। मानव-समाज का सुख, समृद्धि और अभ्युदय वहुत-कुछ इसी इकाई की शक्ति, दृढ़ता, स्वाभाविकता एवं सद्भाव-पूर्णता पर निर्भर करते हैं। अस्तु—

सुकरात के शब्दों में नर और नारी इस इकाई के दो अद्वायित हैं, जिन्हे जोड़ने-वाली शक्ति है प्रेम। पर दुर्भाग्यवश आज सासार के अविकाश भागों में नर और नारी का पारस्परिक पूरक-सम्बन्ध अपनी यह स्वाभाविकता कायम नहीं रख सका है। सृष्टि के उष काल में जो नर और नारी दो स्वतन्त्र, उन्मुक्त, स्वपथगामी एवं स्वच्छन्द भरनों के रूप में एक हो कर सृष्टि की धारा बनते थे, आज मानो उन्हे दो अलग-अलग टवों में भर कर एक नाली में बहा दिया जाता है। यही आज के समाज का क्रम है। वे कब किससे मिले और सयुक्त धारा बन कर किस दिशा में बहे, इसके निर्णय में उनका कोई हाथ नहीं। उनके जीवन, जीवन-साथी और जीवन के पथ एवं दिशा का निर्णय माता-पिता अथवा सरक्षक ही करते हैं। जो जितनी नम्रता, निर्विरोध एवं मूकता के साथ इस निर्णय के आगे नतशिर होकर निर्द्वारित दिशा में चल पड़ते हैं, वे उतने ही बड़े समझदार, आज्ञाकारी, आदर्शवादी और सद्गुणी समझे जाते हैं। जहाँ आदर्श के नाम पर मान-

सिक दासता ने हमारे जीने के अधिकार और स्वातंत्र्य पर इतना बड़ा ताला लगा दिया हो, वहाँ अनीति एवं अनाचार के सिवा और पनप ही क्या सकता है ?

जब नर का सभ्यता से साक्षात्कार नहीं हुआ था, जब वह संस्कृति की अपेक्षा पशुता के ही अधिक निकट था, नारी के साथ उसका सम्बन्ध—पशुओं ही की भाँति—शारीरिक-भर था । प्रकृति ने नारी की देह को नर से कोमल और कम बलवान बनाया है, अतः सहज ही वह उस पर पशु-बल से विजय प्राप्त करने में सफल हुआ । उसे जात हुआ कि वह नारी से अधिक बलवान है, अतः उसका चाहे जैसे उपयोग-दुरुपयोग कर सकता है । नारी के मन में भी पशु-बल की यह आन्ति विश्वास बन कर जम गई कि वह नर से दुर्बल है, अतः उसे उसकी इच्छा का आदर करना चाहिए । जैसे-जैसे मानव-समाज सभ्यता की ओर पग बढ़ाता गया, पुरुष नारी से बलिष्ठ एवं स्वतंत्र है, और नारी नर से दुर्बल एवं उसपर निर्भर करनेवाली । इस प्रकार नारी नर की दासी और फिर सही मानो में उसके पॉव की जूती बन गई । उसकी ग्रांखों में नारी-देह से आगे और कुछ देखने की जैसे क्षमता ही नहीं रही । नारी भी परिस्थितिवश अपना 'स्व' और स्वतंत्र अस्तित्व भूल-सा गई ।

युग-परिवर्तन के साथ नारी की गुलामी के बाह्य रूपों में भी गौण परिवर्तन हुए । सृष्टि की धोनी, घर की लक्ष्मी, देवी, माता आदि के नामों से वह पूजनीया बनाई गई, पर उसके पॉव की बेड़ी नहीं खोली गई । दासता की इस वन्दना को अपना गौरव समझ नारी अपने पॉवों की बेडियों का भान भूल गई और अपने-आपको कैद करनेवाले नर-पिशाच में उसने दिवता अथवा परमेश्वर नाम के अर्थ और अस्तित्व-हीन व्यक्तित्व की कल्पना की । इससे नारी का मन और शरीर ज़रूर खो-सा गया, पर उसकी आत्मा गहरी नीद में सोई या खोई नहीं । बलात्कार और अनाचार

की ठोकरो से आहत उसके 'स्व' ने एक दिन उसके विवेक को जगाया और नारी ने जहर तथा अग्नि द्वारा और बाद मे बुद्धि-बल से नर के अधिकार की अनधिकारपूर्णता के खिलाफ विद्रोह किया । अनेक स्थानों मे आज यह विद्रोह सामाजिक अथवा कानूनी जामा पहन चुका है और तेजी से नारी की खोई हुई स्वाधीनता एव समानता को पुन प्राप्त करने की दिशा मे अग्रसर है—यद्यपि इसकी प्रगति अभी बिल्कुल सामान्य एव धीमी है ।

मानव-इतिहास मे नारी की दासता गुलामी का निकृष्ट उदाहरण है । रूसी क्रान्ति के पिता लेनिन ने इस गुलामी के विरुद्ध सबसे पहला सक्रिय कदम उठाया । उन्होने ललकारा कि जब तक आधी मानवता घरों मे कैद है, उसकी उन्नति सभव नही । रूसी नारियों की मुक्ति ने मानो नारीत्व की परिभाषा ही बदल दी और विश्व के अन्यान्य भागों मे नारी-स्वातन्त्र्य-आन्दोलनों को प्रेरणा एव प्रोत्साहन दिया । वैज्ञानिकों ने नर और नारी के शारीरिक एवं मानसिक वैषम्य की भ्रान्ति को निरर्थक एव खोखला सिद्ध किया । फलत सामाजिक, राजनीतिक, अर्थनीतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों मे नारी ने नर के समान ही कौशल दिखाना आरम्भ किया । यद्यपि अन्यान्य देशों मे रूसी नारियों की इस समानता एव स्वतंत्रता की काफी अनुकूल प्रतिक्रिया हुई, तथापि नारी-स्वातन्त्र्य के शत्रुओं ने रूसी महिलाओं की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के मिथ्या एव घिनींने विवरणों को प्रचारित कर अपने-अपने देशों मे नारी की दासता को आदर्श, सच्चरित्रता, धर्म, परिवार और समाज की अक्षुण्णता के नाम पर कायम रखने की धूष्ट चेष्टाएँ भी की । अनेक देशों मे तो जीर्ण दासता-ग्रस्त नारी स्वयं भी रूसी महिलाओं के स्वातन्त्र्य-स्वाच्छन्द्य को देख कर सशक हो उठी । पर नारी-स्वातन्त्र्य का आन्दोलन इन सब भ्रान्तियों तथा विघ्न-वाधाओं के बावजूद आगे बढ़ता गया । ब्रिटेन मे पहले महायद्ध के बाद स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त हुआ, जब कि क्रान्ति के जनक फ्रास की

स्त्रियों को अभी दूसरे महायुद्ध के बाद मताधिकार प्राप्त हुआ है ! पर यूरोप के अनेक देशों की स्त्रियों को आज भी नागरिकता का यह प्राथमिक राजनीतिक अधिकार तक प्राप्त नहीं है ! फिर भी सामाजिक और अर्थनीतिक दृष्टि से आज वे वैसी गुलाम कदापि नहीं हैं, जैसी कि अरब, एशिया, अफ्रीका आदि की महिलाएँ हैं।

संसार के विभिन्न देशों के नारी-आन्दोलनों का विहगम सिंहावलोकन करने के बाद जब हमारी आँखे अपने देश की ओर आकर रुकती हैं, तो लज्जा और निराशा से सिर झुक जाता है। कहने के लिए यहाँ की स्त्रियों को नॉम-मान्त्र के लिए मताधिकार प्राप्त है, पर विवाह-विच्छेद अथवा पैतृक सम्पत्ति का अधिकार उन्हें आज भी नहीं है। मनु महाराज की कृपा से जन्म से मृत्यु तक पुरुष की अधीनता ही उसका सबसे बड़ा धर्म और आदर्श है ! इतने बड़े अन्याय और अधर्म पर आधारित है तथा-कथित हिन्दू-कानून ! जो भारतीय बहने निरक्षर है और ग्रामों की मध्य-युगीन परिस्थितियों में जन्मती-पलती है, उनका इस पाश्विक दासता से ऊपर न उठ सकना तो समझ में आता है। पर जो बहने शहरों में रहकर नई तालीम हासिल करती है और वैज्ञानिक युग की सभी आधुनिक न्यामतों से लाभ उठाने की सुविधा जिन्हे प्राप्त है, उन्हें जब हम अपनी दासता पर 'नारीत्व के आदर्श' और 'मातृत्व के गौरव' के भ्रान्तिपूर्ण नामों से गर्व करते देखते हैं, तो आश्चर्य के साथ खेद भी होता है। इनमें से कुछ ने यद्यपि नए जमाने की हवा में तितली बन कर अपनी पाश्वात्य बहनों से भी आगे और ऊँचा उड़ने की चेष्टा की है, पर मानसिक गुलामी और तज्जनित दुर्बलता से मुक्त वे भी नहीं हो सकी हैं। उनकी वह शिक्षा, जिसने इस तरह की भावनाओं को जन्म दिया है, न सिर्फ अधूरी ही है, बल्कि नारी के अनुपयुक्त भी। कदाचित् इसीलिए हमारे देश का नारीत्व अपने अस्तित्व एवं स्वातन्त्र्य के महत्व को भूला हुआ-सा है। जिन्होंने सामाजिक स्वातन्त्र्य की अथवा अर्थनीतिक स्वावलम्बन की ओर कदम बढ़ाया भी,

उन्हे कुछ ऐसे अप्रिय एवं अप्रत्याशित अनुभव हुए कि उन्हे भी प्राचीन आदर्शों (?) का ही कायल होना पड़ा ।

हम यह नहीं कहते कि जो पुराने आदर्श हैं, वे सब बेकार और धातक हैं । पर यह सिद्ध करना अनावश्यक होगा कि हजारों वर्ष पहले के ये आदर्श आज के समाज और उसकी आवश्यकताओं के लिए उसी रूप में उपयुक्त नहीं रहे हैं । प्राचीन आदर्शों के अनावश्यक मोह और उनके मिथ्याभिमान से मुक्त हुए बिना हमारा उद्धार सभव नहीं । आज का युग नारी को देवी कुह कर आदर्श, धर्म, परिवार या समाज के नाम पर सोने-चाँदी की जजीरों से जकड़ रखना कदापि सहन नहीं कर सकता । नर और नारी के शारीरिक वैषम्य को आवार बना कर आज किसी को किसी से श्रेष्ठतर सिद्ध करने की चेष्टा करना हास्यास्पद है । आज का युग विज्ञान का युग है । यन्त्रों ने मानव के शारीर-बल को बहुत-कुछ गौण बना दिया है । इस युग में बहुत कम काम ऐसे हैं, जिन्हे पुरुष कर सकता हो और स्त्री नहीं । आज जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में नारी समान रूप से नर के साथ कदम मिला कर आगे बढ़ रही है । जीवन-संग्राम में यदि भारतीय नारी को जान-बूझ कर पिछड़ना नहीं है, उसे नर के अधीन हो कर नहीं रहना है, यदि उसको केवल नर के मनोरजन का खिलौना और उसके बच्चों की माता ही नहीं बनना है, तो उसे अपने अस्तित्व, स्वातन्त्र्य, स्वावलम्बन आदि के महत्व को ठीक-ठीक समझना एवं उसी के अनुरूप अपना जीवन बनाना होगा ।

इसी दृष्टिकोण से लिपिबद्ध किए गए अपने कुछ स्फुट विचारों का यह सग्रह आज लेखक सर्वसाधारण के सामने रखने का साहस कर रहा है । कोई उपदेष्टा, प्रचारक या विशेषज्ञ वह नहीं और न ही उसका यह दावा है कि वह नारी-स्वातन्त्र्य एवं स्वावलम्बन की कोई योजना पेश कर रहा है । उसने जो कुछ देखा, सुना, सोचा, समझा, उसीको स्फुट लेखों के रूप में अपने देख की वहनों के विचारार्थ रखा है । विभिन्न अवसरों पर

लिखे जाने के कारण इनमें कहीं-कहीं कुछ विरोधाभास अथवा प्रसामजस्य-सा भी भलकता है। इसका एक कारण यह है कि लेखक जहाँ प्राचीनता का कटु आलोचक है, वहाँ वह मोजूदा आधुनिकता का १०० फीसदी समर्थक भी नहीं। प्राचीन आदर्शों एवं अवर्तीन जीवन की आवश्यकताओं का एक विवेकपूर्ण समन्वय ही उसका मूलोद्देश्य है। उसकी एकमात्र कामना यही है कि ग्राज की भारतीय नारी अपने बारे में—अपनी स्थिति, अधिकार, स्वतंत्रता, भविष्य आदि के बारे में—स्वयं सोचे और अपने लिए स्वयं निर्णय करे एवं उस पर अमल करे। ऐसा सोचने के लिए यदि यह संग्रह उसे कुछ भी सुझाव या प्रेरणा दे सका, तो लेखक अपना परिश्रम सार्थक समझेगा।

‘विशाल भारत’ कार्यालय
कलकत्ता १ जनवरी, १९४७

मो० सि० सेंगर

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
श्रपनी वात	५
नई स्कृति और नारी	१३
नये युग की नारी ।	२४
नारी, विवाह और समाज	४०
हिन्दू-स्त्रियों को तलाक का अधिकार	५२
स्त्रियों और युद्ध	६४
विश्व-शान्ति और स्त्रियाँ	८०
पजाव की जाग्रत महिलाएँ	९२
नारीत्व की लाज्जना	९८
जीवन-साथी का चुनाव	११३
‘क्या हम जहर खा ले ?’-	१३२

नई संस्कृति और नारी

जिस समय आदमी युवावस्था की चरम-सीमा पर पहुँच कर, जरा-जीर्ण हो, एक दिन अपनी इह-लीला समाप्त कर देता है, उसी प्रकार समय का एक हिस्सा भी—जिसे युग कहा जाता है—अपनी उपयोगिता की चरम-सीमा पर पहुँच कर एक दिन खत्म हो जाता है और उसका स्थान एक अधिक उपयोगी नया युग ले लेता है। जिस प्रकार एक या कुछ आदमियों के मरने से ससार सूना नहीं हो जाता, ठीक उसी प्रकार समय के किसी खास हिस्से—युग-विशेष—के खत्म हो जाने से यह नहीं समझना चाहिए कि अब मानवता का भविष्य निविड़ अन्धकारमय है, अथवा जो नया युग आरम्भ हो रहा है, वह ससार के लिए पिछले युग से कम कर्त्त्याणकारी होगा। एक आदमी जब मर जाता है, तो उसके घरवालों के लिए रोना-धोना एक अन्ध-परम्परा-सी बन गई है। पर उसके घरवालों से कोई पूछे कि सदा-सर्वदा वह जीवित कैसे रह सकता था? फूल खिलने के बाद एक-न-एक दिन तो मुर्झियां ही—चाहे वह कितना ही सुन्दर और सुगन्धि देनेवाला क्यों न हो। जीव नामधारी जितने भी प्राणी है, वे अपने भौतिक विकास की चरम-सीमा पर पहुँचने के बाद मुर्झा कर एक दिन अवश्य खत्म होगे—यही उनके विकास और अस्तित्व की स्वाभाविक क्रिया और प्रतिक्रिया है। जीवन और मरण उनके विकास के दो ओर है। उत्पत्ति में समाप्ति के और समाप्ति में नई उत्पत्ति के बीज निहित हैं। जीव के विकास का यह चक्र एक भौतिक क्रिया-मात्र है, इससे अधिक कुछ नहीं। इसे जीव या आत्माके आवागमन के साथ नहीं करना ठीक न होगा।

इस विकास का कोई निश्चित माप-दण्ड नहीं है। मोटे रूप में हम 'युग' और 'कल्प' को पेश कर सकते हैं—किन्तु उनकी अवधि सदा एक-सी

और निश्चित रही है, यह क्रदाचित् विवादास्पद है। जीव के विकास का यह माप-दण्ड भी परिस्थितियों के साथ बदलता और छोटा-बड़ा होता रहा है। जीव के विकास की धारा ने जब कभी सहसा पलटा खाया है, तो उसके साथ समय का यह माप-दण्ड या 'युग' भी बदला है। चूंकि मानवी-विकास की गति-विधि सदा एक-सी नहीं रही है, अत 'युग' की आयु और उसकी छाप भी विभिन्नता एवं विषमता लिए हुए रही है। कभी 'युग' शताब्दियों में बदले हैं, तो कभी वर्षों, महीनों और दिनों तक में। हमारे विकास की धारा आज तो उस बौद्धिक धरातल पर से गुजर रही है, जहाँ क्षण-क्षण में उसका रूप और प्रवाह, दिशा और वेग, बदल रहा है अथवा कहना चाहिए कि बदल सकता है। प्रारम्भिक विकास की अवस्था को हम पार कर चुके हैं। अब विकास की जिस सीढ़ी पर हम चढ़ना चाहते हैं, उसमें और पहली सीढ़ी में यद्यपि अन्तर बहुत नहीं है, तथापि बौद्धिक सङ्घर्ष इतना प्रवल और तीव्र है कि पथभ्रष्ट होने की सम्भावना, अधिक से अधिकतर होती चली जा रही है। पर इस खतरे से डरने के बजाय सावधान होने की विशेष आवश्यकता है।

प्राचीनता का मोह

यह जानते हुए भी कि जो आदमी मर गया है, वह अब जीवित नहीं हो सकता, हम उसके शव के चारों ओर बैठ कर जोर-जोर से रोते हैं और आग में फूँक कर उसके हाड़-मास के शरीर को राख करके भी स्मृति-पट पर या कागज और स्याही के सहारे उसे 'जीवित' रखने का यत्न करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम एक बीतनेवाले 'युग' का मोह भी आसानी से नहीं छोड़ पाते। जिन्होने कम-से-कम परिश्रम करके अधिक-से-अधिक आराम या लाभ उठाया है, वे भला विषमता या शोषण के युग का खात्मा कैसे वर्दाश्त करेंगे? किसी भी तर्क या दलील से उन्हे इस वात का विश्वास नहीं दिलाया जा सकता कि जो युग अपनी उपयोगिता खो चुका है, अपने

चरम-विकास को पहुँच चुका है, वह तो खत्म होगा ही—किसी व्यक्ति, समाज या देश-विशेष के द्वारा नहीं, अपने-आप। कोई मानवी शक्ति, प्रतिगामिता, षड्यन्त्र और गुटबन्दी उसे खत्म होने से रोक नहीं सकते। यह एक सर्वथा दूसरी बात है कि उसके खात्मे का उपकरण या सहारा कोई भी और कही भी नहीं। आदमी जब मरता है, तो कोई-न-कोई वीमारी उसके अन्त का कारण बनती है। इसी प्रकार एक युग जब अपनी समाप्ति की स्थिति में पहुँचता है, तो कभी कोई प्रतिगामी सफलता उसके अन्त को कुछ दिन और आगे खिसका देती है और कभी कोई सामूहिक प्रयत्न, जिसे शब्दान्तर और स्थिति-विशेष में विद्वोह अथवा क्रान्ति कहा जा सकता है, उसके अन्त को जरा और निकट ले आता है। इसे युगों का परिवर्तन-काल (Transitory Stage) कह सकते हैं। इसमें जहाँ पिछले युग के अन्त के आसार खूब स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, वहाँ नये आनेवाले युग के अग्र-चिन्ह भी उतने ही स्पष्ट हो जाते हैं। यह स्पष्टता युग-विशेष के सहायक या अवरोधक व्यक्तियों की शक्ति या परिस्थितियों की प्रवलता पर अवलम्बित है।

आज हम इसी तरह के युग-परिवर्तन-काल में से गुजर रहे हैं। खत्म होनेवाले युग का अन्त हमें सूर्य के प्रकाश की भाँति स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो नया युग आ रहा है—वल्कि कहना चाहिए कि जिसका श्रीगणेश हो चुका है—उसकी सम्भावनाएँ और शक्तियाँ भी हमें बहुत-कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगी हैं॥ मानवता का कल्याण इसी में है—जहाँ तक कि हमारा अपना खयाल है—कि पुराने युग को, जिसने विप्रमता, शोपण, दुराचार, अमानुषिक प्रत्याचार, खेच्छाकर, एकाधिकार, पाशविक-शक्ति की प्रवलता आदि के द्वारा हमे भगडाल, खोखला और भाई-भाई का डुर्यन बना दिया है, जल्दी-से-जल्दी खत्म किया जाय और नये युग को जल्दी-से-जल्दी लाने का प्रयत्न किया जाय।

भविष्य या नये युग के सम्बन्ध में आज हम दो तरह की कल्पना-

धारा एँ देख रहे हैं। पहली कल्पना-धारा है निहित हितोवालों की, जो शोषण, एकाधिकार और पाश्विक बल के सहारे आज कोट्याधीश और लाखों मनुष्यों के भाग्य-विधाता बने हुए हैं। वे भली भाँति जानते हैं कि नये युग की व्यवस्था कैसी भी क्यों न हो, वह अमानुषिकता, विषमता, शोषण, अन्याय, अनधिकार, अत्याचार और बेर्इमानी के आधार पर खड़ी हुई मौजूदा पूँजीवादी व्यवस्था से मिलती-जुलती कदापि नहीं हो सकती। इसीलिए वे अपनी सारी सम्पत्ति और खून तक देकर दूसरों की सम्पत्ति को हड्डप जाने और उनका खून पीने की इस व्यवस्था को कायम रखने की जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं। अपने नीच स्वार्थों के लिए आज वे मानव-कल्याण और सभ्यता, शान्ति तथा सस्कृति की दुहाई देकर पुराने युग के अन्त और नये युग के आरम्भ में विलम्ब कर रहे हैं। जो कुछ हो, निहित हितोवालों का इस प्रकार का दुष्प्रयत्न समझ में आ सकता है।

दूसरी कल्पना-धारा है निम्न मध्य-वर्ग की, जो बहुत ही स्पष्ट तथा आशा और उत्साहप्रद है। पर इसके होते हुए भी सबसे बड़ा खतरा आज इसी वर्ग को है। इसके एक बहुत बड़े भाग के पास तन-ढाँकने और पेट भरने तक की सुविधा नहीं है। अत कल पूरी रोटी मिलने की आशा में आज मिलनेवाली आधी रोटी भी यह छोड़ दे, यह इससे एक ऐसे त्याग की आशा करना है, जो शायद यह कर न सके। यह आधी रोटी भी इसे उस वर्ग से मिल रही है, जिसे मिटाये बिना इसे पूरी रोटी कभी मिल नहीं सकती। इसे भुलावा देने, वरगलाने और पूरी रोटी पाने के लिए नये युग को लाने का प्रयत्न करने से रोकने के लिए तरह-तरह के प्रलोभनों और चालों से काम लिया जा रहा है। और कदम-कदम पर इसे मिलनेवाली आधी रोटी भी न देकर भूखों मारने की धमकी भी ढी जा रही है। इसके सामने भविष्य का अधिकतम अन्धकारमय चित्र खीचा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसके लिए मौजूदा मार्ग और व्यवस्था ही कल्याणकारी है। आनेवाले युग में इसको अपनी मेहनत का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाने

दिया जायगा और सारी सुख-सुविधाओं से बच्चित कर दिया जायगा । आदर्श और सिद्धान्त नाम की कोई चीज़ इसके जीवन में नहीं रह जायगी । ऐसी दशा में आश्चर्य ही क्या, यदि भविष्य की आशङ्काओं ने इसके मुसी-बतजदा दिल को प्राचीनता या मौजूदा युग के मोह में फँसा लिया हो और युगान्तर के स्थान पर यह अपने शोषण और अधिकारापहरण में थोड़ी-सी रियात्र और सुविधा-भर से सन्तुष्ट हो जाना चाहता हो । पर इस तरह युग-परिवर्तन को कब तक टाला जा सकता है ?

स्त्रियों का कर्तव्य और दायित्व

अपर की पक्षियों में हमने सक्षेप में यह दिखाने का यत्न किया है कि निहित-हितों और निम्न मध्य-वर्ग में प्राचीनता का मोह किस लिए है । निहित हितोवालों की वात के समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती, पर मध्य-वर्ग का मोह जरा परेशानी पैदा करनेवाला है । जिनमें आत्म-विश्वास की कमी है, वे भविष्य को सदा आशङ्काभयी दृष्टि से देखते हैं । वे यहीं समझते हैं कि न-मालूम कल क्या होगा ? पर जिनमें आत्म-विश्वास पर्याप्त मात्रा में है, वे भविष्य की आशङ्का से घबरा नहीं जाते और हमेशा यहीं सोचा-समझा करते हैं कि कल कैसा भी हो, पर आज से तो अच्छा ही होगा । मध्य-वर्ग में आत्म-विश्वास की जो कमी है, वह उसके शोषण और पीड़न के इतिहास पर दृष्टिपात करने से आसानी से समझ में आ जाती है । पर समय का तकाजा है कि उसे अपने-आपमें वह आत्म-विश्वास पैदा करना चाहिए, जो उसको अधिकारों और हितों की इस लडाई में घोखे से बचाये ।

निम्न मध्य-वर्ग में भी यदि कोई अंकिचन और अधिकार-विहीन वर्ग कहा जा सकता है, तो वह ही स्त्रियों का । उनकी लडाई का क्षेत्र देश और समाज से भी पहले घर है । आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों से पहले उन्हें सामाजिक और वैयक्तिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़े

रहा है। ऐसी स्थिति में नथे युग के निर्माण में उनका कर्तव्य और दायित्व दोहरा हो जाता है—स्वयं नई व्यवस्था के लिए लेडना और अपने पुरुषों (पतियों, भाइयों और सन्तान) को उसके लिए तैयार करना।

नारी सभी देशों और समाजों में अधीन, अधम, अधिकार-विहीन, ग्रीष्मित, शोषित और आश्रित रही है। पाँव की जूती बना या सर्वक्रम कर भी पुरुष ने उससे वही काम लिया, जो किस्महला उसकी पूजा कर—उसे देवी, सती और लक्ष्मी के पद पर आसीन कर—। जहाँ पाँव की जूती बना कर पुरुष ने नारी के स्वतन्त्र अस्तित्व की इति-श्री कर दी, वहाँ उसकी पूजा कर उसने उसके पतन और अधिकार-विहीन आत्मार्पण पर नैतिक ढोग का पर्दा डाल दिया और उसके अस्तित्व के रहे-सहे ग्रन्थ या नाम को भी खत्म कर दिया। पूजा के नाम पर जहाँ पुरुष चौका नहीं, वहाँ नारी के अहभाव को पोषण मिला और स्त्री-पुरुष की विषमता का कोढ़ ढँक-सा गया। पूज कर भी पुरुष ने नारी को अपनी अतृप्त काम-वासना की पूर्ति का साधन-मात्र बनाये रखा और जब तक उसके शरीर में रूप और यौवन की धुंधली-सी झाँकी तक भी रही, उसे अपने विलास-भवन से बाहर जाने की स्वतन्त्रता नहीं दी। और नारी भी इसी में सुखी तथा सन्तुष्ट रही।

न-मालूम किन-किन कठिनाइयो और सञ्ज्ञर्णों के बाद अब जब नारी पुरुष के रग-महल का द्वार तोड़ कर बाहर आने में समर्थ हुई है, तो उसके सामने संसार एक बहुत बड़े प्रश्न-सूचक चिन्ह के रूप में मुँह वाये खड़ा है। उसे ऐसा लग रहा है कि पुरुष की विलासिता के फन्दे दूर-दूर तक फैल गये हैं। जिधर भी वह आँख उठा कर देखती है, पुरुष की वासना अजगर की तरह उसे निगल जाने को खड़ी है। युगों की पराधीनता और पुरुष-परंमेश्वर की आराधना ने उसे इतना पगु और निर्बल बना दिया है कि बाहर आकर वह अपनी रक्षा करने में भी अपत्ते-आपको असमर्थ पाती है और उसे कभी-कभी यह भी ध्यान हो आता है कि पुरुष के विलास-भवन के अलावा उसके लिए संसार में और कोई सुरक्षा का स्थान ही नहीं। तो

क्या वह फिर पुरुष के उसी विलास-भवन की रानी बनेगी, जिसकी यन्त्र-
णाओं से छुटकारा पाने के लिए उसने अब तक सञ्चार्प किया है ? या सदा
के लिए उससे मुक्ति पाने के लिए वह वाहर के सभी खतरों और चुनौतियों
का दृढ़ता और आत्म-विश्वास के साथ सामना करेगी ?] ५

०) अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्णय उसे आज स्वयं करना है ।
सूर्योदय से २-३ घण्टे पहले उठ कर और सूर्यास्त के ४-५ घण्टे बाद तक
पनि और सन्तान की सेवा तथा पालन-पोषण में लगे रहना ही उसके और
समाज के लिए अधिक हितकर और उपयोगी है या इससे परे भी उसकी
कुछ उपयोगिता, दायित्व और कर्तव्य है ? पुराने नियम और वन्धन,
पद्धतियाँ और प्रणालियाँ ही नारी के लिए उत्तम हैं या उनका एकदम मूलो-
च्छेद कर वह अपने लिए एक नये समाज, नये घर और नये ससार का
निर्माण करेगी ? अपने स्वार्थ, जीवन के हित और मानव-कल्याण की दृष्टि
से नये युग की आवश्यकता पुरुष की अपेक्षा नारी को ही अधिक है और
इसी लिए हम आशा करते हैं कि उसे इस दिशा में विशेष तत्परता के साथ
आगे बढ़ने की आवश्यकता है । ६

नई संस्कृति क्यों ?

८) आज दुनिया बदल रही है और उसके साथ ही बदल रहा है जीवन
का दृष्टिकोण भी । जो दिन हम विता चुके हैं, अब हमें उनके अनुभव से
लाभ उठाने की अन्त-प्रेरणा हुई है । अब तक के नियम, क्रम, व्यवस्थाएँ
और इतर प्रणालियाँ हमें सुख, शान्ति और समृद्धि के साथ-ही-साथ कुछ
ऐसी दिशाओं में भी ले गई हैं, जहाँ हमने एक-दूसरे से लटने, एक-दूसरे को
छाने और धोखा देने की आदते डाल ली हैं । भौजूदा सम्प्रदायों और
संस्कृतियों ने हमे मानव कम रखा है और राक्षस अधिक बना दिया है ।
परिणाम यह हुआ है कि आज मानवता के नाम पर हम दानवता का नग्न-
नृत्य देख रहे हैं । विश्व अशान्ति, शोषण, विषमता और विग्रह से कराह

रहा है। यह बड़ा ही दुखद और करुण दृश्य है, जिसे न-मालूम हम कितने वर्षों से देखते आये हैं। अब हम उसे देखते-देखते उकता गये हैं और चाहते हैं कि अपनी त्रुटियों और खामियों से लाभ उठाये। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि आज हमें एक नई सस्कृति और नई सभ्यता की आवश्यकता है।

जो सस्कृति आज है—और युगों से चली आ रही है—उसमें सभी कुछ खराब है, ऐसा हम कदापि नहीं कहते। जिस नई सस्कृति का हम निर्माण करने जा रहे हैं, वह सर्वत सन्तोषप्रद और दोष-रहित होगी, ऐसी बात भी नहीं है। पर हम हृदय से यह महसूस करते हैं कि एकाधिक युगों से जो सस्कृति हम देखते आ रहे हैं, उसमें उस प्राचीनता की गहरी छाप है, जो अपनी उपयोगिता खत्म करने के कारण मर चुकी है और जिसकी हमें अब मुतलक कोई जरूरत नहीं है। जब तक प्राचीनता से हमारा सम्बन्ध रहेगा, हम जीवन को, समाज को और विश्व को नये दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। परिणामत हम उन झगड़ों-झगड़ों से ऊपर उठ कर कुछ भी कर या सोच नहीं सकते, जो प्राचीन इतिहास और सस्कृति का आधार रहे हैं। अस्तु—

हम सुधार में नहीं, क्रान्ति और विनाश के बाद होनेवाले नव-निर्माण में विश्वास करते हैं। नई सस्कृति के निर्माण की बात हम इसीलिए इतने जोर के साथ कह रहे हैं कि उसमें सुधार की अब कोई गुञ्जाइश ही नहीं रह गई है। वह तो उस फूटे वर्तन की भाँति है, जो सैकड़ों बार सुधार कर अब ऐसा विगड़ गया है कि उसे बदले बिना काम ही नहीं चल सकता। अब उसे और सुधारा नहीं जा सकता। यह हम मानते हैं कि नई सस्कृति का निर्माण काफी समय, परिश्रम और अनुभव-सापेक्ष है। पर इसी डर से हम उसे कब तक टालते जायेंगे? आज नहीं तो कल, हमें इस कार्य को आरम्भ करना ही पड़ेगा। फिर क्यों न आज ही उसे आरम्भ किया जाय?

जीवन के नये दृष्टि-कोण और नई सस्कृति को हम सामूहिक रूप में

देखना चाहते हैं—आज-कल की संस्कृतियों की भाँति विषमताओं और नवीनताओं की एक तालिका के रूप में नहीं। हर देश, जाति और समाज की संस्कृति पृथक् हो, यह हमारी कुछ समझ में न आनेवाली बात है। भाषा, जाति और देश के साथ संस्कृति का बदल जाना इस बात का घोतक है कि हम अभी एक नहीं हो पाये हैं—अनेक हैं। और जब तक हम अनेक रहेंगे, लड़ाई, भराडे, शोषण, अपहरण आदि को मिटाना सम्भव नहीं। इसी अनेकता और पृथकता को मिटाने के लिए हम एक ऐसी नई संस्कृति का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें सच्चे रूप में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का सिद्धान्त निहित हो और जो हमें भाषा, जाति और देश के दायरों में बॉटने-वाली विनाशकारी प्राचीनता से एकदम मुक्त हो। भौगोलिक विषमताओं से हमारी जाति और स्वार्थ कैसे बदल जाते हैं, यह हमारी समझ में नहीं आया। यही बात बहुत-कुछ लिङ्ग-भेद के रूप में भी कही जा सकती है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि पृथक्करण और विषमताओं की जितनी दीवारे हम खड़ी कर चुके हैं, उन सब को मिस्मार कर हमें एक नई संस्कृति की नीव डालनी चाहिए।

नई संस्कृति और नारी

^१ संस्कृति की नीव सबसे पूर्व हमारे घरों में ही पड़ती है, जिनकी एक-मात्र स्वामिनी है नारी। नई संस्कृति के निर्माण में नारी का अधिक सहयोग और दायित्व रहेगा और रहना भी चाहिए—इसलिए नहीं कि अब तक उसके निर्माण में पुरुष का विशेष हाथ रहा है, बल्कि इसलिए कि नारी ही अधिक पीड़ित, शोषित और वञ्चित है। अत भावी संस्कृति के निर्माण में उसका विशेष हाथ रहना इसलिए भी आवश्यक है कि वह अपने स्थान, अधिकारों और दायित्व का स्वयं निर्णय एवं निर्माण करे, ताकि आगे चल कर फिर हमें यह कहने का मौका न मिले कि हमारा नैतिक पतन नारी के पीड़न और शोषण का अभिशाप है। नर और नारी

की शारीरिक विषमता इतनी अहम नहीं है, जितनी कि सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक। समाज ने तो उसे नौकरानी से लेकर वेश्या तक बना डाला है। नीति ने कुत्सा और राजनीति ने अपाहिज। यह स्थिति क्या धोर अन्याय, अपमान और ममानुषिकतापूर्ण नहीं है? क्या यह मानवता और उसकी कही जानेवाली सस्कृति का अपमान नहीं है? इस स्थिति में सुधार करने की माँग करना अब दकियानूसीपन ही नहीं उपहासास्पद भी है। फिर हम क्या अनुचित कहते हैं यदि हमारा यह विश्वास है कि इस सस्कृति का मूलोच्छेद कर हमें नये सिरे से एक नई सस्कृति का निर्माण करना चाहिए। वर्तमान स्थिति ग्रब और सह्य नहीं है।

इस छोटे से लेख में यह बताना सम्भव नहीं कि नई सस्कृति में नारी को अपने लिए किन-किन बातों और व्यवस्थाओं का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अधिकारों की लड़ाई नारी-आन्दोलन का मुख्य आधार माना जा सकता है। पर अब नई सस्कृति के निर्माण में उससे ऊपर उठ कर ही काम करना होगा। मत-भेद और सह्यपूर्ण की मनोवृत्ति को लेकर इस दिशा में बढ़ना घातक होगा। रूस की स्त्रियाँ ऊँचे-से-ऊँचे दायित्वपूर्ण पदों पर बे-रोक-टोक काम कर सकती हैं, ब्रिटेन की स्त्रियाँ पार्लियामेण्ट में बैठ कर मत दे सकती हैं, लेकिन फ्रान्स की स्त्रियों को मताधिकार भी प्राप्त नहीं है और भारत की स्त्रियाँ तो घर से बाहर निकलने, उदर-पोषण और विवाह आदि के लिए भी पुरुष के अधीन हैं। नई सस्कृति में इस प्रकार की नीचतापूर्ण विषमता का नाम तक नहीं होगा। नारी केवल इसलिए पुरुष से हुर्वल और अयोग्य नहीं समझी जायगी कि वह 'नारी' है—हाड़-मास के बजन में पुरुष से कम है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में नारी का स्थान पुरुष से कम और निम्न न होगा। वह नटी या तितली नहीं, मानवी समझी जायगी। अपने कर्तव्य, उत्तरदायित्व और अधिकारों का निर्णय वह स्वयं करेगी। उसे कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका निर्णय भी वह स्वयं करेगी। पुरुष चौकता है तो चूँके, पर अपने जीवन का विधान

वह स्वयं बनायगी—अलग नहीं, पुरुष की सलाह और सहायता से; आदेश से नहीं।

हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि नई सस्कृति के निर्माण में नारी का विशेष हाथ रहे और पुरुष का कम या कुछ भी नहीं। इस प्रकार विषमता का अन्त सम्भव नहीं और नारी के बदले शायद पुरुष ताड़ना और अवमानना का शिकार बने। हम तो चाहते हैं कि दोनों के सलाह-सहयोग से नई सस्कृति का निर्माण हो और उसमें मौजूदा विषमताओं के कीटाणु न हो। ऐसा होने से दुनिया की आधी से अधिक कठिनाइयों, स्वतं मिट जायेगी। सारी बुराइयों की जड़ तो यह विषमता ही है। हो सकता है कि हमारी यह बात आज केवल एक वहक ही समझी जाय, पर यह कभी सत्य न हो सकेगी, ऐसा तो कदापि नहीं कहा जा सकता।

नये युग की नारी

कहना न होगा कि नये युग की नारी बड़ी तीव्र गति से उन्नति के मार्ग में बढ़ रही है। रुदिवादी पुरुष उसके इस सर्वतोमुखी विकास से न केवल आश्चर्यान्वित ही होकर रह गया है, बल्कि किसी हद तक बौखला भी उठा है। उसे आज अपने भविष्य और अस्तित्व की चिन्ता है। यह है भी स्वाभाविक—क्योंकि पुरुष ने युगों से उसे अपना गुलाम बना कर रखा है, उसका मनमाना उपभोग किया है। उसने कल्पना-जगत् में एक बड़े ही लुभावने और सुनहरे स्वप्न की सृष्टि कर रखी थी—कि नारी मेरे मनोरञ्जन की गुड़िया है, वह मेरे हाथ की कठपुतली है, अपना पेट पालने के लिए वह मुझ पर निर्भर करती है, अपनी रक्षा के लिए भी वह मुझ पर ही अवलम्बित है, फिर मुझे छोड़ कर भला वह जा कहाँ सकती है?

पर समय के प्रवाह ने उसके इस स्वप्न को आज न सिर्फ छिन्न-भिन्न ही कर दिया है, बल्कि उसके जीवन में—घर और समाज में—क्रान्ति का एक तूफान-सा खड़ा कर दिया है। वह भौचक होकर इस समाज-व्यवस्था के—जिसे उसने ‘मीठी-मीठी गप्प और कडवी-कडवी थू’ के सिद्धान्त को दृष्टि में रख कर मनमाने ढङ्ग से कायम किया था—आमूल-चूल परिवर्तन को देख रहा है। नारी ने आज उसके खिलार्फ जोहाद बोल दी है। उसकी स्वार्थ-पूर्ण वातो, नियमों और धर्म कहे जानेवाले वाक्-जाल को नारी ने फूँक मार कर उड़ा दिया है। उसकी मिथ्या धारणाओं और दुराकाशाओं को नारी ने बीज-रूप में ही मसल दिया है। उसकी स्वेच्छाचारिता और अपनी गुलामी को नारी ने अपने पांवों से रोंद डाला है।

और कोई उपाय न देखकर आज पुरुष ने धर्म, समूज, सभ्यता और सस्कृति की दुहाई देना आरम्भ किया है। उसमें शायद यह सोचने की

बुद्धि ही नहीं रह गई है कि अब वह समय दूर नहीं है जब नये युग की नारी अपने लिये—और परोक्ष रूप से पुरुष के लिए भी—एक नये समाज, नई सभ्यता और नई सस्कृति को निर्माण करने जा रही है। उस नये समाज में पुरुष का क्या स्थान होगा और नारी का क्या, इसका निर्णय अकेला पुरुष या अकेली नारी नहीं, बल्कि दोनों मिल कर अपनी सुविधा और हितों को दृष्टि में रख कर करेंगे। वह नई सभ्यता क्या होगी, इसका निर्णय भी पुरुष और नारी दोनों मिल कर ही करेग। हमारी वह नई सस्कृति क्या और कैसी होगी, इसका निर्णय भी मनु, तुलसी, पण्डे अथवा पुरोहित, मौलवी या पादरी नहीं, नारी और पुरुष ही मिलकर करेंगे। मैं यह नहीं कहता कि हमारे समाज, सभ्यता और सस्कृति में कोई अच्छी बात है ही नहीं और उन्हे सर्वांश में तिलाज्जलि दे देनी चाहिये। इनमें पुरानेपन के वावजूद कुछ बाते अच्छी हैं, जिनसे हम जीवन की नई परियाटी का निर्माण करने में यथोचित लाभ उठा सकते हैं। पर इनकी अधिकाश बाते अब एकदम असामयिक हो गई है। वे एक खोस समय के लिये थी, जो युग हुए बीत चुका। अब उन्हे सड़े-गले पुराने ताबीज की तरह गले से लटकाये फिरने का मोह हमें त्याग देना चाहिये। समय की पुकार और अपनी आवश्यकताओं को देख कर मनुष्य अपने समाज, सभ्यता और सस्कृति में सदा परिवर्तन करता रहा है। यह प्रकृति की ही प्रेरणा से होता रहा है। आज परिवर्तन की यह जिम्मेदारी सर्वांश में नहीं तो अधिकाश में नारी ने अपने ऊपर ली है, क्योंकि वर्तमान समाज, सभ्यता और सस्कृति में पुरुषपन की ही अधिक बूँ है। पुरुष के स्वार्थों का पलड़ा बहुत भारी हो गया है। पर इससे पुरुष को घबराना नहीं चाहिये। अपने लिये उसने युगों से जिन सुविधाओं की विरासत लिखा रखी है, अब नारी को उसमें हिस्सा देनेमें उसे भिभक्का नहीं चाहिये, क्योंकि उसकी भिभक्क, अप्रसन्नता या विरोध नारी को आगे बढ़ने से, अधिकारों और जिम्मेदारियों में हिस्सा बैठाने से रोक नहीं सकते। नारी ने कदम उठाया

है और अब वह शक्ति-भर आगे बढ़ कर ही दम लेगी। पुरुष के लिए अच्छा यही है कि वह नारी के विकास-भाव का आदर और स्वागत करे तथा उसके आगे बढ़ने में सहायता और सहयोग दे, ताकि दोनों का जीवन ऊँचा उठ सके और दोनों मिल कर एक नवीन 'लौकिक-स्वर्ग' की सृष्टि करने में समर्थ हो।

दूसरा पहलू

पर नये युग की नारी के विकास का एक दूसरा पहलू भी है, जिसे यदि हम नारी, पुरुष और समाज की भलाई चाहते हैं, तो अधिक काल तक नजर-अन्दाज नहीं कर सकते। उसके विकास के चकाचौध कर देनेवाले प्रकाश में हमें कुछ धुंधलापन या कालिमा की एक क्षीण-रेखा का आभास भी हो रहा है। उन्नति के जिस मार्ग पर वह आज ग्रांख मूँद कर बेखौफ दौड़ी जा रही है, उसमें हमें अनेक गढ़ों और अवरोधों की आशङ्काएँ हो रही हैं। हो सकता है, कल सम्भवतः सत्य सिद्ध होनेवाली ये शङ्काएँ आज हमें भ्रम या दक्षिणानूसीपन ही जान पड़े, पर क्या हर्ज़ है, अगर उनसे बचने का उपाय पहले से ही सोच लिया जाय। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए हमें कह देना चाहिये कि नये युग की नारी सर्वतोमुखी विकास के भ्रम में, उसकी उत्कट महत्वाकांक्षा के प्रवाह में, कहीं-कहीं, किसी अश तक अपने उचित मार्ग को छोड़ कर गलत दिशा की ओर भी चल पड़ी है। बिना किसी दलील या ग्राधार के हमारा मुँह बन्द करने के लिये कहा जा सकता है कि हम पुरुष होने के नाते शायद स्त्रियों की उन्नति को फूटी आँखों भी देखना पसन्द नहीं करते या उनके विकास के विरोधी हैं या हमें उन्हें आगे बढ़ते देखकर जलन और कुदन होती है, इसीलिये हम उन्हें हतोत्साहित करने पर उतारू हो गये हैं। ऐसा खयाल करनेवालों के लिये हमारे पास कोई दलील या कैफियत नहीं है। अधिक-से-अधिक हम सिर्फ़ यही कह सकते हैं कि ऐसा सोचना हमारे साथ अन्याय करना होगा। इस समस्या पर हमने स्त्रियों को ग़्लाम बनाये रखनेवाले पुरुष की हैसियत

से कभी विचार नहीं किया है। वैसा करना कूप-मण्डूकता या अद्वृद्धि-दर्शिता के विज्ञापन से अधिक कुछ नहीं है, ऐसा हमारा खयाल है।

इस प्रश्न को हमने नारी और पुरुष के युग्म-हित, समाज की वस्तु-स्थिति और जीवन के पार्थिव आधार की दृष्टि से ही समझने की कोशिश की है। नहीं कह सकते, इसमें हमें कहाँ तक सफलता मिली है। पर हमारे कहने का यह, तात्पर्य कदापि नहीं है नारी आगे न बढ़े। वह जरूर बढ़े, किन्तु इतनी लापरवाही से आगे भी न बढ़े कि उसे खाई-खन्दक तक का ध्यान न रहे। हमारे जीवन में पग-पग पर गढ़े (Pitfalls) हैं, उनसे बचकर चलना ही नारी की बुद्धिमत्ता और उसके आदर्श सिद्धान्तों की सफलता है। किन्तु विकास, उन्नति और समानाधिकार आदि की प्रवल महत्वाकांक्षाओं के प्रवाह में वह जाना नारी के लिए है भी स्वाभाविक ही। जिस प्रकार बहुत दिनों के रोगी को रोग-शय्या से उठने पर बड़ी भूख लगती है और यदि इस अवसर पर जरा सयम और नियन्त्रण से काम न लिया जाय, तो वह जरूरत से ज्यादा खा जाता है, जिसका परिणाम उसके लिये वलवर्द्धक या स्वास्थ्यकर न होकर हानिकर ही होता है। यही हाल किसी हृदय तक आज नये युग की नारी का भी है। युगों तक वह पर्दे, घर की चहारदीवारी या समाज के रीति-रिवाजों के आडम्बर में कैद रही है। आज एक जमाने के बाद उसने बाहर आकर स्वच्छन्दता से स्वतन्त्रता के बातावरण में सांस ली है। घर के बाहर का जीवन उसे प्रिय लगा है—बाहरी दुनिया उसके लिये एक अजीब आकर्षण और सम्मोहन लिये हुए है। उसे ऐसा जान पड़ रहा है मानो सब दिशाएँ—जीवन के सब क्षेत्र—हाथ बढ़ा कर उसे अपनी आर बुला रहे हैं। वह भी चाहती है कि वह सब तरफ जाय, सब-कुछ करे, जिधर उसे जाना चाहिये, उधर जाय और जिधर न जाना चाहिये, उधर भी जाय, जो उसे करना चाहिये वह करे और न करने लायक भी जो-कुछ उसके जी मे आवे, करके देखे। आखिर इसमें

वुराई क्या है ? सदियों की गुलामी और समाज के बन्धनों में जकड़े रहने के कारण आज उसके हृदय में यह प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई है कि जो पुरुष करे, वह में क्यों न करें ? मानो आज उसने सारे सासार को चुनौती दे दी है कि दुनिया में कोई ऐसा कोना न रहे, जो सिर्फ पुरुष के लिये हो और नारी के लिये नहीं। दुनिया में कोई ऐसा काम न रहे, जो सिर्फ पुरुष कर सके और नारी नहीं। होसला-अफजाई के लिये पुरुष नारी की या स्वयं नारी अपनी पीठ भले ही ठोक ले, पर अन्त में यह विकृत स्पर्धा उसे अपने चरमलक्ष्य तक पहुँचाने में शायद सफल न होगी, ऐसा हमारा अनुमान है।

जीवन के जिस मार्ग में वह आज बड़ी तीव्रगति से बढ़ी जा रही है, कौन कह सकता है कि कल जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ जाने पर, अपनी गलती महसूस कर, उसे वापस लौटना नहीं पड़ेगा ? आगे बढ़ कर पीछे लौटना अपमान नहीं तो क्या उसके लिये गलानि और दुख का हेतु न होगा ? तब क्यों न वह आज ही फूँक-फूँक कर पाँव आगे धरे ? एक कदम और आगे बढ़ाने से पहले गम्भीरतापूर्वक यह सोच ले कि उसका हित-अहित कहाँ तक उससे प्रभावित होगा ? सम्भव है, उसकी यह धारणा हो कि जिस पुरुष ने उसे चिर-काल तक गुलाम बनाये रखा, वह उसका हितैषी या पथ-प्रदर्शक कैसे हो सकता है ? अत वह पुरुष की बात क्यों माने ? किसी हृद तक उसकी यह धारणा ठीक भी है, पर वह स्वयं तो अपना हिताहित सोच सकती है। कल उसने पर्दा छोड़ा, आज घरं छोड़ा और मुमकिन है, कल वह 'पति' कहे जानेवाले पुरुष को भी अपना शत्रु नहीं तो प्रतिस्पर्धी समझ कर छोड़ दे, हालाँकि इसकी सम्भावना अभी बहुत ही कम देख पड़ती है। जब वह 'पूर्ण स्वतंत्र और स्वावलम्बी' होने के लिए निकल पड़ी है, तो उसे अपना हिताहित भी, सोचना ही पड़ेगा।

(अब हम नये युग की नारी जीवन के जिन विभिन्न क्षेत्रों में अग्रसर हुई हैं, पृथक्-पृथक् रूप से उन पर प्रकाश डालेंगे। हमारा प्रयत्न सिर्फ

यह दिखाना होगा कि नये युग की नारी ने जो ग्रसाधारण उन्नति की है, उसमें जहाँ-तहाँ 'विकास की विकृति' के कीटाणु भी हैं या नहीं ? सभी क्षेत्रों में वह आगे बढ़ी है, पर कहीं-कहीं वह जस्तरत से ज्यादा और गलत दिशा की ओर भी चल पड़ी है। सबसे प्रथम हम शिक्षा की ही बात लेते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में

नारा ने सबसे अधिक क्रान्ति की है। इस क्षेत्र में वह कभी-कभी पुरुष से भी आगे बढ़ गई है। उसने यह सिद्ध कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएँ/मिलने पर नारी पढ़ने में भी पुरुष से कम नहीं है, वह उसकी व्रावरी कर सकती है और उससे आगे भी निकल सकती है। कई बार उसने विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सर्वप्रथम रह कर पुरुष के मिथ्या गर्वको खर्ब किया है। अपनी इस सफलता पर नारी को गर्व हो सकता है और पुरुष को प्रसन्नता भी, पर देखना तो यह है कि उसकी विश्वविद्यालय की यह सफलता, अच्छे-अच्छे प्रशासापत्र और प्रमाण-पत्र और पढ़ाई में तेज रहने के कारण मिले हुए पदक और पारितोषिकों ने उसके 'जीवन की सफलता' में कहाँ तक योग दिया है ? अँगरेजी, इतिहास, गणित, विज्ञान या दर्शन में बी० ए०, एम० ए० की डिग्री या डॉक्टरेट प्राप्त करनेवाली महिलाओं के जीवन ने समाज को अथवा स्वयं उन्हें क्या लाभ पहुँचाया है ?

उत्तर स्पष्ट है—उच्च शिक्षा प्राप्त कर नये युग की नारी ने अपने लिये एक ज्यामार्ग खोज निकाला है और वह है 'नौकरियों की दौड़'। (इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि शिक्षा ने नारी को अधिक स्वतन्त्र व स्वावलम्बी, विचारशील और पार्थिव दृष्टि से उन्नत एव समृद्ध बना दिया है) पर यदि हमारा अनुभव गलत और आन्तिपूर्ण नहीं है, तो कहना पड़ेगा कि वह 'स्त्रीत्व' और 'मातृत्व' से कुछ दूर-सी हट गई या हट रही है। घर और गहर्स्थी के कामों से उसे एक प्रकार की घृणा नहीं तो अखंचि-सी

७५

अवश्य हो गई है। एक तरह से घर उसके लिये जीवन का प्रधान क्षेत्र न रह कर नहाने-धौने और सोने की जगह-मात्र रह गया है। भोजन उसे होटल या बाजार में मिल जाता है। चाय या नाश्ते के लिये रैस्टोरें, काफे आदि की कमी नहीं है। सुबह पार्क या बाग और शाम को क्लब या टैनिस-कोर्ट उसके मनोरजन के लिये है ही। दिन सारा स्कूल, दफ्तर या अस्पताल में बीत जाता है और शाम क्लब, सिनेमा, पार्टी या सैर-सपाटे में। बस नित्य-क्रियाओं से निवृत्त होने और रात को सोने के लिये उसे 'घर' की आवश्यकता ज़रूर है। नित्य-क्रियाओं से निवृत्त होने की सुविधा तो अब बाहर भी प्राप्त होने लगी है और यदि पाश्चात्य देशों की भाँति हमारे देश में भी 'रात्रि-क्लबों' का प्रचार बढ़ा, तो शायद सोने के लिए घर लेना भी कभी अनावश्यक और फजूलखर्ची समझा जाने लगेगा। अस्तु—

यह स्थिति भारत के बड़े-बड़े शहरों में रहनेवाले उच्च शिक्षा-प्राप्त धनी परिवारों की है। पर मध्यम श्रेणी की और साधारण पढ़ी-लिखी नारी पाश्चात्य सभ्यता की दृष्टि से अभी इतनी आगे नहीं बढ़ सकी है। मोटर, टेनिस का रैकेट, क्लबों की चुहलबाजियाँ और फैशन-परस्ती उसका जी ज़रूर लुभाती है, पर अर्थाभाव उसे आगे बढ़ने नहीं देता। ऐसी नारी पढ़-लिखकर भी नई रोशनी की सभ्यता के ख्याल से 'अधिकाज्जरी' ही रह जाती है। कभी-कभी वह अपने लिये इस विशेषण का प्रयोग देख-कर अपने को कुण्ठित अथवा ग्लानि-गलित भी महसूस करती है, पर कुछ भिखरक और कुछ आर्थिक-अड़चनों के कारण वह इस कलङ्क को एकदम धो नहीं सकती। इसीलिये उसका बाहरी जीवन चद घण्टों का ही है, अधिकाश समय उसे घर में ही बिताना पड़ता है। इसी मजबूरी के कारण उसका अपने घर से थोड़ा-सा सम्बन्ध बना रह गया है और उसने इसे एकदम पति या नौकर के हाथों नहीं सौंप दिया है।

हो सकता है, हमारे इस कथन में किसी हद तक अत्युक्ति हो। पर

हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम यह वात १०० फीसदी स्त्रियों के सम्बन्ध में नहीं कह रहे। अपवाद सब देशों में सब समय होते रहे हैं, पर आम धारणाएँ वहुमत के आधार पर ही बनाई जाती हैं। हम समझते हैं कि इसमें तो दो भूत होने की विशेष सम्भावना नहीं है कि उच्च या साधारण शिक्षा-प्राप्त स्त्रियों के मन में घर और गृहस्थी के प्रति किसी हद तक उदासीनता का भाव आ गया है। कहीं-कहीं इसका कारण आलस्य और अकर्मण्यता है, तो कहीं-कहीं तर्क (या कुतर्क?) और Business Viewpoint। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों के सम्बन्ध में हानि और लाभ बतलाये जा सकते हैं, क्योंकि दलीलवाजी की सीमा निर्धारित करना असम्भव है। पर इस विवाद में न पंड कर हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि उच्च या साधारण शिक्षा-प्राप्त नारी को घर और गृहस्थी में आज 'जीवन का रस' नहीं देख पड़ रहा है। पाठक-पाठिकाओं को अम न हो, अत हम अपनी यह वात फिर दोहरा दें कि हमारा मतलब यह नहीं है कि सब शिक्षित स्त्रियों की घर-गृहस्थी का यही हाल है। बहुत से ऐसे शिक्षित दम्पति भी हैं, जो साधारणतया बड़े सुखी और सन्तुष्ट हैं। पर इनकी सख्त्या भारत की जन-सख्त्या को देखते हुए बहुत कम है। अधिक सख्त्या उन्हीं की है जो अविश्वास, सन्देह, धृणा, अरुचि, कलह, मनमुटाव और जिल्लत का नीरस गृहस्थ-जीवन विता रहे हैं। बहुत से अलग-अलग रहने लगे हैं और बहुत से 'तलाक' का सोन्न-सोचकर भी रह जाते हैं। ये सब बातें प्राय सर्वसाधारण तक पहुँचने नहीं पाती। बहुत से शिक्षित दम्पति तो मन-ही-मन में परस्पर कुत्ते-विल्ली का-सा स्वभाव होने पर भी लोक-लाज के डर से ऊपर से घर के बाहर बड़े खुश और हिले-मिले देख पड़ते हैं। किन्तु वास्तविक सुख और शान्ति कितने शिक्षित परिवारों में हैं, यह कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है।

इससे हमारा मतलब यह कदापि नहीं है कि स्त्री को शिक्षा देनी ही

नये युग की नारी

नहीं चाहिये, या शिक्षिता स्त्री घर-गृहस्थी के काम की नहीं रहती। ऐसा ख्याल करना अपनी सङ्कीर्णता और मूर्खता का ही इजहार करना होगा। पर यह जरूरी है कि शिक्षा पात्र की आवश्यकता और उपयोगिता को देख कर दी जाय। एक ही प्रकार की शिक्षा सब लोगों के लिये सब समय हितकर नहीं हो सकती। जहाँ तक हम समझ पाये हैं, स्त्रियों को आजकल जैशिक्षा दी जा रही है, वह सर्वांश में उनके उपयुक्त नहीं है। हमारे घर या गृहस्थी की अशान्ति का एकमात्र कारण यही है। स्त्री पर 'स्त्रीत्व' और 'मातृत्व' की गुरुतम जिम्मेदारियाँ हैं और इन्हीं को सम्यक् रूप से विभास करनेवाली शिक्षा नहीं। इस दृष्टि से आजकल स्त्रियों को जो शिक्षा मिल रही है, वह एक प्रकार से कुशिक्षा ही है। फिर यदि कॉलेज से बी० ए० या ए० ए० होकर निकलनेवाली युवती स्त्रीत्व या मातृत्व की जिम्मेदारी को न समझे, भार-रूप या जी का जञ्जाल समझे, घर-गृहस्थी के कामों में रसन ले, तो इसमें बेचारी नारी का क्या दोष? जो शिक्षा स्त्री में स्त्रीत्व या मातृत्व को भावना जागृत कर सकती थी, वह तो उसे दी ही नहीं गई। फिर यदि उनके प्रति उसकी उदासीनता या उपेक्षा-भाव हो, तो इसमें आश्चर्य ही क्या?

स्त्री के उपयुक्त शिक्षा कैसी हो, यह एक पृथक् लेख का विषय है। इस समय तो हम केवल यही बताना चाहते हैं कि अशिक्षा के अधकार से निकल कर आज नये युग की नारी शिक्षा के जिस प्रकाश-क्षेत्र में बढ़ी और बढ़ रही है, वह उसके लिये सर्वथा उपयुक्त नहीं है। इसका कारण चाहे दिशाभ्रम हो, चाहे दुर्दमनीय महत्वाकांक्षा और चाहे पुरुष की बराबरी करने की स्पर्धा, पर है यह उसके लिये किसी हद तक गलत मार्ग। इस बात पर उसे आज भली भांति विचार कर लेना चाहिये। पर हम यह भी नहीं कहते कि वर्तमान शिक्षा का मार्ग उसके लिये एकदम गलत ही है और इससे उसे लाभ कुछ नहीं हुआ है।

४

आर्थिक क्षेत्र में

वास्तव में देखा जाय तो इसमें शिक्षा के कारण ही नारी का प्रवेश हुआ है। पढ़-लिख कर उसने अपने अस्तित्व और अधिकारों को समझा है। पुरुषों के अत्याचारों का मुकाबिला करने और उनकी अधीनता से मुक्त होकर समाज और घर में अपना उचित स्थान प्राप्त करने की भावना उसमें जाग्रत हुई है। पर इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ उसे यह हुआ है कि आज वह किसी अद्वा तक अपनी जीविका के लिये अनिवार्यत एकमात्र पुरुष पर ही निर्भर नहीं रही है। कुत्ते-बिल्ली की तरह पुरुष टुकड़ा फेंके, तभी उसका पेट भरे, यह अब अतीत की गाथा हो गई है। गाय-भैस की तरह घर के खूंटे से बँधी रहकर वह पुरुष के लिये दिन-भर मज़दूरनी की तरह काम करे, कष्ट, अवहेलना और अपमान सहे, रुखा-सूखा खाय और मोटा तथा फटा-पुराना पहने, इसमें उसने नये परिवर्तन एव सशोधन कर लिये है। इसका परिणाम यह हुआ है कि उसके प्रति पुरुष के व्यवहार में काफी परिवर्तन आ गया है। मन में सशङ्कृत एव भयभीत होने पर भी वह नारी को आदर और समानता की दृष्टि से देखने लगा है, हालांकि अभी इसमें स्वाभाविकता की अपेक्षा कृतिमता की ही बूँ अधिक है। पर शिक्षित होकर और आर्थिक-क्षेत्र में प्रवेश कर नारी ने पुरुष को 'सीधा' कर दिया है, उसके होश-हवास दुरुस्त कर दिये हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं।

हम यह मानने को तैयार नहीं कि नारी के आर्थिक-क्षेत्र में प्रवेश करने से पुरुष को किसी हद तक वेकारी का शिकार होना पड़ा है। जो लोग यह दलील देते हैं, वे एक प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में नारी के प्रवेश को बन्द या कम करना चाहते हैं। आर्थिक-क्षेत्र में भी नारी ने केवल नौकरियों के विभाग में ही प्रवेश किया है। उन अगणित व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्रों में, जिन पर अभी भी पुरुष का एकाधिकार है, अभी तक उसका प्रवेश

प्रायः बिल्कुल नहीं हुआ है; बल्कि यो कहना चाहिये कि उनकी ओर अभी उसने ध्यान ही नहीं दिया है। नौकरियों में भी नारी ने अपने लिये अभी केवल अध्यापिका, डॉक्टरनी, नर्स, धाय, आदि के कामों को ही चुना है— प्राइवेट-सेक्रेटरी, टाइपिस्ट, क्लार्क, वारंमेड, दुकानपर सौदा बेचने, बुकिङ्ज अथवा टेलीफोन-ऑपरेटर आदि की ओर भारतीय नारी विशेष रूप से आकृष्ट नहीं हुई है; यद्यपि पश्चिमी देशों में ये नौकरियाँ एक प्रकार से नारी के लिये ही सुरक्षित हैं। विशेषज्ञों ने प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इन कामों में विशेष शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता न होने से ये नारी के लिये विशेष उपयुक्त हैं। हमारी समझ में भारतीय नारी को भी इस ओर क़दम बढ़ाना चाहिये।

~~ग्राथिक क्षेत्र~~ में नारी का प्रवेश उसके अपने लिये, पुरुष के लिये और वस्तुतः समाज के लिये बड़ा ही हितकर सिद्ध हुआ है। अनुभव ने सिद्ध कर दिया है कि स्त्रियों और बच्चों का डलाज जितनी अच्छी तरह नारी (डॉक्टरनी) कर सकती है, पुरुष (डॉक्टर) नहीं। छोटे बच्चों को जिस प्यार से नारी पढ़ा सकती है, पुरुष नहीं। प्राय देखा जाता है कि पुरुष की प्रकृति कठोर होने से उसके हँसने पर भी बच्चे भयभीत ही रहते हैं। 'मास्टर जी पीटेगे' यह डर बहुत से बच्चों के स्कूल न जाने का एक मुख्य कारण है। इसीलिये पश्चिमी देशों में आजकल किडरगार्टन या माटीसोरी की शिक्षा के लिये प्रायः स्त्रियाँ ही रखती जाती हैं, पुरुष नहीं। ज्यो-ज्यो स्त्री-शिक्षा का प्रसार होता जा रहा है, वयस्क कन्याओं को पढ़ाने के लिये भी नारी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। नर्स या धाय का काम तो शायद एकमात्र नारी की ही व्यौती है।

हम नहीं कहते कि शिक्षा की भाँति आर्थिक क्षेत्र में भी नारी गलत मार्ग में बढ़ी है। इस क्षेत्र में वह जितनी आगे बढ़ सकती थी या जितनी उसके बढ़ने की गुजाइश है, अभी वह उतनी नहीं बढ़ी है। पर जितनी भी वह बढ़ी है, उसका परिणाम उसके लिये विशेष अच्छा नहीं हुआ है।

नौकरियों के फेर में पड़ कर उसने थोड़ा-सा आर्थिक स्वावलम्बन जखर प्राप्त कर लिया है, पर चाँदी के चन्द टुकड़ों के लिये वह अन्य कई प्रकार से परमुखापेक्षी हो गई है। उसके कपड़े सीने व धोने, रोटी बनाने, घर को भोड़ने-चुहारने, सँभालने-सँवारने तथा वच्चों की देख-रेख करने के लिये आज उसे 'एक दूसरे व्यक्ति' की जखरत होने लगी है—भले ही वह व्यक्ति पति हो, नौकर या नौकरानी हो या कोई सगा-साथी। थोड़े से आर्थिक स्वावलम्बन के लिये उसने कितना बड़ा परावलम्बन अपने सिर लाद लिया है, यह शायद वह अभी ठीक-ठीक सोच या समझ नहीं पाई है। दिन-भर नौकरी करके वह जो पैसे जुटा पाती है, वे नौकरों के बेतन, कपड़ों की धुलाई-सिलाई, मकान-भाड़ा और ऐसे ही अन्य खर्चों में चले जाते हैं, वास्तव में देखा जाय तो यह स्वावलम्बन उसके लिये बड़ा महँगा है। भले ही वह समझे कि घर के काम-धन्धों से उसका पिण्ड छूट गया, नौकर सब-कुछ कर देते हैं और वह आराम से रहती है। पर जरा विचारपूर्वक देखा जाय तो इस तरह का स्वावलम्बन आर्थिक, नैतिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से उसके लिये बड़ा हानिकर है। यह स्वावलम्बन उसके मातृत्व या स्त्रीत्व के कर्तव्य-पालन के मार्ग में एक हद तक वाधक सिद्ध होता है। सच पूछा जाय तो इससे नारीत्व का शनै-शनै हास होता जा रहा है। इससे नारी अपने पवित्र और प्रतिष्ठित स्थान से कुछ हट-सी गई है।

हमारा यह आशय कदापि नहीं है कि नारी इस क्षेत्र में प्रवेश ही न करे अथवा विशेष आगे न वढे। हमारा कहना तो यह है कि इस क्षेत्र में वह इतनी आगे भी न वढ जाय कि उसे अपना, अपने घर और बाल-वच्चों का अपनी स्थिति का तथा अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व का कोई ध्यान ही न रहे। आर्थिक स्वावलम्बन चाँदी की चादर वन उसके समूचे जीवन को—उसके अन्तरज्ञ और बहिरज्ञ को—आच्छादित न कर ले। अर्थार्जिन उसकी जीविका का साधन भले ही हो जाय, किन्तु उसके जीवन का चरम लक्ष्य नहीं। नारी-जीवन की महत्ता और ध्येय

को हम धुँधला या चाँदी के टुकड़ों पर कुर्बान होता नहीं देख सकते। हमारा तो दृढ़ विश्वास है कि पुरुष के जीवन की कुञ्जी नारी के हाथ में है। उसके उत्थान और पतन का प्रत्यक्ष या परोक्ष कारण वही हो सकती है। उसकी महत्ता और ध्येय का अक्षुण्ण रहना ही, उसके, पुरुष के और सुतरा समाज के लिये गर्व और गौरव का हेतु हो सकता है।

सामाजिक क्षेत्र में

नारी का प्रवेश उसकी शिक्षा और आर्थिक स्वावलम्बन का प्रतीक है। सामाजिक क्षेत्र को हमने उसकी शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र से पृथक् इसलिये माना है कि पुरुष की दीर्घकालीन अधीनता से मुक्त होने के लिये उसे शिक्षित और स्वावलम्बी होने के साथ ही कुछ अतिरिक्त प्रयत्न भी करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में उसे अपना सुधार करने, अपनी वुराइयों और कमजोरियों को दूर करने तथा अपने अधिकारों को प्राप्त करने और सुरक्षित रखने के लिये एक नवीन प्रयत्न और अनथक परिश्रम करना पड़ रहा है। घर की भाँति समाज में भी पुरुष ने उसे दबाकर रखा है, कभी उभरने का अवसर नहीं दिया। समाज के नियमों और पद्धतियों का जाल उसने कुछ ऐसा विछाया है कि नारी को उसकी अधीनता और रूढिवाद से मुक्त होकर अपना स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित करने का अवसर ही न मिले। नारी की सामाजिक दुरवस्था एक प्रकार से पुरुष का बहुत बड़ा स्वार्थ बन गई है। वह चाहता है, सोचता है और भरसक प्रयत्न करता है कि नारी अपनी इस स्थिति से ऊपर न उठ सके। विचार-सङ्कीर्णतावश आज उसके मन में यह शङ्का उठ खड़ी हुई है कि समाज में अगर नारी का प्रभुत्व हो गया, तो उसकी दुराकाक्षाओं और पाशविक-मनोवृत्ति का—जिसका कि वह अब आदी हो गया है—एकबारगी खात्मा हो जायगा। शब्दान्तर में कहा जा सकता है कि अधिकारों के लिये आज उसमें और नारी में एक जबरदस्त जहोजहद चल रही है। दोनों इस

वात के लिये प्रयत्नशील हैं कि घर और जीवन में प्रभुत्व 'मेरा' रहे। उसके इस जीवन-संग्राम या स्पर्धा का क्षेत्र आज का समाज है।

समाज में नारी अभी अपनी स्थिति सँभाल या सुदृढ़ नहीं कर पाई है। कह सकते हैं कि उसका एक पाँव अभी घर में है और दूसरा घर के बाहर—समाज में। घरवाला पाँव भी वह उठाकर समाज में रख सकेगी या समाजवाला पाँव उठाकर उसे घर में रखना होगा, इसका निर्णय उसकी शिक्षा और आर्थिक स्वावलम्बन का भविष्य ही करेगा। इस समय घर से वह पाँव उठा चुकी है और समाज में पाँव रख भी चुकी है, पर मज़बूती से नहीं। हमारे समाज का ढाँचा ही कुछ इस प्रकार का बना हुआ है कि नारी यहाँ अपने दोनों पाँव दृढ़तापूर्वक जमा कर खड़ी हो सकेगी, इसमें कई तरह की आशङ्काएँ और कठिनाइयाँ हैं। नारी को सफलता मिल रही है, मिलने की गुञ्जाइश भी है, पर वह कव तक कृतकार्य होगी या न होगी, यह कहना अभी कठिन है।

शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वावलम्बी होकर भी समाज की बहुत-सी शृङ्खलाओं से आज नारी वच नहीं सकती है। समाज की सबसे कड़वी गोली—जिसे मन या वेमन से उसे निगलना ही पड़ता है—है 'विवाह'। पुरुष ने समाज का जो विधान बनाया है, यह उसकी सबसे बड़ी बेंडी है। जब कभी अपवाद-स्वरूप नारी ने इस बेंडी को पाँव में डालने से, इस कड़वी गोली को निगलने से, इन्कार किया है, समाज ने—जो आज एकमात्र पुरुष की कूटनीति का जाल-भर है—वदनाम कर, खिल्ली उड़ा कर, आरोप और अभियोग लगा कर उसे इतना कठोर दण्ड दिया है कि वह कही की नहीं रह गई है। कई बार तो इससे तङ्ग आकर या तो उसे बलि का बकरा बनना पड़ा है या फिर पुरुष की गुलामी को स्वीकार करना पड़ा है। विवाह ने समाज और पुरुष के बीच में नारी के निस्तार का कोई तीसरा मार्ग ही नहीं रखवा है। हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि नारी विवाह को एकदम तिलाज्जलि ही दे दे। यह तो सर्वथा

असम्भव, अव्यावहारिक और अहितकर होगा। पर हम यह जरूर कहेंगे कि उसे इसमें आमूल-चूल परिवर्तन अवश्य करना होगा—यदि उसे स्वाभिमान और इज्जत के साथ जीना है। क्योंकि हमारे समाज के केवल कान हैं, आँखे नहीं, शायद हृदय भी नहीं। इन चीजों का समावेश उसमें नये युग की नारी को ही करना होगा।

यदि हम यह नहीं कहे कि सामाजिक क्षेत्र में भी नारी एक गलत दिशा की ओर बढ़ रही है, तो यह तो जरूर कहेंगे कि वह उस ओर जाने की तैयारी कर रही है। शिक्षा और आर्थिक स्वावलम्बन से उसने जो स्वच्छन्दता प्राप्त की है, पुरुष आज उससे अनुचित लाभ उठाने पर उतारू हो चला है। इस बार पुरुष ने पाश्विक वल, आर्थिक प्रलोभन, धर्म या समाज के कानूनों का सहारा न लेकर एक नई चाल चली है। इस बार उसने अपने आपको स्वतन्त्र, स्वच्छन्द या स्वावलम्बी कहनेवाली शिक्षिता नारी को पश्चिम के सब्ज बाग दिखाये हैं, उनकी गुलाबी छाया दिखाकर उसने नारी को गलत दिशा में 'आगे बढ़ाने' की कोशिश की है और नारी भी पुरुष के हृदय में छिपी हुई 'शरारत' को भली भाँति न पहचान सकने के कारण उस ओर चल पड़ी है। हम नहीं कहते कि पुरुष नारी का शत्रु है। पर जिस पुरुष ने नारी को सदियों तक अपनी दासी और मन बहलाने की गुड़िया बना कर रखा है, वह उसका प्रथम श्रेणी का हितू कब और कैसे हो सकता है? जहाँ तक समाज और अधिकारों का प्रश्न है, पुरुष नारी का प्रतिस्पर्धी है। उसके चगुल से मुक्त होने का उपाय नारी को स्वयं सोच निकालना है। यह भ्रम या नासमझी नहीं तो क्या है कि नारी यह विश्वास कर बैठी है कि पुरुष स्वयं उसे अपने चगुल से मुक्त होने का गुर बतायगा। पुरुष ने कहा—'शुभे! हम तुझे पूजेगे, तेरा आदर करेगे, तू हमारे घर की लक्ष्मी है, हम तुझे समाज में अपने बराबर स्थान और अधिकार देगे।' इस लुभावने वाक्-जाल में फँस कर नारी ने अपने ऊपर उठने और आगे बढ़ने का प्रयत्न एक प्रकार से छोड़ दिया है। आज

वह पुरुष का हाथ पकड़ कर जिस ओर नढ़ी जा रही है, उस ओर जाने में उसकी अपेक्षा पुरुष का ही स्वार्थ अधिक है। हमारा अपना तो यह ख्याल है कि पश्चिम की सभ्यता और वहाँ की वस्तु-स्थिति भारतीय नारी को आगे बढ़ने में न तो विशेष सहायता दे सकेगी और न उसका उचित रीति से मार्ग-प्रदर्शन ही कर सकेगी। अस्तु—

नये युगकी बननेवाली सभ्यता ने नई रोशनी ने, जीवन के नये दृष्टिकोण ने जहाँ नारी में आगे बढ़ने और ऊपर उठने का अदम्य उत्साह, अपार साहस और असीम महत्वाकांक्षा को उत्पन्न किया है, वहाँ उसमें कुछ ऐसे विषैले कीटाणु भी छोड़ दिये हैं—या ये स्वयं उत्पन्न हो गये हैं—जो आगे चल कर शायद 'ग्रनिष्ट' का रूप धारण करे। यह हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे, वल्कि सिर्फ यही कह रहे हैं कि प्रासार कुछ ऐसे ही नज़र आते हैं। सम्भव है, बहुत से भाइ और बहन—विशेष कर बहने—शायद हमारे इस कथन से सहमत न हों। जो कुछ भी हो, हम चाहते हैं कि जीवन के जिस भी क्षेत्र में नारी आगे पाँच बढ़ाये, वह पहले भलीभांति विचार ज़स्तर कर ले।

नारी, विवाह और समाज

कुछ समय पूर्व—‘चॉद’ मे श्री सन्तरामजी बी० ए० ने ‘हिन्दू-समाज पर वैवाहिक-सकट’-शीर्षक लेख लिखकर देशका ध्यान जीवन और समाज की एक अतीव महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकृष्ट किया था। उसमे विद्वान लेखक ने वहु-विवाह से समाज को होनेवाली हानि की ओर सङ्केत करते हुए वतलाया है कि तलाक की प्रथा जारी किये बिना एक पत्नीत्व की प्रथा चल ही नहीं सकती। पर लेखक महोदय ने कदाचित् तलाक और वहु-विवाह के मूल कारण पर प्रकाश डालने की कृपा नहीं की है। वह है हिन्दू-समाज की मौजूदा दूषित विवाह-प्रणाली । आजकल होने-वाले विवाहों मे से ६० प्रतिशत एकदम विफल रहते हैं। वजाय इसके कि हम अधाधुन्ध विवाह करके फिर उसे जैसे-तैसे निभाने की कोशिश करे और यह आशा करे कि उसकी प्रतिक्रिया दुख और दुराचार के रूप मे न हो, क्या ही अच्छा हो अगर हम उसे अधिक सोच-समझ कर करे और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की सम्भावना ही कम कर दे। ।

नारी की पराधीनता

हिन्दू-समाज पर वैवाहिक सङ्कट आज से नहीं, एक लम्बे युग से आया हुआ है। जिन किवदन्तियो पर हमारे जातीय इतिहास का आधार है, वे इतिहास के लिये विच्छिन्न भले ही हो, पर दरअसल हमारी बुद्धिहीनता और विचार-शून्यता की ही द्योतक हैं। विवाह-प्रणाली के दोषयुक्त और विश्वस्त बोने का एक बहुत बड़ा कारण है हमारे समाज मे स्त्रियो की पराधीनता और स्वयं उनका परावलम्बन। कहने के लिये हमारे यहाँ स्त्रियो की पूजा भी होती रही है, उनका आदर भी होता रहा है, उन्हे

आजादी भी खूब रही है, पर अगर जरा बारीकी से देखा जाय, तो पता चलेगा कि इस सब ढोग की तह मेरहा है पुरुष का स्वार्थ, उसकी अधिकार-लिप्सा और नारी को अपने पाँव की जूती या ढोर, गँवार और पशु की श्रेणी में रखने की अमानुषिक प्रवृत्ति। इसीलिए उसने उसे अपने विलास और सम्पन्नता के लिये मनचाहे ढङ्ग से बेचा, खरीदा, रक्खा, निकाला —गुडिया की तरह सजाया या भिखारिन बना कर घर से बाहर निकाल दिया। वह युग शिक्षा और सभ्यता का नहीं, पशु-बल का था, जिसमे प्रकृति ने ही नारी को पुरुष से दुर्बल और हीन बनाया था। अपने स्नेह और कोमलता से वह पशु-बल के धनी परुष-हृदय पुरुष पर विजय नहीं प्राप्त कर सकी, बल्कि उसे पाशविकता की बेदी पर असहाय और विवश होकर अपनी तरुणी मानवता का वलिदान कर देना पड़ा। आप इसे नैतिक कहे या अनैतिक, पर थी यह नारी की पराजय। इस पराजय ने न सिर्फ उसके शरीर को, बल्कि मन को भी दुर्बल और साहसहीन बना दिया। उसने पुरुष की अधीनता को ही अपना सौभाग्य समझा। इसी का परिणाम है कि आज उसे इस अभिशाप से छुटकारा पाने के लिये अनथक परिश्रम करना पड़ रहा है और अभी बहुत दिन करना पड़ेगा।

उसकी इस विवशताजन्य पराधीनता का पुरुष ने पूरा-पूरा लाभ उठाया और उसे सदा के लिये अपना गुलाम बनाये रखने को धर्मविधान रखा। जास्त्र कहे जानेवाले यह ग्रन्थ मानवता के कलङ्ग तो हैं ही, साथ ही पुरुष की नीचता, स्वार्थपरता और वुद्धि-भ्रष्टता के सबसे बड़े प्रमुख भूमि है। फिर मनु और तुलसीदास-जैसे भ्रम फैलानेवाले लेखक इस पर धर्म का रङ्ग चढ़ाने को मिल गये। नारी को कब और क्या पढ़ाया जाय, क्या खिलाया और क्या पहनाया जाय, कब और किससे उसका विवाह किया जाय, इस सब के निर्णय का एकाधिकार अपने लिये सुरक्षित करके पुरुष ने उसे एकदम पगु बना दिया है। उसके टुकड़ों पर पलनेवाले धर्म-गुरुओं और पुरोहितों ने इसे विधाता का लेख बनाने के

लिये लिख दिया कि बचपन में नारी (कन्या) पिता के, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था गे पुत्र के अधीन रहे ।¹ कितना सुन्दर विचार और ऊँचा विधान है । गोया स्त्री कैसी ही सती, साध्वी और सदाचारिणी क्यों न हो और पिता, पति अथवा पुत्र कहा जानेवाला पुरुष कितना ही दुर्वृद्धि, दुराचारी और पतित क्यों न हो, रहना उसे उसी के अधीन होगा, क्योंकि स्वतंत्र तो वह बचपन से बुढ़ापे तक हो ही नहीं सकती ।

स्वयम्भर की विडम्बना

इसी स्वार्थ के कीडे पुरुष ने उसके विवाह के लिये भी मनमाना वैधान बना दिया । जहाँ विवाह जीवन के विकास का एक सुखद प्रकरण होना चाहिये, पुरुष ने स्त्री के लिये उसे एक बन्धन बना दिया । पिता कहे जानेवाले पुरुष ने जिससे चाहा, लड़की को व्याह दिया, भले ही फिर वह जन्म भर भीकर्ती रहे । प्राचीनता के हिमायती प्राय. स्त्रियों की वैवाहिक स्वतन्त्रता की दुहाई देने के लिये 'स्वयम्भर' का प्रमाण दिया करते हैं । पर सच तो यह है कि वह ग्रपने स्वार्थ और नीचता पर पर्दा डालने की पुरुष की एक विडम्बना-मात्र है । कन्या को ऐच्छिक वर मिले, इस दृष्टि से पुरुष सदा वाधक सिद्ध हुआ है । उसने उसके लिये वर ढूँढते समय सदा अपनी प्रतिष्ठा और वैभव का खयाल पहले रखा है और कन्या के सुख-सामजस्य का बाद में । सती के स्वयम्भर में शिव का और सयोगिता के स्वयम्भर में पृथ्वीराज का न बुलाया जाना इस कथन के प्रमाण है । फिर स्वयम्भर में वे ही लोग बुलाये जाते थे, जो पर्याक्रम और वैभव में कन्या के पिता से बड़े या समान हो, नीच न हो । ऐसा अव्यक्ति ही कन्या के उपयुक्त वर हो सके, यह कोई तर्क नहीं और न इसमें अकलमन्दी का ही कोई अशा है । राम को शिव का धनुष तोड़ने के कारण और अर्जुन को तेल में परछाई देखकर गछली की आँख में तीर मारने के कारण अद्वितीय पति समझा गया । अगर जीवन में धनुप तोड़ने और मछली की आँख

मे निशाना लगाने का ही एकमात्र काम उस समय रहा हो, तब तो हम जनक और द्वृपद की बाकई हृदय से प्रशासा करेगे। पर अगर जीवन मे इसका गौण तथा प्रधान स्थान और-और वातो का रहा हो, तो कहना पड़ेगा कि यह सब बौद्धमपन से अधिक कुछ भी नहीं था। माना कि उस समय कलम का स्थान तलवार ने ले रखा था, पर केवल पशु-बल पर रीझ कर ही कन्या के जीवन की लॉटरी लगाना अकलमन्दी नहीं कहा जा सकता।

वर्तमान दूषित विवाह-प्रणाली

स्त्री का सरक्षक बनने का मोह पुरुष आज भी नहीं छोड़ सका है। स्त्री की आर्थिक और वौद्धिक विवशता ने उसकी इस विडम्बना को जीचित रखने मे और भी सहायता की और कर रही है। आज उसके लिये वर पुरुष ही खोजता है और वही उसकी योग्यता अथवा पात्रता का निर्णय करता है। विवाह से पूर्व कन्या को अपने भावी पति के विचारो, रुचि और श्वादतो से परिचित होने का मौका मिलना तो दूर रहा, देखने तक का मौका नहीं मिलता। विवाह के बाद वर अच्छा हो या बुरा, उसे इच्छा या अनिच्छापूर्वक सारा जीवन उसीके साथ बिताना पड़ता है। इस विवाह के औचित्य पर न्याय और धर्म की मोहर लगाने के लिये हिन्दू-कानून भी मौजूद है, जिसके अनुसार स्त्री अपने पति को छोड़ नहीं सकती—पति भले ही उसकी कुत्ते से भी बुरी दुर्गत करे तथा चाहे जितनी शादिय और कर ले। यह पक्षपात और अनौचित्य ही वर्तमान विवाह-प्रणाली का सबसे बड़ा दोष है।

स्वयम्भर के जमाने की बात और निशानेवाजी की परीक्षाएँ आज नहीं रही। जनक और द्वृपद के वशवर आज यह देखते हैं कि लड़के के घर मे जायदाद या जमीदारी है या नहीं, वह सरकारी मुलाजिम है या नहीं, कुल और घर अच्छा है या नहीं, कोठी, मोटर या रेडियो वगैरा हो तो कहना ही क्या है। बस, लड़की को उससे ब्याह देते हैं, फिर चाहे

वह नपुन्सक, चिर-रोगी, शारावी, दुराचारी और कुछ भी क्यों न हो। इस तरह जायदाद, द्रव्य और कुलीनता से लड़की के पिता की शान तो जरूर रह या बढ़ जाती है, पर लड़की का जीवन नरक से भी बुरा हो जाता है। वह लज्जा और सङ्क्रोच के मारे न विवाह से पहले कुछ कह सकती है और न वाद ही मे। न-मालूम कितनी लड़कियों का जीवन इस प्रकार नष्ट हुआ और हो रहा है। लड़के तो आजकल यह कहने भी लगे हैं, कि हम शादी से पहले लड़की को देखेंगे, पर लड़कियों के लिये तो यह उनकी शालीनता, साहस और सद्गुणों की सीमा के बाहर की बात है। अगर साहस करके कोई लड़की ऐसा कहे भी, तो निर्लंज्ज और विगड़ी हुई बताकर उसका समाज मे रहना मुश्किल कर दिया जाता है। कुछ लड़कियों ने साहस कर बूढ़े, खूसट या रोगी व्यक्तियों से विवाह करने से इन्कार जरूर किया है, पर केवल अपवाद-स्वरूप। लाखों का जीवन तो बनावटी लज्जा और सङ्क्रोच के कारण प्रतिदिन नष्ट होता ही है।

बहुविवाह क्यों होते हैं ?

यदि हम अपने समाज मे होनेवाले विवाहों की असगति और वेहूदगी को ठीक-ठीक समझ ले, तो विवाह के कारण को समझने मे हमें विलम्ब नहीं होगा। ऊपर हम कह आये हैं कि हमारे यहाँ विवाह वर और वधू की इच्छानुसार नहीं, बल्कि उनके माता-पिता या सरक्षकों की इच्छा से होते हैं। ऐच्छिक विवाहों मे समाज एक बहुत बड़ा अवरोध रहा है। लड़के और लड़की के बीच मे विवाह से पूर्व समाज की एक बहुत मोटी और ऊँची दीवार खड़ी रहती है। जब वह हटती है, तो वे दो अपरिचित व्यक्ति अपने-आपको एक-दूसरे से विवाह के उस बन्धन मे बँधा पाते हैं, जिसमे विच्छेद कानूनन निषिद्ध है। फिर उनमे कितना ही शारीरिक अथवा मानसिक विपर्यय क्यों न हो, पसन्द या नापसन्द करने का अधिकार उनसे छिन जाता है और उनके सामने केवल एक यही विकल्प रह जाता

है कि जैसे-तैसे जीवन-भर निभा ले जायें। समाज द्वारा जवर्दस्ती थोपे गये इस संयोग को बहुत-से तो जैसे-तैसे लड़-भगड़ कर या मन मार कर निभा ले जाते हैं, पर बहुत-से बीच ही मे विफल हो जाते हैं। यह असन्तुष्ट और तङ्ग आया हुआ वर्ग ही दुवारा या तिवारा विवाह करता है।

राजा-रईसों की बात जाने दीजिए। बिना परिश्रम के मिलनेवाला अपार इब्य उन्हे सुरा और सुन्दरी की विभिन्नताओं का सौजी बना देता है। वे बहु-विवाह करके या रखेलियाँ रखकर अपनी उद्दीप्त हुई काम-वासना की तृप्ति के लिए न-मालूम कितनी ललनाओं का जीवन नष्ट करते हैं। पर इसे हम विवाह या गार्हस्थ्य की श्रेणी मे परिगणित नहीं कर सकते। किन्तु साधारणतया जिसे जीवन-निर्वाह के लिये परिश्रम करना पड़ता है, जिसके जीवन का उद्देश्य केवल Eat, drink and be mainly ही नहीं कुछ और भी है, जो विवाह को केवल काम-वासना की तृप्ति का कानूनी पासपोर्ट ही नहीं समझता, जिसके लिए विवाह न 'सव-कुछ है' और न 'कुछ भी नहीं', वह स्वभावतया एक से अधिक जीवन-साथी की इच्छा कर ही नहीं सकता। पर इस सम्बन्ध मे यह विचारणीय है कि वह साथी जीवन का सच्चा साथी होना चाहिए, हाड़-मास का निर्जीव पुतला नहीं। विवाह-द्वारा पति और पत्नी मे जिस स्नेह और 'स्व' का आदान-प्रदान होता है, उसमे किसी तीसरे या चौथे हिस्सेदार के लिए कोई स्थान ही नहीं है। सुखी और सन्तुष्ट पति-पत्नी के लिए दूसरे विवाह या दूसरे से बैसा सपर्क स्थापित करने की कल्पना करना ही पाप है। अत यह कहना कि मनुष्य शान या शौक के लिए एक से अधिक विवाह करता है, मानव-मनोविज्ञान को न समझता है। शान और शौक के लिए जो एक से अधिक विवाह करते हैं, वे देहधारी मनुष्य होने पर भी पशु हैं, वासना के कीटे हैं। पर जो लोग समाज के अन्याय, अविचार और ज्यादती के शिकार हैं, जो समाज-द्वारा थोपे गये विवाह पर आत्मार्पण की भोहर नहीं लगा सके, वे क्रोध, धृणा और उपेक्षा के नहीं बल्कि दया, सद्भाव और सहानुभूति के

पात्र है। श्री सतराम जी ने जिन वहु-विवाहों का उल्लेख किया है, उन्हें समाज के इसी अन्याय, अविचार और ज्यादती की प्रतिक्रिया समझ कर हम उनके साथ सहानुभूति ही प्रकट करेगे।

समाज है क्या ?

जो भीतर और बाहर से एकरड़ है और रहना चाहते हैं, जिन्हे अपनी कमज़ोरी को छिपाने के लिये ईश्वर और धर्म की शरण लेने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, जो व्यक्ति और समष्टि के सम्बन्ध को दलालों का सौदा नहीं समझते, उनके लिये यह विचारणीय है कि 'समाज' कही जानेवाली चीज़ आखिर है क्या ? पाठक जरा बारीकी से 'समाज' के स्थापकों, समर्थकों और स्तम्भों की ग्रसिलियत पर नज़र डाले। अगर उनकी ग्रन्तर्दृष्टि और विवेकबुद्धि धोखा नहीं देती, तो वे अवश्य इस निर्णय पर पहुँचेंगे कि समाज पतितों और स्वार्थियों के एक गिरोह से अधिक कुछ भी नहीं है } वह दुराचार का दुर्दम दुर्ग, अन्याय का अँधेरा आगार और वुद्धिहीनता का बहुत बड़ा चिड़ियाघर है। वह उन स्वार्थियों का अहुा है, जो बिना श्रम किये, बिना योग्यता और पात्रता के धर्म, ईश्वर, न्याय और समाज के हित की दुहाई देकर पाप की कमाई खाना चाहते हैं। उसमे एक पल्ली के रहते अनेक स्त्रियों से अनुचित सम्बन्ध रखने-वाले और वहन या पुत्र-वधू तक को अपनी काम-वासना का शिकार बनाने-वाले अमीरों, 'बड़े' ग्रामियों और सुफेदपोश सुधारकों के लिये स्थान है, पर जिसका द्वार खुल्लम-खुल्ला अपनी इच्छा की शादी करके सद्गृहस्थ का जीवन बितानेवाले, ढोग, मक्कारी और धूसखोरी से धृणा करनेवाले सच्चरित्रों के लिये सदा बन्द है। विवाह के लिये स्त्री के शरीर और पुरुष की वासना की दलाली करनेवाले इन हृदय और आत्मा-विहीन लोगों का लाइसेन्स आखिर किस मर्जे की दवा है ? अगर इन लोगों का हृदय टोल कर देखा जाय, तो पता चलेगा कि बाहर के ये सुफेदपोश सुधारक

भीतर से कितने काले और धृणास्पद एवं अवाञ्छनीय चरित्र के हैं ? हमारे कहने का अभिप्राय केवल यही है कि हमें किसी चीज, व्यवित या बात की वुराई-भलाई का निर्णय करने के लिये ऐसे समाज की आड़ नहीं लेनी चाहिये । ऐसी कच्ची और थोथी नीव पर खड़े समाज से इतने बड़े उत्तर-दायित्व का बोझ सम्भल भी कैसे सकता है ? मिथ्या और कल्पित ग्राधार पर महल कैसे खड़ा किया जा सकता है ? यह तो एक धोखे की टट्टी है । इससे बुरे-भले के विवेक की आशा क्या और क्यों की जाय ?

एक जगह श्री सत्तरामजी ने लिखा है—“फिर जो अवस्थाएँ ऐसी हो कि उनको (?) दूसरी पल्ली करने की अनुमति देने में समाज की कोई हानि न हो, उन्हे अनुमति देने में कोई आपत्ति न होनी चाहिये । यदि ऐसा नहीं किया जायगा, तो समाज में घोर अनाचार और अत्याचार फैलेगा ।” पर समाज विशिष्ट अवस्थाओं में दूसरी पल्ली करने की आज्ञा देता है या नहीं, इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित मत स्थिर नहीं किया जा सकता । जो सम्पन्न है, प्रतिष्ठित है और चार आदमियों को टुकड़ा फेक कर या मुट्ठी गरम करके अपने साथ कर सकते हैं, उन्हे समाज से सब-कुछ करने की अनुमति मिल जाती है, या यो कहिये कि उनके हर वद और नेक फेल पर समाज अपनी स्वीकृति और ग्राधिकार की मोहर लगा देता है । मुश्किल तो उन ‘गरीब’ कहे जानेवाले साधारण लोगों की है, जिनके विचारों और कार्यों के बीच में पाखण्ड, दिखावा, जालसाजी और दावते देने या मुट्ठी गरम करनेवाली ‘नीति’ की दीवार नहीं खड़ी है । जो मन, वचन और कर्म से सर्वथा सच्चे और पवित्र है, पर जिन्हे ज्ञान-साजी और चरित्रहीनता पर मुलभ्मा चढ़ाने का आर्ट नहीं आता है, ऐसे लोग न सिर्फ समाज के अपवाद ही हैं, बल्कि उसके अन्याय और अत्याचारों से सबसे अधिक पीड़ित, सत्रस्त और अभागे शिकार भी हैं । यहाँ हमें अपने एक परिचित रायसाहब का स्मरण हो आता है, जिन्होंने अपनी पल्ली के जीते जी उसी की छाती पर अपनी विधवा किन्तु रूपवान् पुत्र-वधू को अपनी

'प्रेयसी' बना रखता है। यह वात सब जानते हैं, पर कोई कहता कुछ इस लिए नहीं कि रायसाहब से बहुतों का काम निकलता है। न्याय, धर्म और समाज के ठेकेदार कह देते हैं कि हमें किसी के खानगी जीवन से क्या लेना है? कोई कह देता है—यह सब दिल मिले की बात है, हम क्यों किसी के बीच मे पढ़े। किन्तु दूसरी ओर एक सुशिक्षित और सुधारवादी युवक है, जिसने न सिर्फ जात-पाँत तोड़ कर बल्कि कुमार्ग से बचाने के लिए एक वेश्या की कन्या से कानून और धर्म के अनुसार विवाह कर लिया है। लेकिन कहे जानेवाले समाज ने उसका जीना भी हराम कर रखता है। उस बेचारे को न कही नौकरी मिलती है और न रहने को सलीके का मकान ही। सर्वत्र उसकी निन्दा, उपेक्षा और भर्त्सना होती है। समाज के ठेकेदार कहते हैं कि उसने रण्डी की लड़की से शादी करके अपने कुल को कलङ्क लगा दिया, अपने पुरुषों की मान-मर्यादा पर पानी फेर दिया, विवाह के पवित्र आदर्श को नष्ट कर दिया आदि। ऊपर के इन दो उदाहरणों के देने का हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि पाठक जरा समाज की बुद्धि और दुर्बुद्धि का तथा उसके न्याय और अन्याय का विवेचन करे। ऐसी दशा मे समाज की अनुमति मिलने और न मिलने का अर्थ क्या है? उसकी वास्तविक हानि किस बात मे है और लाभ किस मे, यह भी इसी प्रवृत्ति से आँका जा सकता है। फिर क्या हम समाज की स्वीकृति-अस्वीकृति को अपने समाज के और देश के हित की कसौटी मान सकते हैं? स्पष्ट रूप से हम समाज के अस्तित्व और अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं। उसके न्याय को सिर झुका कर मान लेना बुद्धि को तिलाञ्जलि देना है।

विवाह और समाज

तो स्वभावत यह प्रश्न उठता है कि एक पत्नी के होने या न होने पर विवाह करने के लिए समाज की अनुमति क्यों ली जाय? क्या यह जरूरी है? हम नित्य-कर्म तो समाज की अनुमति से नहीं करते। खाना-पीना

श्रीर व्यापार-व्यवसाय भी समाज से पूछ कर नहीं करते। सन्तान की उत्पत्ति और मृतक का दाह-स्त्कार भी समाज से पूछ कर नहीं करते। फिर विवाह के लिए ही उसकी अनुमति ज़रूरी क्यों—चाहे यह पहला हो या दूसरा। पाठक कह सकते हैं कि अगर हर आदमी मनमानी करने लगे, नियम और संयम को ताक में उठा कर रख दे, तो बड़ा अनाचार और अराजकता फैल जायगी। यह ठीक है, पर केवल सीमा-हीन और असाधारण स्थिति में ही ऐसा होगा। किन्तु हम तो जिक्र कर रहे हैं हमारे दैनिक जीवन की साधारण स्थिति का। समाज की असलियत हम ऊपर दिखा चुके हैं। ऐसी दशा में विवाह की जिम्मेदारी उस पर डालना और उसे अनावश्यक महत्व देना समझ में न आनेवाली बात है। विवाह एक वैयक्तिक चीज है। उसमें बननेवाले पति और पत्नी के सिवा किसी तीसरे व्यक्ति के प्रतिनिधित्व या वकालत की जरूरत या गुजाइश हम नहीं देखते। इन दो व्यक्तियों के बीच में जवर्दस्ती समाज को घुसेडने का स्पष्ट अर्थ यही है कि होनेवाले सम्बन्ध की जड़ में प्रत्यक्ष या परोक्ष, जाने या अनजाने में, कांटे वेये जा रहे हैं। इसका प्रमाण वे हजारों-लाखों असफल और रोमाञ्चकारी दुष्परिणामोवाले विवाह हैं, जो समाज की स्वीकृति के प्रमाणपत्र को लेकर हुए हैं। विवाह शारीरिक और मानसिक साहचर्य के लिए एक साथी को चुनना-मात्र है। पर न-मालूम क्यों, हमने इसे एक हौआ-सा बना दिया है। आज तो इसके आगे-पीछे धर्म और समाज के इतने पुछल्ले लगा दिये गये हैं कि यह एक खासा अच्छा तमाशा बन गया है। इसे तमाशा बनाने की जिम्मेदारी है कहे जानेवाले समाज पर, जिसने अपना अस्तित्व और अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए इसे आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने का मायाजाल-सा बना दिया है। आज तो बदकिस्मती से यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी और खर्चीली समस्या बन गई है। जो लोग इसे असाधारण महत्व नहीं देते, खूब खर्च नहीं करते और इसका ढिडोरा नहीं पीटते, उनको समाज क्षोभ और सन्देह

की दृष्टि से देखता है। उनकी कुलीनता और 'अस्तियत' (न-मालूम यह क्या बला है?) तक में शक किया जाता है और उन्हे बड़ी नीचता और कमीनेपन से बदनाम किया जाता है। नौजवानों और नवयुवतियों के साथ यह कितनी बड़ी ज्यादती और कितना भारी अन्याय है कि या तो वे समाज कहे जानेवाले गुट्ट के न्याय और निर्णय के सामने विना हील-हुज्जत के सिर झुका दे, अन्यथा उनका जीना दुश्वार कर दिया जाता है।

बहु-विवाह-विरोधी कानून

समाज के ठेकेदारों द्वारा होनेवाली तीव्र भत्संना और थोथे आन्दोलन के अलावा दूसरा प्रयत्न बहु-विवाह को कानून से रोकने के लिए किया जा रहा है। जिन महानुभाव ने केन्द्रीय-असेम्बली में इस विषय का विल पेश किया है, उनसे हमें पूर्ण सहानुभूति है। उनके इस प्रयत्न को आदर और प्रशासा की दृष्टि से देखा जायगा, ऐसा हमारा अनुमान है। किन्तु रक्त-विकार के कारण शरीर पर उठ आनेवाले चक्कों को केवल मरहम लगाकर ठीक नहीं किया जा सकता। उनका इलाज तो उस रक्त की शुद्धि है, जिसके बिंगड़ जाने से उनका जन्म हुआ है। उनका अस्तित्व केवल चमड़ी पर ही नहीं है, बल्कि उनकी जड़े शरीर के खून तक है। इसी प्रकार हमारा खयाल है कि बहु-विवाह को केवल कानून से रोका नहीं जा सकता। उसका अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। वह मौजूदा दोषपूर्ण विवाह-प्रणाली तथा समाज की असंगति एवं विकृति की एक प्रतिक्रिया-मात्र है। अत उसे रोकने का सबसे उत्तम और प्रभावपूर्ण ढंग यही है कि समाज और विवाह-प्रणाली को सुधारा जाय। जिसे हम अपने हृदय की गहराई से बुरा नहीं मानते और रोकने की कोशिश नहीं करते, उसे कानून एकदम रोक सके, यह अनुभव और अनुमान के विरुद्ध है। शारदा-कानून इसका प्रमाण है।

नारी, विवाह और समाज

उपसहार

तो प्रश्न यह उठता है कि आखिर किया क्या जाय ? इसका उत्तर साफ सीधे शब्दो में हम यही देगे कि मौजूदा विवाह-प्रणाली को सुधारा जाय और समाज के हाथो से उसके एकाधिकार को छीन कर विवाह करनेवालो को सौंपा जाय । बनावटी शर्म और सङ्क्रोच को धता वता कर युवक-युवतियो को अपनी इच्छानुसार विवाह करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए । जीवन का साथी चुनने मे ऐसी कौन सी वुराई है कि शर्म की जाय ? इच्छानुसार होनेवाले विवाहो से वहु-विवाहो की वुराई स्वत मिट जायगी और समाज मे होनेवाले बहुत से पाप रुक जायेंगे । कानून या उपदेश वहु-विवाह, दुराचार और अन्यान्य वुराइयो को पूरी तरह से नही रोक सकते । इच्छानुसार किये गये विवाह स्थायी और सुखदायक होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है । क्या हम आशा करे कि देश के युवक और युवतियों इस पर गौर करेंगे ?

हिन्दू-स्त्रियों को तलाक़ का अधिकार

१९३६-४० मे केन्द्रीय असेम्बली मे पेश किए गए डॉ० देशमुख के हिन्दू-स्त्रियों को तलाक का अधिकार दिलाने के विल की देश मे काफी चर्चा हो चुकी है। पाठकों को उसके प्रस्तावों की मोटी जानकारी होगी, यही समझ कर हम यहाँ उन्हे दोहरा नहीं रहे हैं। केन्द्रीय असेम्बली मे उस विल की जो दुर्गत हुई, उसका हाल भी पाठक यथासमझ दैनिक-पत्रों मे पढ़ चुके होंगे। विल की दुर्गत से हमारा तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि सरकार का रुख उसके प्रति उत्साहवर्द्धक नहीं था, या किसी दल-विशेष ने उसके सिलेक्ट-कमेटी के सुपुर्द किये जाने का विरोध किया, बल्कि इससे हमारा तात्पर्य है उन लोगों का विरोधी और उपेक्षापूर्ण रुख, जिनके अर्द्धाङ्ग कहे जानेवाले एकमात्र पीडित समाज के लिए ही इसे कानून का रूप देने के लिए केन्द्रीय असेम्बली मे पेश किया गया था।

सरकार के तत्कालीन गृह-सदस्य श्री थॉर्न ने बिल के सम्बन्ध मे सरकार का रुख बतलाते हुए कहा कि असेम्बली के गत अप्रैल के अधिवेशन मे भूतपूर्व कानून-सदस्य सर नृपेन्द्रनाथ सरकार ने अपनी योग्यतापूर्ण वक्तृता द्वारा विल के प्रति सरकार का जो रुख स्पष्ट किया था, वह अब भी कायम है और आगे भी रहेगा। आपको सबसे बड़ी शिकायत बिल के खिलाफ यह रही है कि उसे पेश करनेवाले (यानी स्वय डॉ० देशमुख) के सिवा असेम्बली के एक भी हिन्दू-सदस्य ने विल का समर्थन नहीं किया। डॉ० देशमुख ने भी विल के सम्बन्ध मे जो-कुछ कहा, वह उनकी पार्टी (काग्रेस) की राय न होकर उनकी अपनी और उन्हीं के विचारों के कतिपय सुधार-प्रिय व्यक्तियों की ही राय थी। आपने कहा कि यदि काग्रेस-पार्टी विल पर अपना मत प्रकट करती, तो उसमे भी वही असम्बद्धता होती, जो विल

पर प्रकट किये गये समाचारपत्रों और असेम्बली-नदस्यों के मतों में हैं। आगे चल कर आपने बतलाया कि विल का समर्थन असेम्बली के मुस्लिम-सदस्यों ने ज़रूर किया है तथा इसकी कुछ प्रशंसा उन लोगों ने भी की है, जिन पर इसका पास हो जाने पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा।

हिन्दू-सदस्यों का विरोध

स्यानाभाव के कारण ऊपर हमने जो-कुछ दिया है, वह सख्तार के गृह-सदस्य का अविकल भाषण न होकर उनके भाषण का मार्गदर्शन है। पर इससे यह जानने में यायद कोई कठिनाई न होगी कि नम्बन्धित विल का विरोध सरकार या असेम्बली के यूरोपियन श्रथवा मुस्लिम-नदस्यों द्वारा न होकर केवल हिन्दू-सदस्यों द्वारा ही हुआ। जरा और आगे बढ़ कर हमें यह भी कहना चाहिए कि काग्रेस-पार्टी ने विल के बारे में पार्टी के अनुशासन या वहुमत के दक्षियानूनीपन के कारण जो रुद्र अरित्यार किया, वह स्पष्ट 'विरोध या उपेक्षा न होते हुए भी परोक्ष रूप ने विल का विरोध ही था। उसके द्वारा विल का समर्थन न होने ने विरोधी-पक्ष प्रवल हुआ या विरोध का पलड़ा भारी हुआ, इस बात से कोई उल्लार नहीं कर सकता। यह उम काग्रेस पार्टी का रुख है, जो देश की सामाजिक उन्नति के लिए भी बचनबढ़ है।

स्वभावत प्रबन्ध उठता है कि हिन्दुओं (यानी हिन्दू-स्त्रियों) के लिए पेश किये गये एक समाज-भुवार के विल का एक भी हिन्दू समर्थन न करे या अविकाश हिन्दू विरोध करे, तो इसका मतलब यहा समझा जाय? क्या इसका मतलब यह समझा जाय कि असेम्बली के एक हिन्दू-सदस्य के दिमाग में कुछ फिलूर था, या वह बेकार था, कि अपना समय और शक्ति लगा कर असेम्बली की वकूल खराब करने के लिए व्यर्थ में ग़रु इस तरह का विल पेश कर दिया, जिसे वे ही नहीं चाहते जिनके लिए कि उसने इतना कष्ट उठाया? या क्या इससे यह समझा जाय कि असेम्बली के हिन्दू-

सदस्य हिन्दुओं के असली प्रतिनिधि नहीं हैं और दकियानूसी विचारवाले होने के साथ-ही-साथ पुरुष होने के नाते उन्हें स्त्रियों को तलाक का अधिकार देने या न देने का फैसला करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है ? या उससे यह समझा जाय कि डॉ० देशमुख हिन्दू-समाज को पतित और दुर्बल बनाना चाहते हैं और विल का विरोध करनेवाले असेम्बली के हिन्दू-सदस्य ही हिन्दू-धर्म की भर्यादा की रक्षा तथा हिन्दू-समाज की उच्चता और उन्नयन के ठेकेदार हैं ?

हमारी समझ में तो इन प्रश्नों का उत्तर शायद इन्हीं में है। अगर डॉ० देशमुख के पास विल के समर्थन और प्रशस्ता में देश के कोने-कोने से अधिकाशत स्त्रियों और महिला-स्थानों के आये हुए पत्र और देश के विभिन्न भाषाओं के पत्रों में निकले लेख सब-के-सब भूठे या जाली नहीं हैं और उन सब के स्पष्टा स्वयं डॉ० देशमुख ही नहीं हैं, तो यह कहना या मानना कि हिन्दू या हिन्दू-स्त्रियाँ तलाक के विरुद्ध हैं, अक्ल से भैस को बड़ा मानना है। जिनमें सहज-बुद्धि की अपेक्षा धर्मान्धिता अधिक है और समझ के स्थान पर स्वार्थ का विस्तार और गहराई अधिक है, उनकी बात तो हम कहते नहीं, पर कोई भी समझदार हिन्दू या हिन्दू-स्त्री तलाक के अधिकार के खिलाफ हो, यह हम नहीं मान सकते। यह बात जरूर है कि इस तरह के समझदार व्यक्ति आज हिन्दू-समाज में अल्प-सख्यको (minority) की स्थिति में ही हैं, वहु-सख्यको (majority) की श्रेणी में नहीं। पर इसमें समझ की अपेक्षा अधिक दोष और दुर्भाग्य है समाज का। इसके बावजूद यह तो कोई औचित्य नहीं कि चूँकि समाज का बहुमत स्वार्थ, नासमझी और धर्मान्धिता का शिकार है, अतः उसके सारे नियम-कानून बरकरार रखे जायें। यदि ऐसा हो, तब तो हरिजनों को मन्दिर-प्रवेश का और लड़कियों को पढ़-लिख कर जीविकोपार्जन करने का अधिकार भी क्यों दिया जाय, क्योंकि हिन्दुओं का बहुमत ऐसा करने के खिलाफ है !

रही असेम्बली के हिन्दू-सदस्यों के विरोध की वात, सो उनके सम्बन्ध में वैयक्तिक रूप से कुछ लिखना शिष्टता और उससे भी बढ़कर कानून की दृष्टि से शायद ठीक न होगा। यदि हम तलाक-विरोधी इन हिन्दू-सदस्यों में से एक-एक का अन्तर टटोले, उसके वैयक्तिक जीवन की छान-बीन करे, तो हम उसे दो में से एक श्रेणी का पायेगे। या तो वह ऊपर बताई हुई धर्मान्धि और दकियानूसी (orthodox) श्रेणी का होगा, जो धर्म और समाज के नाम पर तलाक के प्रस्ताव का विरोध करना अपना धार्मिक, नेतृत्विक, सामाजिक और शायद पैतृक अधिकार समझता होगा, या फिर वह उस अवसर-सेवी श्रेणी का होगा, जिसे यह डर होगा कि तलाक का समर्थन करने पर भावी चुनाव में कोई 'पक्का हिन्दू' वोट न देगा। पहली श्रेणी के सदस्य अगर घृणा, क्षोभ या दया के पात्र हैं, तो दूसरी श्रेणी के सर्वथा समाज और देश के साथ दोहर एवं विश्वासघात करनेवाले होने के नाते और भी उपेक्षा और घृणा के पात्र हैं। जिस देश और समाज के भाग्य का निर्णय करनेवाले ऐसे लोग हो, उसका ईश्वर ही मालिक है।

तलाक का अधिकार क्यों न हो ?

असेम्बली के इन अद्वारदर्शी और सञ्चार्ण-चुद्धि हिन्दू-सदस्यों से हम उन्हीं के साथ बैठनेवाले एक समझदार मुस्लिम-सदस्य श्री० ग्रजहरअली के इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं कि जो सुविधा या अधिकार दुनिया के सभी देशों और जातियों की स्त्रियों को प्राप्त है, वे एकमात्र हिन्दू-स्त्रियों को ही क्यों हासिल न हो ? अगर दूसरे मुल्कों की स्त्रियों ने तलाक का अधिकार प्राप्त कर धर्म और समाज को रसातल नहीं पहुँचाया है, तो सदियों पहले मरे और निर्जीव हुए हिन्दू-धर्म तथा समाज को उससे क्या खतरा हो सकता है ? जो लोग तलाक-प्रथा के जारी होने से धर्म के नष्ट होने की आशङ्का करते हैं, समाज और धर की शान्ति नष्ट होने की कल्पना करते हैं, वे सच पूछा जाय तो परोक्ष रूप से यह सिद्ध करते हैं कि हमारे यहाँ अधर्म बढ़

रहा है और घर तथा समाज की अशान्ति अपनी चरम-सीमा को पहुँच चुकी है। अगर उनका धर्म साकुन के पानी के गोले से ज्यादा मजबूत और जानदार नहीं है, अगर उनके घर और समाज की शान्ति जुए के अहुों की रौनक से ज्यादा स्थायी नहीं है और उनकी अकल की गाढ़ी में हापड़ के पापडों से अधिक मजबूत पहिये नहीं लगे हैं, तब तो धर्म, समाज और देश का भला इसी में है कि वे कल नष्ट होते हो तो आज ही हो जायें। उनकी रक्षा के लिए शेखचिल्ली के वश-वृक्ष को अधिक फैलाने की जरूरत अब नहीं रही। अस्तु—

दुनिया के जितने भी सभ्य, स्वतन्त्र और समृद्ध देश है, उन सब में स्त्रियों को तलाक का अधिकार प्राप्त है। किसी-न-किसी रूप में धर्म वहाँ भी आखिर है ही। घर और समाज की शान्ति भी वहाँ थोड़ी-वहूत है ही। वहाँ के लोगों को भी इनकी वैसी ही जरूरत है, जैसी कि भारत-वासियों (या कह लीजिए हिन्दुओं) को है। फिर क्या कारण है कि वे आचार-विचार, शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा सत्ता-समृद्धि में हमसे कहीं बढ़े-चढ़े हैं? न उन देशों के सब पुरुष मजनू या तपस्वी हैं और न सब स्त्रियाँ वेश्याएँ या भिक्षुणियाँ ही। धर्म कहीं जानेवाली दुर्वृद्धि, बौद्धमपन, अकर्मण्यता, दुराचार और अमानुषिकता के अलावा वे इनसे किस बात में कम हैं? अपने-आपको ससार का आध्यात्मिक गुरु और धार्मिक पुरुषा कह कर भी हम आज ससार के सबसे निम्न, निष्ठष्ट और पुराने गुलाम हैं, और वे जो कुछ हैं, हम देख ही रहे हैं। फिर समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन-सी बात है, कौन्त्र-सा कारण है, जिसके आधार पर सिर्फ हिन्दू-स्त्रियों को ही तलाक की सुविधा या अधिकार से वञ्चित रखा जाय? हमारी समझ में तो नासमझी, अद्वरदर्शिता और स्वार्थ-न्धता के अलावा कोई ऐसा माकूल कारण, आधार या औचित्य नहीं देख पड़ता, जिसके सबब से हिन्दू-स्त्रियों के साथ होने वाली इस ज्यादती, अन्याय और अधिकारापहरण को जारी रखा जाय।

तलाक की आवश्यकता क्यों है ?

जो लोग यह कहते हैं कि तलाक तो किसी भी रूप में और किसी भी परिस्थिति में जायज या जरूरी नहीं होना चाहिए, उनके दिमाग में अगर निरा भुस नहीं भरा है, तो वे जरा इस बात पर गौर करे कि अगर वाकई यह ज़रूरी और जायज नहीं है, तो इसकी माँग क्यों है ? सासार के $\frac{1}{4}$ भाग में आज इसका प्रचलन क्यों है ? हम माने लेते हैं कि उन्हीं का कहना ठीक है और तलाक देना विल्कुल अनावश्यक और अधर्म है । लेकिन इसे कानूनन नाजायज करार देने के लिए उन्हें यह गारण्टी करनी होगी कि कहीं भी कोई विवाह दुख, शान्ति और असन्तोष का कारण न होगा । अगर यह हो सकना सम्भव है, तो फिर तलाक की जरूरत ही कहाँ रह जाती है ? सुख, शान्ति और सन्तोष को लात मार कर कौन स्त्री या पुरुष तलाक की इच्छा करेगा ? पर यह बात न सम्भव है और न कभी हो ही सकती है । सचाई तो यह है कि आज बहुत बड़ी सत्या में विवाह दुख, शान्ति और असन्तोष का कारण हो रहे हैं । इसीलिए समझदार लोगों ने विफल-विवाहों की प्रतिक्रिया को विशेष धातक और व्यापक रूप धारण न करने देने के विचार से तलाक की औषधि निकाली है । अगर रोग नहीं है, तो अलवत्ता औषधि की कोई जरूरत नहीं । पर अगर रोग है, तो औषधि को अस्वीकार करना मौत को बुलाने और जिन्दा रहने से इन्कार करने के सिवा और क्या है ? यह धर्म और समाज का पल्ला पकड़ कर चिल्लाने से पहले हमें ठण्डे दिमाग से यह सोचने और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दरअस्ल तलाक की आवश्यकता है या नहीं ? अगर सचाई और ईमानदारी से हम यह महसूस करे कि गलती से होनेवाले या बाद में विफल सिद्ध होनेवाले विवाहों की प्रतिक्रिया को एक सामाजिक खतरा बनने से रोकना जरूरी है और ऐसा करने के लिए विवाह करने-वालों का पृथक् हो जाना भी बुरा नहीं है, तो हमें इसकी आवश्यकता को स्वीकार करने में भिन्नकरना, शर्मना या डरना नहीं चाहिए, भले

ही फिर उसका नाम 'तलाक' हो या 'विवाह-विच्छेद' या और कुछ। लेकिन एक चीज़ की जरूरत का कायल होते हुए भी उसकी सज्ञा-विशेष से बिदकना सरासर भूखता है।

विवाह सहयोग और सद्भावना का एक सम्बन्ध या सौदा है। दूसरे शब्दों में उसे हम दो विपरीत सेक्स के लोगों का घनिष्ठतम् मैत्री सम्बन्ध कह सकते हैं, जिसमें आपस के भेदों और पृथकता के लिए कोई गुञ्जाइश नहीं रह जाती। इसमें जितने आत्म-त्याग की भावना या मात्रा है, उतनी ही आत्म-तोप और प्राप्ति की भी। अपना सर्वस्व दूसरे को दे दो, पर उससे कुछ भी पाने की आशा न करो, क्योंकि यह 'स्वार्थ' है—इस तरह की बात एक खासा लुभावना और मन को भला लगनेवाला आदर्श जरूर हो सकती है, व्यावहारिकता कदापि नहीं। मनुष्य मनुष्य है और रहेगा, देवता नहीं। स्वार्थ उसका स्वभाव है। इसी पर उसके जीवन और महत्वाकाङ्क्षाओं का सारा दारोमदार है। मैत्री में अगर स्वार्थ की भावना हो सकती है, तो वैवाहिक मैत्री में अधिक से अधिक स्वार्थ की भावना है और होनी भी चाहिए। बिना इसके मानव का विकास सम्भव नहीं। पर यह स्वार्थ एकाझी कदापि नहीं है। मानव सदा कुछ देकर ही उसके बदले में पाने की इच्छा करता है। उस तरह का आदान-प्रदान सृष्टि के क्रम-विकास के लिए सर्वथा आवश्यक है। विवाह को धार्मिक या आत्मिक बन्धन मानना इस मैत्री सम्बन्ध को अनावश्यक, अनुचित और बाधक प्रतिवन्धों से जकड़ देना है। धर्म और आत्मा की दुहाई दिये बिना भी तो विवाह की उच्चता और पवित्रता को अक्षुण्ण रखा जा सकता है।

अगर हम यह मान कर चलते हैं कि विवाह विपरीत सेक्स के दो व्यक्तियों का एक सज्जनता का समझौता या सद्भावना और सहयोग का सम्बन्ध है, तो हमें इसके तोड़ने और फिर बनाने में कोई खास मानसिक परेशानी न होगी। अगर साधारण मैत्री-सम्बन्ध पचासों बार टूट और बन सकते हैं, तो एक-दो बार जीवन के इस घनिष्ठतम् मैत्री-सम्बन्ध के

टूटने और फिर वनने से क्या गजब हो जायगा ? पर इससे हमारा तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि जिस प्रकार मैत्री-सम्बन्ध रोज बनते और टूटते हैं, वैसे ही विवाह-सम्बन्ध भी नित्य बन और टूट सकते हैं। फिर मैत्री-सम्बन्ध तो हफ्ते में ५-१० बन और टूट सकते हैं, पर विवाह-सम्बन्ध न इस प्रकार बनाये ही जा सकते हैं और न तोड़े ही जा सकते हैं। इन दोनों सम्बन्धों को हम एक ही क्षितिज पर नहीं रख रहे हैं, किन्तु हम यह बतलाना चाहते हैं कि हैं दोनों मैत्री-सम्बन्ध ही। एक साधारण है और बिना किसी खास विचार के बन या टूट जाता है, और दूसरा काफी सौच-समझ कर, कई विशिष्ट वातों को ध्यान में रखकर बनता है। अक्सर हम देखते हैं कि विचार या स्वभाव न मिलने के कारण बहुत बार मैत्री-सम्बन्ध टूट जाते हैं या पहले जैसे आत्मीयतापूर्ण नहीं रहते। अगर यही बात न्यूनाश में विवाह-सम्बन्ध में भी हो, तो इसमें चौकने की क्या बात है ? विवाह के बाद यदि यह मालूम हो कि पति-पत्नी एक-दूसरे को न तो अधिक-से-अधिक दे सकते हैं और न एक-दूसरे से अधिक-से-अधिक प्राप्त कर सकते हैं, या दोनों साथ रह कर पूर्णतया सुखी और सन्तुष्ट नहीं हैं, तो इसमें क्या बुराई है कि वे एक-दूसरे से पृथक् हो जायें और चाहे तो बिना साथी के रहे और चाहे तो दुवारा कोई ऐसा साथी चुन ले, जो पहले साथी की अपेक्षा अधिक उपयुक्त हो ।

यदि निष्पक्षता, नीति और न्याय की दृष्टि से देखा जाय, तो दुनिया में सबसे अधिक तलाक की आवश्यकता हिन्दू-स्त्रियों को ही है, क्योंकि विवाह उनके ६५ फीसदी अपनी इच्छा से नहीं होते, माता-पिता या अभिभावक उन्हें अपनी छाती का बोझ हल्का करने के लिए किसी भी पुरुष कहे जानेवाले जीव के गले बाँध देते हैं और वे शील तथा सङ्कोचवश कुछ भी नहीं कह पाती। इस तरह के विवाह करके तलाक का न रखना ठीक वैसा ही है जैसा खूब मार कर रोने न देना। इसे पुरुष की वर्वता और अमानुषिकता का सबसे निकृष्ट और हृदयहीन कृत्य न

नये युग की नारी

और क्या कहा जाय ? जरा वारीकी से देखा जाय तो इस इ मे हम पुरुष की कृत्स्ना और नैतिक पतन का ही आभास पायेंगे । हमें तो आश्चर्य है कि आज सभ्यता के इस युग मे भी इस तरह की अमानुषिक ज्यादती को कायम रखने के लिए तलाक का विरोध करने-वाले लोग पर्याप्त सख्ती मे मौजूद हैं ।

हिन्दू-स्त्रियों क्या करें ?

पुरुष तलाक के क्यों विरोधी हैं, यह सदियों से हुए उनके नैतिक पतन और विकृत मनोवृत्ति के कारण आसानी से समझ मे आ सकता है । पर आश्चर्य और हैरत हमें उस समझ होती है जब हम 'देवी' शब्द से पुकारी जानेवाली हिन्दू-समाज की पीडित और गुलाम स्त्रियों को भी नैतिक और धार्मिक आधार (?) पर इसका विरोध करते देखते हैं । उनका यह विरोध ठीक वैसा ही है जैसा जेल के उस पुराने कैदी का आजीवन वही रहने का आग्रह, जो बाहर की स्वतन्त्रता की अपेक्षा जेल की 'सुविधाओं' को अधिक समझने लगता है और बाहर जाने से इन्कार कर देता है । उसमे यह समझ ही नहीं रह जाती कि जेल-जीवन के मुकाबिले मे बाहर के जीवन का ठीक-ठीक मूल्य आँक सके । जब कुछ ही वर्षों की गुलामी आदमी की विवेक-बुद्धि खो देती है, तो सदियों की गुलामी, अनाचार और कूपमण्डूकता यदि भारतीय स्त्रियों को तलाक का विरोधी बना दे, तो इसमे आश्चर्य की बात ही क्या है ?

(पर) हमें यह न भूल जाना चाहिए कि इस तरह की धर्म-भीरु स्त्रियों की सख्ती काफी है, यद्यपि उनका प्रभाव काफी नहीं है और न वे काफी शिक्षित ही हैं । हिन्दू-समाज मे आज काफी स्त्रियों सुशिक्षित हैं । उन्हीं की राय को हमें मूल्यवान समझना चाहिए और दरअसल हिन्दू-स्त्रियों के हित के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं, यह निर्णय करने का अधिकार भी उन्हीं को है । उनकी ओर से उनके लिए एक पुरुष तलाक का अधिकार

माँगे और कुछ पुरुष उसे देने से इन्कार कर दे, यह तो एक खिलवाड़-सा लगता है। हमारी समझ में तो तलाक स्त्रियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि आज भारतीय स्त्रियाँ उससे वञ्चित हैं, तो उन्हे स्वयं अपने पाँचों पर खड़े होना और उसे प्राप्त करना चाहिए। अपनी आजादी, सुख और सुविधा का अधिकार पुरुष से माँगने का मतलब तो यह है कि वे अपने-आपको पुरुष के ग्रधीन और उससे कम योग्य समझती हैं। जब पुरुष और उनमें पूर्ण समानता का सम्बन्ध है, क्यों न वे स्वयं अपने इस अपहृत अधिकार को प्राप्त करने की कोशिश करें? वैसे तो तलाक का अधिकार उन्हे जन्म से ही प्राप्त है, पर चूंकि पुरुष ने हिन्दू-कानून, धर्म-जास्त्र और न जाने किन-किन ऊलं-जलूल मन-गढन्त नियम-कानूनों का अड़ज्जा खड़ा कर दिया है, उनके लिए इसे दूर करना निहायत जरूरी है। अच्छा हो यदि अखिल-भारतीय महिला-कॉन्फ्रेन्स इस काम को अपने हाथ में ले और हिन्दू-स्त्रियों को तलाक का अधिकार दिलवाने के लिए देशव्यापी आनंदो-लन करें।

लेकिन विवाह-विच्छेद का अधिकार प्राप्त करने से पहले तो हिन्दू-स्त्रियों को अभी विवाह करने का ही अधिकार प्राप्त करना चाहिए। इस समय सही मानो में उन्हे अपने विवाह करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है। वे किसे अपने जीवन का साथी चुनें, इसका निर्णय उनके माँ-बाप या अभिभावक करते हैं और वे दान की हुई गाय की भाँति जिस पुरुष को सौपी जाती है, उसीके पीछे चल देती है—फिर वह उन्हे चाहे पत्नी समझ कर रखे, चाहे गुडिया समझ कर खेले, चाहे वेश्या समझ कर अपनी काम-पिपासा शान्त करे या बच्चे पैदा करने की मज़ीन समझें। इस तरह जवर्दस्ती बनाये गये अपने अपरिचित पति के कब्जे से वे भाग न निकलें, इसके लिए न्याय और नीति का आदर्श हिन्दू-कानून है, जिसमें तलाक नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसके अनुसार पारस्परिक सहमति से अपवाद-स्वरूप विवाह टूट सकता है, लेकिन स्त्री को दूसरा विवाह करने का

मुत्तलक अधिकार नहीं है। उसके दिमाग में कभी विवाह-विच्छेद या पुनर्विवाह (यहाँ हमारा मतलब है पहले पति के जीवित होते हुए दूसरे विवाह करने से) का विचार ही उत्पन्न न हो, इसके लिए मनु और तुलसी दास-जैसे नीतिज्ञ और महात्मा भी खुश-किस्मती से हमारे यहाँ हो गए हैं, जिन्होंने अपने भारी-भरकम दिमाग का खासा बोझ हिन्दू-नारी वे लिए विधान तैयार कर हल्का किया है। इन महापुरुषों ने नारी के चिर कल्याण के लिए उसे यह पुनीत आशीर्वाद दिया है कि पति चाहे काना कुबड़ा, अन्धा, बहरा, लूला, लँगड़ा, या कोढ़ी तक भी क्यों न हो, लेकिन नारी का 'धर्म' उसे पति-परमेश्वर मान कर अहर्निशि उसकी 'पूजा' करना ही है। इस तरह की खुराफात का अधिक जिक्र हम नहीं करना चाहते। हमारा एकमात्र अभिप्राय तो बदकिस्मती से 'हिन्दू' कहे जानेवाले पतितों और पाखण्डियों के घरों में जन्म लेनेवाली बहनों का ध्यान इस अनीति और अन्याय की ओर आकृष्ट करना है।) वे पहले विवाह करने का अधिकार प्राप्त करे। यह काम उन्हे स्वयं करना होगा। कोई भी सभासंस्था उन्हे यह अधिकार नहीं दिला सकती। थोड़ी-सी दृढ़ता और स्पष्टवादिता से सहज ही में वे इच्छानुकूल व्यक्ति से अपना विवाह करने का अधिकार प्राप्त कर सकती है। इसके बाद उन्हे विवाह-विच्छेद का अधिकार प्राप्त करने के लिए आन्दोलन करना चाहिए। जहाँ तक हमारा विश्वास है, ऐच्छिक विवाहों से आज-कल के विवाहों से पैदा होनेवाले दुख, अशान्ति और असन्तोष बहुत कुछ स्वयं दूर हो जायेंगे। पर जहाँ ऐसा न हो, वहाँ तलाक का अधिकार होना अनिवार्य है।)

एक बात और है, जिससे हमें खास तौर से अपनी बहनों को आगाह कर देना है। तलाक के विरोधियों में काफी बड़ी सख्त्या ऐसे लोगों की है, जो पश्चिमी देशों के कुछ अपवादों को लेकर यह दलील देते हैं कि वहाँ तलाक से क्या-क्या अनर्थ हो रहे हैं! किसी अभिनेत्री या पुरुषली स्त्री की दर्जनों 'पतियों' की मिसाल देकर वे यह बतलाते हैं कि तलाक का अधिकार मिलने

पर स्त्रियाँ उसका किस प्रकार दुरुपयोग करेगी। प्रथम तो अपदादो को आम रिवाज नहीं माना जा सकता। फिर इस प्रकार का थोड़ा-बहुत दुरुपयोग तो दुनिया में हर नियम और अधिकार का होता है। इस डर से नियम-कानून सर्वथा स्थगित तो नहीं किये जा सकते और न उनके दुरुपयोग को ही एकदम रोका जा सकता है, जब तक कि उनका प्रयोग करनेवालों के दिल में ईमानदारी की भावना न हो। हर समस्या के दो पहलू होते हैं, यह हमें भूल न जाना चाहिए। प्रत्येक अच्छाई के साथ थोड़ी-बहुत बुराई भी रहती है। पर इसका मतलब यह नहीं कि थोड़ी-सी बुराई के डर से बड़ी-से-बड़ी अच्छाई से भी लाभ न उठाया जाय। अब हिन्दू-स्त्रियों में शिक्षा का काफी प्रसार हो रहा है। ऐसी हालत में उनके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, इसका निर्णय हमें उन्हीं की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। यदि विवाह के नाम पर उनके साथ होनेवाली ज्यादती और अन्याय को वे रोक सकी, तो धर्म की वात तो हम नहीं कह सकते, पर हमारा घर, समाज और देश अधिक सुखी और सन्तुष्ट हो जायगा, यह सुनिश्चित है। स्त्री यदि स्वतन्त्र, सुखी और सन्तुष्ट है, तो पुरुष का भी भला है, वर्ना दुराचार और सामाजिक कोढ़ का बोल-वाला जैसा आज है, वह घटने की अपेक्षा बढ़ेगा ही।)

पूर्ण तरीको से अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाता है, तो पराजय स्वीकार करने के बदले या उससे पहले वह अपने पुराने 'जङ्गल के नियम' या 'जिसकी लाठी उसकी भैस' वाले उपाय का ही प्रयोग करता है।

आधुनिक सभ्यता की बहुत-सी मञ्ज़ल उसने बुद्धि के साथ-साथ पशु-बल के सहारे तथा की है। विज्ञान के मौजूदा युग ने एक तरह से उसकी पाश्विकता पर बुद्धि की विजय लगभग घोषित ही कर दी थी, पर अनायास हमने देखा कि बुद्धि भी उसकी वज्र-मुष्ठि में तिलमिला रही है और उसकी पाश्विकता को चरम-सीमा से आगे बढ़ने में योग दे रही है। पहले वह हाथ-पाँव से लड़ कर अपने प्रतिष्ठान्दी को हराता था। फिर बुद्धि की सहायता से उसने तीर, तलवार और तोप बनाई। और आज राइफल, मशीनगन, बम, बम-वर्षक यान, टैंडू, जहरीली गैस, मृत्यु फैलानेवाले कीटाणु, जङ्गी-जहाज, टारपीडो, पनडुब्बियाँ, यू-बोट और न मालूम किन-किन वैज्ञानिक साधनों से वह अपनी पाश्विकता को सजाये और अधिकाधिक भयङ्कर बनाये हुए है।

पहले पेट भरने के लिए आदमी को लड़ना पड़ता था। इसे हम आजकल के मानों में एकदम 'लडाई' नहीं कहेंगे। आज तो इसे जीविकोपार्जन के लिए हाथ-पाँव मारना कहना ही ठीक होगा। अब लोग जीविकोपार्जन के लिए नौकरी या व्यापारादि करते हैं, तब शिकार और छीना-भपटी होती थी। पर जब 'मानव' नामधारी पशु के पेट की ज्वाला शान्त हो गई, तो इस नर-पिशाच ने अपनी भुजाओं की सुस्ती दूर करने तथा अपनी बढ़ी हुई दुर्दम महत्वाकाक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने 'पडोसी' को ललकारा और उसे अपनी रण-पिपासा शान्त करने और विजय का लाभ लूटने के लिए 'शत्रु' बनाया। एक को विजित करने के बाद दूसरे को और फिर तीसरे को उसने ललकारा। इस प्रकार कुछ ही समय में उसके समर्थकों और विरोधियों के पृथक्-पृथक् दल बन गये। अपने से कम बलवाले कुछ लोगों को अधीन कर वह राजा बन बैठा। फिर कुछ दुर्बल

राजाओं को हरा कर वह उनका महाराजा बन गया। फिर महाराजाओं के राजमुकुट और सिंहासनों को धूल में मिला कर वह चक्रवर्तीं सम्राट् बना। फिर भी अपनी महत्वाकाक्षाओं को पूरा न करने की लज्जा और ख्लानि से आहत हो वह मिट्टी में नाक रगड़ कर मर गया, और अपना दुरा उदाहरण तथा कुख्याति छोड़ गया अपने उत्तराधिकारी के मार्ग-प्रदर्शन के लिए। उसकी पाश्विकता-जन्य कूरता के इस विलास को 'दिग्विजय' सज्जा मिली और उसके नर-सहार को 'महानता' का अभिवादन। चन्द्रगुप्त और विक्रमादित्य, सिकन्दर और नेपोलियन तथा हिटलर और मुसोलिनी कोई अपवाद नहीं, इसी पाश्विकता या वुद्ध्युन्माद के मूर्त्तरूप-भर हैं। इस कूर पाश्विकता पर पर्दा डालने के लिए पहले अश्वमेध-यज्ञों का सहारा लिया गया और आज वढ़ी हुई आवादी के लिए स्थान प्राप्त करने का बहाना बनाया जा रहा है। पर है यह पाश्विकता के विलास और तज्जनित दुराकाक्षाओं की पूर्ति का गर्हित रूप ही।

स्त्रियाँ पीछे रह गईं ?

पुरुष तो इस प्रकार विजय पर विजय प्राप्त करता गया, अपने वन्धु-परिजनों को धराशायी कर उनकी लाशों को रौदता हुआ अपनी विजय-यात्रा में आगे बढ़ता गया, अपने यश और वल के आतङ्क से आकाश-पाताल और दशों दिशाओं को कैपाता-गुंजाता गया, पर पीछे छोड़ता गया अपनी विलखती हुई माँ को, आठ-ग्राठ आँसू रोती हुई बहन को और ज्मीन से सिर पीटती हुई व्याकुल पत्नी को। अपने विजयोन्माद में वह इतना अन्धा हो रहा था कि उसे पीछे मुड़ कर देखने की फुर्सत ही कहाँ थी? स्त्री को उसने अर्द्धन को साक्षी देकर अपनी अर्द्धाङ्गिनी, जीवन-सञ्ज्ञिनी, सहचरी, सहधर्मिणी और न-मालूम क्या-क्या बनाया था! फिर अपनी इस विजय-यात्रा में वह उसे साथ रखना कैसे भूल गया? स्त्री स्वयं उसके साथ नहीं गई या वह स्वयं उसे नहीं ले गया?

इसका उत्तर अफलातूँ, सुकरात, रूसो, ईसा मसीह और मनु महाराज देते हैं। स्त्री की सारी स्वाधीनता और आत्म-निर्णय की भावना अथवा अधिकार को अपनी एड़ी से रगड़ कर उसने धूल में मिला दिया, लेकिन स्त्री को 'गृह की लक्ष्मी' बना दिया! स्त्री का यह लक्ष्मीपन वैसा ही था जैसा कि किसी को जेल की कोठरी में बन्द कर यह कहना कि तुम इस कोठरी के चक्रवर्ती सम्राट् हो और हम बाहर धूमने-फिरनेवाले तुम्हारे चाकर! अपनी शरीर-रचना और मानसिक स्थिति के कारण स्त्री बलात् से अपने ऊपर लादे गये इस दायित्व और अधिकार की विडम्बना को ठुकरा नहीं सकी। यदि वह पाश्विक बल के विलास में पुरुष के साथ रही होती, तो शायद आज वह भी वैसी ही क्लूर और बलिष्ट होती और उसकी हीनता तथा गुलासी का इतिहास किसी और ही रूप में होता। पर पुरुष उसे अपने साथ ले कैसे जाता? वह जानता था कि जो स्त्री रङ्ग-महल में उसके हृदय की रानी है, प्रपने सुख और विलास के लिए जिसे वह सिर पर बिठाता और पूजता है, वह नर-सहार में उसकी कदापि सहायक न होगी। पुढ़ में वह उसकी सहचरी या सहधर्मिणी न होकर पाँव की बेड़ी बन जायगी। स्त्री की आहो और आँसुओं ने कितने पराक्रमियों को रण-विमुख किया है, यह शायद कोई भी इतिहासकार नहीं बता सकता है।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि स्त्रियों में आक्रमण और रक्तपात की क्लूर भावना नहीं रही है। अपवादों की बात हम नहीं कहते, परन्तु आमतौर पर उन्होंने अपने पड़ोसी का खून बहा कर आनन्द का अनुभव कभी नहीं किया। शासन उन्होंने किया है, पर उसमें भी पुरुष की अपेक्षा वे अधिक सक्षम, सहनशील और दयालु सिद्ध हुई हैं। एकछत्र रानी या महारानी बन कर भी उन्होंने विशेष ध्यान अपनी प्रजा की भलाई के लिए दिया, राज्य-विस्तार और साम्राज्य की स्थापना के लिए नहीं! सिकन्दर, सीजर, नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी पुरुष हीं क्यों हुए? क्या स्त्रियाँ चाहतीं, तो वे ऐसी महान् नहीं हो सकती थीं? यह धारणा

सर्वथा मिथ्या है कि हृदय और शरीर की दुर्बलता के कारण स्त्री महान् होने की आकाशा ही नहीं कर सकती। अपवाद-स्वरूप, कुसस्कारों के कारण कई स्त्रियों ने भी ऐसा किया है, विशेषत यूनान में। पर इसकी प्रतिक्रिया वैसी ही हुई है, जैसी कि कलिङ्ग-विजय के बाद अशोक के मन में हुई थी।

सीजर, सिकन्दर या नेपोलियन की महानता का कारण उनका अपना पराक्रम कदापि नहीं था, या सर्वांश में नहीं था। उसका प्रधान कारण तो था उसकी सैन्यशक्ति, जिसकी मदद से कोई भी स्त्री या पुरुष उन्हीं की तरह महान् हो सकता था। हाँ, इस शक्ति के पीछे दिल और हौसला जरूर बढ़ा था और वह था उन महत्वाकाशी वीरों का। वह एक स्त्री का भी हो सकता था। लेकिन एक स्त्री—स्त्री रहते हुए, नारी का हृदय रखते हुए—अपने मन में ऐसी महत्वाकाशा को कैसे पाल सकती थी, जिसकी पूर्ति इतने बड़े नर-शोणित के तर्पण से होनी थी? उसने माँ का हृदय पाया है। नौ मास तक अपने गर्भ में उसने जिसे रखा है, उसका खून वहाने की कल्पना ही उसके लिए भौत का पैगाम है। वह कल्पाणी है। दया, प्रेम और सौदर्य की वह देवी है, खून-ञ्चराबे से उसे वास्ता ही क्या? वह न केवल खुद लड़ाई से बचती रही है, बल्कि पुरुष को भी बचाने का प्रयत्न करती रही है। यह दूसरी बात है कि उसे इसमें आशातीत सफलता नहीं मिली।

स्त्रियाँ लड़ी हैं, लेकिन—

प्रस्तुत लेख का प्रारम्भ हमने हेरोडॉट्स के उस उद्धरण से किया है, जिसमें स्त्रियों का लड़ना सिद्ध है। ऐसा ही उल्लेख हमें अपने भारतीय इतिहास में भी मिलता है। मिर हम कैसे कह रहे हैं कि स्त्री न सिर्फ खुद लड़ाई से बचती रही है और पुरुष को भी बचाने का प्रयत्न करती रही है? पाठकों को यह बात खटक सकती है।

पर, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम यह बता देना आवश्यक समझते हैं कि लड़ाई-लड़ाई में आकाश-पाताल का अन्तर है। लड़ाई-मात्र के स्त्रियाँ विरुद्ध रही हैं, ऐसा हम नहीं कहते। ऊपर हमने स्त्रियों को जिस प्रकार की लड़ाइयों के विरुद्ध बताया है, वे दूसरों को हरा कर अपने अधीन करने और अपना राज्य-विस्तार करने के लिए होनेवाली लड़ाइयाँ हैं। इस प्रकार की लड़ाइयाँ 'आक्रमणात्मक' (Aggressive) कहलाती हैं। ऐसी लड़ाइयाँ मानवता का कलाङ्क और पाश्विकता का प्रतीक मानी गई हैं। दूसरी तरह की लड़ाइयाँ हैं आक्रमणकारी से मुकाबिला करने और अपनी रक्षा करने की। इन्हे 'आत्म-रक्षात्मक' (Defensive) कहा जाता है। आत्म-रक्षा करना मनुष्य का आवश्यक धर्म, कर्तव्य एवं अधिकार है। इसके लिए हत्या तक को अपराध नहीं माना गया है। अपने राज्य-विस्तार और दूसरों की स्वतन्त्रता एवं अधिकारों के अपहरण के लिए होनेवाली चढ़ाई और अपने अस्तित्व एवं अधिकारों की रक्षा के लिए शत्रु से लोहा लेने के कर्तव्य-पालन में क्या अन्तर है, यह कदाचित् पाठक भली-भाँति जानते हैं। एक में जितना अनौचित्य है, दूसरे में उतना ही औचित्य है।

जिन लड़ाइयों में स्त्रियों ने भाग लिया है, वे प्रधानत आक्रमणात्मक न होकर आत्म-रक्षात्मक थीं। भारतीय इतिहास में ऐसे युद्धों को 'धर्म-युद्ध' सज्ञा दी गई है, क्योंकि वे आत्म-रक्षा के मानवोचित एवं आवश्यक कर्तव्य का पालन करने के लिए हुए हैं। नेपोलियन, सीजर या सिकन्दर की तरह स्त्रियों ने केवल राज्य-विस्तार के लिए कभी हमले, चढ़ाइयाँ या लड़ाइयाँ नहीं की। जिस जमाने में स्त्रियों के लड़ने का उल्लेख हेरोडॉटस ने किया है, यूनान के इतिहास में वह गृह-युद्धों का जमाना था। पृथक्-पृथक् नगरों के पृथक्-पृथक् राज्य थे और उनमें से जो बलवान् होता था, वह अपने पड़ोसी-राज्य पर हमला कर वहाँ अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता था। स्पार्टा के युद्ध इसी तरह के थे और उनमें स्त्रियों ने अपने देश (जो उस

समय नगर-राज्यों में बैठा था) की रक्षा के लिए भाग लिया। आक्रमणों को लेकर हुई लड़ाइयों में स्त्रियों का सहयोग रहा हो, ऐसा नहीं जान पड़ता। सिकन्दर या नेपोलियन की आक्रमणकारी सेना में स्त्रियों का उल्लेख कही नहीं है। यही वात भारतीय युद्धों में भाग लेनेवाली स्त्रियों के सबध में भी लागू है। महारानी कैकेयी का सहयोग किसी आक्रमणात्मक युद्ध में नहीं, बल्कि राक्षसों के विरुद्ध होनेवाले 'धर्मयुद्ध' में था। चौंदबीबी, अहल्याबाई, लक्ष्मीबाई आदि भी आत्म-रक्षा के लिए ही लड़ी थीं। बढ़ते हुए अधर्म, अन्याय और अत्याचारों के विशद्ध जो धर्म-युद्ध हुए हैं, उनमें स्त्रियों ने अपने प्राणों को जोखिम में डाल कर भी पुरुषों की सहायता और उत्साह-वृद्धि की है। जोधपुर के महाराजा जसवन्तसिंह के युद्ध से विमुख होने पर उनकी महारानी द्वारा किले का दरवाजा न खुलवाना और चूड़ावत सरदार को अपने मोह-पाश से मुक्त करने के लिए हाड़ी रानी का आत्म-बलिदान करना क्या अद्वितीय आदर्श नहीं है? पर हमारे ही यहाँ या विदेशों में कितनी स्त्रियों ने निरीहो और दुर्बलों पर आक्रमण करने और उन्हें गुलाम बनाने के लिए पुरुषों को उकसाया या ऐसा करने के लिए अपने प्राण दिये हैं?

जहाँ धर्म-युद्ध में स्त्रियों ने अपने पतियों, पुत्रों और भाइयों को आदर, प्रेम और उत्साह से भेजा है, वहाँ उन्होंने युद्धों को रोकने में भी कोई कोर-कसर नहीं रखी है। युद्ध तो आखिर युद्ध है, फिर चाहे वह आक्रमणात्मक हो या आत्म-रक्षात्मक। नर-वलि दोनों ही में दी जाती है। बड़े पैमाने पर होनेवाले इस रक्तपात को रोकने के लिए स्त्रियों ने बड़े-से-बड़े अपमान को भी धैर्य और साहस के साथ पी लिया है। अपमान और जिल्लत को सहकर भी वे इस वात का भरसक यत्न करने में लगी रही है कि नर-सहार किसी तरह रुक जाय। सीता अपने अपहरण के अपमान और बदनामी को सहने को तैयार थी, यदि रावण उन्हें सकुशल लौटा देता। वे राम-रावण युद्ध की विभीषिका को अपने कारण और अपनी आँखों से

नहीं देखना चाहती थी। रावण की रानियों ने भी उसे राम को युद्ध के लिए मजबूर न करने के लिए बहुत समझाया-बुझाया। उसकी नासमझी से युद्ध भले ही न टल सका हो, पर स्त्रियों की ओर से उसे टालने के लिए कौन सा प्रयत्न उठा रखा गया? इसीसे मिलता-जुलता किन्तु काफी बड़ा अपमान पद्धिनी का है, जो राजपूत-इतिहास का बहुत बड़ा कलङ्क समझा जाता है। पद्धिनी को जब मालूम हुआ कि केवल दर्पण में उसकी प्रतिच्छाया को देख कर ही अलाउद्दीन खिलजी सम्भावित युद्ध से पीछे हटने को तैयार है, किन्तु महाराणा रत्नसिंह अपने कुल की प्रतिष्ठा के ख्याल से ऐसा करने को तैयार नहीं है, तो उसने महाराणा को अपनी अनु-नय-विनय से इस अपमान को सहने के लिए भी राजी कर लिया। जिनका हृदय स्वच्छ और दिमाग सुलभा हुआ है, वे शायद हमारे इस कथन से सहमत होंगे कि महाराणा या उनके कुल से बढ़ कर यह पद्धिनी का अपमान था। कौन सती-साध्वी एक कुचकी लम्पट की दुराकाक्षा पूरी करने के लिए अपने रूप-यौवन का इस तरह अनुचित दबाव में आकर प्रदर्शन करना पसन्द करेगी? पद्धिनी के हृदय की उस समय क्या हालत होगी, कैसे-कैसे भाव उस समय उस आपद-ग्रस्ता पतिव्रता के हृदय में उठ रहे होंगे—यदि कोई इसका पता लगा सके, या अनुमान-भर कर सके, तो उसे मालूम होगा कि 'पसन्द' तो यह सब कुछ पद्धिनी को भी नहीं था, पर युद्ध को टालने के लिए उसने इस निर्लंज्ज निर्मम मजबूरी को भी अपनी 'पसन्द' बना लिया। कहा जा सकता है कि लड़ाई तो बाद में भी हुई और पद्धिनी को 'जौहर-ब्रत' की शरण भी लेनी पड़ी, फिर पहले ही उसने खिलजी की अपमानपूर्ण माँग को ठुकरा क्यों नहीं दिया? निस्सन्देह वह ऐसा आसानी से कर सकती थी, पर शायद उसने देखा हो कि यदि मेरे थोड़ा-सा अपमान सह लेने-भर से वीर राजपूतों का रक्तपात रक्त सके, तो इसमें हर्ज ही क्या है?

फ्रान्स की जोन आँफ् आर्क भी लड़ी जरूर, लेकिन अपने देश को आक्रमणकारियों के चगुल से निकालने के लिए। इसी उद्देश्य से पिछले

इटली-अबीसीनिया युद्ध में इथियोपियन स्त्रियों ने भी कम वीरता नहीं दिखाई। रूस की कैथेराइन और आस्ट्रिया की मेरिया थैरेसा भी लड़ाई के लिए प्रसिद्ध हैं, किन्तु आक्रमणात्मक लड़ाइयों के लिए नहीं। ब्रिटेन की महारानी मेरी एलिजाबेथ और महारानी विक्टोरिया ने भी युद्ध को टालने की कम कोशिशों नहीं की। एलिजाबेथ के राज्य-काल में तो स्पेनवासियों की तरफ से पग-पग पर अङ्गरेजों को उत्तेजना मिलती रही। अङ्गरेज मल्लाहों का अपमान और छेड़-छाड़ ने अङ्ग-भङ्ग तक का रूप धारण कर लिया। एलिजाबेथ ब्रिटिश जङ्गी-बेडे की धाक और शक्ति से अपरिचित नहीं थी, पर उसने भरसक यही प्रयत्न किया कि स्पेनवासियों से युद्ध न हो। अगर वह युद्ध का एलान कर देती, तो युद्ध किसी भी प्रकार अनुचित या आक्रमणात्मक नहीं होता। औचित्य पूर्ण-रूपेण उसके साथ था। पर वह नहीं चाहती थी कि उसे कायर कहनेवाले उच्छृङ्खल मल्लाहों को युद्ध का विगुल फूँकने का आदेश देकर वह अपने लाखों देशवासियों को समरानल में झोक दे। उस समय एलिजाबेथ की जगह यदि कोई पुरुष होता, तो कम-से-कम आधे दर्जन युद्ध जरूर हुए होते।

आज की स्त्रियाँ क्या करे ?

उपर की पक्षियों में हमने बड़े सक्षिप्त और चलते हुए ढग से युद्ध के प्रति स्त्रियों के व्यापक दृष्टिकोण का दिग्दर्शन कराने की चेष्टा की है। स्थानाभाव के कारण जान-वूझ कर हमने विस्तार से बचने की कोशिश की है। ऐसी दशा में बहुत-सी कहीं जाने योग्य वातों का छूट जाना स्वाभाविक है। फिर भी पाठक इस मोटी-सी वात को तो समझ ही गये होगे कि स्त्रियाँ स्वभाव से ही युद्ध के विरुद्ध रही हैं और हैं। उनका कार्य निर्माण और पालन-पोषण है, विनाश नहीं। जो माँ है, वह अपनी आँखों के आगे अपने ही नहीं, दूसरे के पुत्र का भी खून होते कैसे देख सकती है ? जो पत्नी है, वह अपने ही पति-जैसे सुन्दर, सुडौल युवक की लाश को, रक्त-कीच

मेरे लोटते हुए कैसे देख सकती है ? जो बहन है, वह कैसे अपने दीर भाई के मस्तक को धड़ से अलग होता देख कर चुप रह सकती है ? स्त्री के लिए तो रक्तपात या युद्ध का नाम ही डर और आतङ्क पैदा करने-वाला है ।

सभ्यता के इस युग मे हमें युद्ध की तो जरूरत ही नहीं । आज जिस युग-सन्धि पर हम अपने-आपको पा रहे हैं, वहाँ तो शासक और शासित का भेद, ऊँच और नीच अथवा धनी और दीन की विषमता, वर्गों और वर्णों की कृत्रिमता, एकतन्त्र राज्य, स्वेच्छाचारिता, सिंहासन, राजमुकुट, साम्राज्य-शोषण, उत्पीड़न, अधिकारापहरण आदि इस तरह अपने-आप मिट रहे हैं जैसे कि सूर्य निकलने पर कुहरा । हमारी आँखों के सामने वर्तमान और निकट भविष्य के गर्भ मे एक वर्गविहीन समाज बन रहा है, जो युद्ध और उसके कारणों को अतीत की याद बना कर अपने सभ्य कहे जानेवाले अर्द्धपशु पूर्वजों के कलक के रूप मे इतिहास के पृष्ठों मे सजा कर भावी सन्तति के मार्ग-प्रदर्शन के लिए रखेगा ।

युग-परिवर्तन और नवयुग के निर्माण का यह कार्य आज जिन हाथों से हो रहा है, वे वर्ग, वर्ण या लिङ्ग का भेद नहीं जानते । भेद और विषमता को मिटाने के लिए ही तो वे आगे बढ़े हैं । पर हमारे इस अभागे और पिछड़े हुए गुलाम देश मे ग्रभी तक भेद और विषमता का ही बोलबाला है । इसीलिए हमने यह लेख विशेषत स्त्रियों को दृष्टिगत रख कर लिखा है और उन्हे यह बताने की चेष्टा की है कि क्यों उन्होंने चिर-काल से युद्ध का विरोध किया है और क्यों ऐसा करना उनके लिए आवश्यक हुआ ?

✓ आज जब नर-शोणित की प्यासी पाशविकता बज्र की तरह मानवता पर टूट पड़ी है और एक बहुत बड़ा जन-समूह समरानल मे अपनी आहुति देकर कराह रहा है, क्या हम स्त्रियों से यह आशा न करे कि वे रणोन्मत्त, पागल, पुरुप-पशु को युद्ध से विमुख कर अनुचित और अनावश्यक रक्तपात को रोकेंगी ? आज समस्त मानवता मातृ-जाति के आवाहन

की प्रतीक्षा में खड़ी है। उसे क्या उत्तर मिलेगा? क्या यूरोप के पिछले दोनों महासमरों की विभीषिका फिर दोहराई जायगी?

युद्ध के विरुद्ध सासार-भर की महिलाओं में कितना जवर्दस्त क्षोभ है, यह अभी हाल ही की कुछ खबरों से स्पष्ट हो जाता है। युद्धकी समाप्ति से कुछ महीने पहले बर्लिन में महिलाओं की एक सभा हुई थी, जिसमें एक सम्भ्रान्त जर्मन महिला-अधिकारिणी ने युद्ध के समर्थन में भाषण दिया था। उसने महिलाओं से युद्ध में सब तरह से योग देने और त्याग करने को कहा था। इससे वहाँ की पीडित-बुभुक्षित स्त्रियों में इतनी उत्तेजना फैली कि वे उसे मारने को तैयार हो गईं। उनमें और नात्सी-सरकार की एजेण्ट महिलाओं में खूब मार-पीट हुई और आखिर पुलिस को आकर बीच-बचाव करना पड़ा। इसी प्रकार की गडवडी जर्मनी के विदेश-मन्त्री की धर्मपत्नी फ्राउ रिवेन्ट्रॉप के भाषण में भी हुई थी। वहाँ की स्त्रियों ने सक्रिय स्प से युद्ध का जो विरोध किया, उसकी खबरे हिटलर के जीते-जी हम तक पहुँच ही कैसे सकती थी? पाठक भूले न होंगे कि इटली-अबीसीनिया युद्ध के समय बहुत-सी इटालियन स्त्रियों ने रेल की पटरी पर लेट कर मैनिकों को लेकर जानेवाली गाड़ियों को रोकने का यत्न किया था। अमरीका की महिलाओं ने तो अपने यहाँ युद्ध-विरोधी आन्दोलन बढ़े जोरों से शुरू किया था और प्रेसीडेण्ट रूजवेल्ट के पास उनके कई मेमो-रियल पहुँचे थे कि अमरीका को वे युद्ध में कदापि न शामिल करें। आस्ट्रिया, वोहेमिया, मोर्विया, स्लोवाकिया आदि की महिलाओं द्वारा भी युद्ध-विरोधी आन्दोलनों के शुरू किये जाने का थोड़ा-बहुत विवरण जव-तब मिलता रहा है। फिर भारतीय स्त्रियाँ ही मानवता की रक्षा के इस कार्य और कर्तव्य-पालन में किसी से क्यों पीछे रहे?

सासार के इतिहास में ऐसे उदाहरण अनेक हैं, जहाँ स्त्रियों ने राज्य किये हैं, उन्होंने युद्ध भी किये हैं, किन्तु केवल आत्म-रक्षात्मक ही, आक्रमणात्मक नहीं। रक्षात्मक युद्ध के लिए स्त्रियों ने त्याग और

कष्ट-सहन में कोई कसर नहीं रखी है। पिछले महायुद्ध में भी फ्रास और ब्रिटेन के रक्षात्मक युद्ध में सहस्रों स्त्रियों ने सहयोग दिया है—कुछ ने आर्थिक अथवा युद्धोपयोगी सामग्री देकर, कुछ ने युद्ध की तैयारी में सक्रिय सेवा द्वारा और कुछ ने धायलों एवं पीडितों की सहायता एवं सेवा-शुश्रूषा कर। इस बहुमूल्य एवं महत्वपूर्ण सहयोग के लिए स्त्रियों की जितनी भी प्रशंसा की जाय, कम है। पर यहाँ हम उनके युद्ध-सहायता-सम्बन्धी कार्यों की आलोचना करने नहीं चले हैं। इसलिए नहीं कि हम उनके रक्षात्मक युद्ध में दिये जानेवाले सहयोग की आलोचना करना आवश्यक नहीं समझते अथवा उनके कार्यों को इतना नगण्य समझते हैं कि वे हमारी आलोचना की पात्र नहीं हैं, बल्कि सचाई यह है कि हम उन लोगों की सूची में शामिल होने को उत्सुक नहीं हैं, जिन्होंने प्रशंसा कर-कर के स्त्रियों की दयाशीलता, उदारता एवं युद्ध-सेवाओं का अनुचित विज्ञापन किया है। माना कि रक्षात्मक युद्ध प्राक्रमणात्मक युद्ध को रोकने के लिए ही होता है, पर मानव का रक्तपात हर रक्तपात को रोकने का उपाय भी तो श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। ऐसी दशा में उसमें स्त्रियों का योग-दान उचित और आवश्यक होने पर भी जीभा और सन्तोष, गर्व और गौरव की बात नहीं रह जाती।

जीवशास्त्रियों एवं विज्ञानवेत्ताओं ने युद्ध को भले ही एक भौतिक ग्रावश्यकता के रूप में अपरिहार्य माना हो, नीतिज्ञों तथा धर्म-शास्त्रियों ने भी भले ही उसे सत्य और न्याय की स्थापना के लिए एक उचित एवं ग्रावश्यक अस्त्र अथवा उपाय माना हो, पर है तो वह पशुता का प्रतीक ही। युद्ध को किसी-न-किसी रूप में आवश्यक मान लेने पर हमारे लिए उसके पक्ष और विपक्ष को नीति और अनीति की तराजू से तौलना हास्यस्पद-सा हो जाता है, क्योंकि नीति और अनीति, सत्य और न्याय की ऐसी कोई सर्वमान्य परिभाषा तो है नहीं, जिसे सब कोई एकमत और एक स्वर से ठीक स्वीकार कर ले। युद्ध यदि आवश्यक है, तो उसके पात्र बननेवाले दोनों दलों में से

प्रत्येक के लिए यह कहना भी उतना ही आवश्यक ग्रीष्म सुगम हो जाता है कि वह नीति, सत्य, आन्ति या अपने स्वत्वों की रक्षा के लिए लड़ रहा है। कौन वास्तव में ठीक है, इसका कोई सर्वमान्य निर्णय नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान के इस युग में युद्ध की आवश्यकता एवं अपरिहार्यता को स्वीकार करना सहज-बुद्धि का अपमान करना है। हाँ, युद्ध की आवश्यकता उस समय ज़रूर थी, जब मनुष्य ने अपने व्यवहार-आचरण के लिए नियम-कानून और समाज-व्यवस्था की रूप-गेखा नहीं बनाई थी। उसकी बुद्धि का विकास तब इतना नहीं हुआ था कि वह अपनी कठिनाइयों को हल करने में उसकी कुछ सहायता ले सके। इसके विपरीत जीवन के लिए हिम्म पशुओं से सङ्कर्प करते रहने के कारण उसके शरीर का विकास इतना पर्याप्त हो गया था कि वह अपनी प्रत्येक कठिनाई को बाटू-बल ने ही हल करने लगा। आवश्यकता से ग्रविक उसके लिए यह 'मजदूरी' थी। ज्यो-ज्यो उसका मानसिक विकास होता गया, वह इस मजदूरी के प्रयोग से धीरे-धीरे हटने-सा लगा, पर ग्रविक चतुर हो जाने के कारण उसने इसे त्यागने के बजाय एक ज़रूरत के समय का साधन नमम कर अपनी वपीनी बना कर रख लिया। आज विज्ञान के इस युग में उन्हें इसे और भी भयङ्कर रूप दे दिया है और अपने से दुर्वल एवं गावनहीन लोगों पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए इसे सहार का एक भयङ्कर शस्त्र बना लिया है। जब बुद्धिन्बल से वह अपने प्रतिद्वन्द्वी से जीत नहीं पाना, तो वह इन भयङ्कर ग्रस्त द्वारा अपनी अभीष्ट-सिद्धि जमना है।

यहाँपर आज वा मनुष्य एकदम पनु से पूर्ण पुरुष तो नहीं हो पाया है, जोकि अब भी उनमें पानविज्ञान कम नहीं है और ग्रवसर पाकर पर अपने नगन-नग में भर्जा भी उठनी है, तथापि यह मान लेने में कोई तानि नहीं कि याज चर पशु कम रह गया है और बुद्धिजीवी प्राणी ग्रविक न हो गया है। यह भी मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि

अपनी पाश्विक स्थिति की अपेक्षा आज की मानवीय स्थिति में वह अधिक सुखी, शान्त और समृद्धिशाली हो गया है और उसके आस-पास के वियावान ज़ज्जल सुधङ्ग नगरों, सुरम्य खेतों और सुगन्धित उपवनों के रूप में परिणत हो गये हैं। पर साथ ही यह भी हुआ है कि पशुता से मानवता ग्रहण करने के कारण वह अपने साथ एक अनुचित लोभ अथवा मोह भी ले आया है। यह है उसकी मानवीय विकास के सब सुफलों एवं सुख-सुविधाओं को स्वयं, अपने परिवार या वर्ग-विशेष ही के भोगने की सङ्कीर्ण लालसा। वह सभी को अपने समान सुखी एवं सन्तुष्ट नहीं देखना चाहता। वह चाहता है कि वह औरों से अधिक सुखी रहे, बड़ा रहे, साधन एवं शक्ति-सम्पन्न रहे। इस लोभ के कारण उसने अपने-आपको 'वसुधैव कुटुम्बकम्' से अलग कर एक दल या वर्ग की बनावटी सीमाओं में कैद कर लिया है और समूचे ससार की निधियाँ वही लाकर केन्द्रित करना चाहता है। पहले इस लोभ ने सामन्तवाद (Feudalism) का जामा पहना, फिर यह पूँजीवाद को अपना वाहन बना कर साम्राज्यवाद बना और फिर अपने अन्तिम भीषण रूप फाशिस्टवाद अथवा नात्सीवाद के रूप में दिखाई पड़ा। जब तक मनुष्य इस अनुचित और अनधिकारपूर्ण लोभ का परित्याग नहीं कर देता, युद्ध की 'आवश्यकता' उसे रहेगी ही।

पर आज उन मनुष्यों की सख्त्या ऐसे लोभी एवं परोपजीवी मनुष्यों की अपेक्षा अधिक है, जो मनुष्य-मात्र को अपने समान सुख-सुविधा और अधिकार देने के लिए प्रस्तुत है। ऐसे लोगों के हाथों में सभी देशों में अभी तक शासन-सत्ता एवं समाज की व्यवस्था नहीं आ पाई है, इसलिए भले ही वे चुप हो, अथव उन्होंने शक्ति-भर युद्ध की आवश्यकता की मिथ्या धारणा को निर्मूल कर दिया है। क्या हम सब एक-दूसरे के साथ बतौर पड़ोसी के या एक ही परिवार के सदस्यों के मिल-जुल कर नहीं रह सकते? यदि हम मौका पा कर अपने पड़ोसी का सब-कुछ हड्डप लेने और उसके अस्तित्व को मिटा देने की ताक में न रहे, तो ऐसा होना

कुछ भी मुश्किल नहीं। यह कागजी योजनाओं और सन्विधां-समझौतों से नहीं, पारस्परिक प्रेम, सद्भावना और सहिष्णुता से ही हो सकता है।

इस दिशा में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों ने अधिक काम किया है। पुरुष की अपेक्षा उनसे पश्चात्-वल अथवा पाश्विक वृत्ति कम रही है। इसी-लिए उन्हे अपने विकास और अस्तित्व-रक्षा के लिए वुद्धि पर अधिक अवलम्बित रहना पड़ा है। उनका वौद्धिक विकास भी शायद इसी वजह से उनके पुरुष-सहयोगी की अपेक्षा कुछ जल्दी और व्यापक रूप से हुआ है। चातुर्य में वे आज पुरुष से आगे हैं। यह सर्वथा दूसरी बात है कि शारीरिक, तज्जनित सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परावीनता के कारण वे समाज की रूप-रेखा को अपने विचारों और प्रवृत्तियों के अनुरूप नहीं बना सकी हैं। उनको सदा पुरुष की अनुवर्त्तिनी हो कर ही चलना पड़ा है। आज कोरे पश्चात्-वल का जमाना लद चुका है और स्त्रियों की परावीनता के बन्धन यदि एकदम छिन्न-भिन्न नहीं हो गये, तो ढीले अवश्य पड़ गये हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य की पाश्विक लालसा और युद्ध के भयङ्कर अस्त्र के प्रयोग के प्रति क्या उनका कुछ भी कर्तव्य नहीं है? क्या वे कुछ भी नहीं कर सकती? इसका उत्तर हमसे अधिक अच्छा स्त्रियाँ स्वयं दे सकती हैं।

युद्ध वर्वर पश्चात्-वल की उस बाढ़ के समान है, जो मानव द्वारा निर्मित सभ्यता और स्थृति की न केवल जड़े हिला जाती है, बल्कि उसके ऊपर वार-बार अथक परिश्रम से खड़े किये जानेवाले सुरु और शान्ति के अधूरे भवन को मिस्मार भी कर जाती है। उससे मनुष्य के सदियों के परिश्रम और प्रयत्नों के फल पर कुछ ही दिनों या महीनों में पानी फिर जाता है। स्त्रियाँ यदि चाहे, तो मानव-स्वभाव की इस विकृति को—पुरुषों की पाश्विक लालसा की इस कूर प्रतिक्रिया को—सहज ही में रोक सकती हैं। यह कार्य कठिन भले ही हो, पर असम्भव नहीं है। इसके लिए भगीरथ प्रयत्न की आवश्यकता जरूर है, पर सफलता की सम्भावना भी उतनी ही बड़ी और दृढ़ है।

विश्व-शान्ति और स्त्रियाँ

जिस प्रकार घर की शान्ति और सुख की कुञ्जी स्त्रियों के हाथ में है, उसी प्रकार विश्व-शान्ति की कुञ्जी भी उन्हीं के हाथ में है। यह विश्वाल विश्व कई घरों, कई परिवारों, कई राष्ट्रों का ही एक सामूहिक रूप है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' को पुरुषों ने कभी चरितार्थ किया हो या नहीं, पर स्त्रियों ने सदैव किया है। इसका कारण यह है कि स्त्री जन्म और स्वभाव से ही प्रेम, दया और शान्ति की वाहक होती है। सकृति या परिस्थितियाँ भले ही उसे कुछ क्रूर या कठोर बना दे, किन्तु उसके इन गुणों का सर्वथा लोप कदापि नहीं होता। दूसरी ओर पुरुष स्वभाव से ही क्रूर और कठोर होता है। 'पुरुष' शब्द ही परुषता या कठोरता का चौतक है। गुणों ओर कोमल भावनाओं की अपेक्षा पुरुष में शारीरिक अथवा पाण्डिक बल की ही अधिकता होती है। इसीलिए चिर-काल से वह क्रूर, स्वार्थी और दु साहसी रहा है। पुरुष की अपेक्षा स्त्री का हृदय जल्दी पसीजता है और उसकी आखे और भी जल्दी सजल हो उठती है। इन प्राकृतिक गुणों के ही फल-स्वरूप युद्ध की आवाज घर में, पड़ोस में, गाँव या नगर में, प्रान्त या राष्ट्र से और वस्तुत विश्व में पुरुषों ने उठाई है और स्त्रियों ने अपने प्राणों की बाजी लगा कर भी शान्ति-रक्षा का यत्न किया है। पुरुष को अपनी मा, वहन या पत्नी को खोकर उतनी गहरी चोट नहीं लगती, उतना स्थायी दुख नहीं होता, जितना स्त्री को अपना पुत्र, भाई या पति खोकर। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अगणित देवियाँ अपने पति का वियोग सहन न कर चिता में उनके साथ सती हो गईं अथवा सारा शेष जीवन कठोर वैधव्य में आँसू बहा-बहा कर काट दिया। पर पत्नी के साथ मरनेवाले या उसके पीछे आजन्म अविवाहित

रहने वाले पुरुष कितने हैं ? भाई के लिये वहनों ने अपने सुख-गुहाग और जीवन तक की परवाह नहीं की है । अधिकाग माताएं अपने पुत्रों पर सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं, पर माता के लिये सर्वस्व त्यागने वाले पुरुष आज कितने हैं ? यही कारण है कि पुरुषों ने स्त्रियों की विदाल-हृदयता, उदारता, प्रेम, दया और त्याग से अनुचित लान उठा कर उन्हें दीर्घकाल से गुलाम और अपने हाथ की कठपुतली बना रखा है । किन्तु इमके बावजूद शान्ति-रक्षा के लिये जब-जब स्वार्थ-त्याग और आत्मोत्सर्ग का अवसर आया है, पुरुषों को पीछे ढकेल कर स्त्रियाँ ही आगे आई हैं । अन्तु—

उत्थान-पतन, विग्रह-सन्धि अथवा जय-पराजय का विवरण देनेवाले मानवीय इतिहास में हम जहाँ-नहाँ शान्ति के लिये किये गये स्त्रियों के प्रयत्न का प्रत्यक्ष या परोक्ष स्पष्ट में उल्लेख पाते हैं, प्राणनाशक शराबास्नों के कोलाहल में, पृथ्वी को हिला देने और कानों के पद्दे फाउ देनेवाली तोपों की गडगडाहट में और मौत का पैगाम लेकर दौड़नेवाले गोले-गोलियों और वायुयानों की गडगडाहट में शान्ति के लिये उठाई गई रियों की धीमी और दर्दी हुई आवाज भले ही हमारे इन इतिहासकारों के कानों तक न पहुँची हो, पर पुरुष-समाज पर स्त्रियों के इन असीम उपकार का मूल्य सहज ही अंका नहीं जा सकता । आज भले ही उनकी इन घात का कोई महत्व न समझा जाय, पर जिस दिन पुरुष के निर पर ने युद्ध का भूत उत्तर जायगा, जिस दिन वह अपने ही भाईयों का खून बहाने और अपने ही सहयोगियों के मुँह का कौर छीनने में अपनी वीरता और पुरुषार्थ की इतिश्री समझना भूल जायगा, उस दिन लिखे जानेवाले मानवीय इतिहास में स्त्रियों की यह अनुपम देन निश्चय ही स्वर्णक्षरों में लिखी जायगी ।

भारत

ससार के विभिन्न देशों की स्त्रियों ने शान्ति के लिये कब और क्या प्रयत्न किये, यह जानने के लिये हमें विभिन्न देशों पर सरसरी निगाह

डालनी होगी। सबसे पहले हम भारत को ही लेते हैं। भारत में सदा से धर्म की प्रधानता रही है। यहाँ हुए विग्रहों में से अधिकाश को 'धर्म-युद्ध' की ही सज्जा दी गई है। महाभारत इसका एक मोटा उदाहरण है। इसमें हुए अपार धन और जन-सहार से फैली अराजकता और दुराचार ने ही कदाचित् भारतीय स्त्रियों के हृदय में शान्ति का अकुर प्रस्फुटित किया। पिछले महासमर में न-जाने कितने वश मिट गये, कितने घर बरबाद हो गये, कितनी ललनाओं का सुख-सौभाग्य छिन गया और न-जाने कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई। मनुष्यत्व के इस घोर अपव्यय के परिणाम-स्वरूप शान्ति के जिस आन्दोलन या युद्ध-विरोधी मिशन का जन्म हुआ वह आधुनिक वैज्ञानिक ढङ्ग के प्रचार के रूप में न होकर मन्दिरों और मठों में ईश्वरोपासना के रूप में हुआ। मनुष्य द्वारा फैलाई हुई अशान्ति के जहर को कम करने में इन प्रार्थना एवं उपासना-नृहों ने बहुमूल्य सहायता दी। पर अन्धश्रद्धा और भेड़ियाधसान के कारण कुछ समय बाद यह चीज वास्तविक न रह कर गौण हो गई और वास्तविकता का स्थान धर्म ने ले लिया। किन्तु स्त्रियों ने शान्ति-रक्षा और युद्धावरोध का अपना कार्य किसी-न-किसी रूप में जारी ही रखा। द्रौपदी का चीर-हरण और सीता का राम को युद्ध के लिये प्रेरित करना दु साहसी पुरुष-हृदय की उस आक्रमणात्मक नीति का सक्रिय विरोध-मात्र था, जो उस समय और भविष्य के लिये विश्व-शान्ति के लिये एक सजीव खतरा था। अपने राज्य की शान्ति भङ्ग होने की आशङ्का से महारानी पद्मिनी ने अपने कुन्दन से शरीर को भस्म कर डाला। अहल्यावाई, सुल्ताना चाँदबीबी और झाँसी की महारानी लक्ष्मीवाई ने केवल शान्ति-स्थापना के लिये युद्ध किये हैं—राज्य-विस्नार या यश-प्राप्ति के लिये नहीं। इन पुरानी बातों को जान दीजिये। अभी कल की बात है, देश की खोई हुई शानि को पुनः प्राप्त करने के लिये हमारी देवियाँ सहस्रों की सख्त्या में हँसते-हँसते गोली-लाठियों की मार और जेलों की यातनाएँ सह चुकी हैं।

चीन

अब जरा सम्यता और सस्कृति मे भारत के समकालीन चीन मे चलिए। इसा की १६वीं शताब्दी तक वहाँ कई उलट-फेर हुये, कई राज्य बने और विगड़े, इस बीच मे देश को कई चोले बदलने पड़े। पहले जब वहाँ स्त्रियों का ज़ोर था, उन्होंने सदा शान्ति-रक्षा का यत्न किया और जिन छोटी-छोटी बातों को लेकर आज महायुद्ध हो जाते हैं, उन्हे बड़ी बुद्धिमत्ता से निपटा दिया। १६वीं शताब्दी मे जब चीन पर विदेशी राष्ट्रों के आक्रमण होने लगे और बाहरी मिशनरियों द्वारा घड़यन्त्र रचे जाने लगे, तो चीनी स्त्रियों ने शान्ति के लिये फिर ज़ेहाद बोला। नाबालिंग सम्राट के हाथ मे देश की शान्ति को सुरक्षित न जानकर बयोवृद्धा राजमाता जू-सी ने एकान्तवास त्याग दिया और शान्ति-रक्षा के लिये चीनी स्त्रियों का सङ्घठन किया। यही क्यों, आधुनिक चीनी प्रजातन्त्र के विधाता डॉक्टर सुन्-यात्-सेन की चीन-भूनरस्द्वार-समिति और सार्वजनिक राष्ट्रीय दल की सफलता का अधिकाश श्रेय भी चीनी स्त्रियों को ही है। मादाम च्याङ्कार्ड-शेक ने अपने देश की शान्ति को अक्षुण्ण रखने के लिये जो कुछ किया है, वह किसी से छिपा नहीं है। आज भी, जब कि चीन मे गृह-युद्ध की आग धधक रही है और जापान की गिर्द दृष्टि उस पर लगी है, चीन की शान्ति की बागडोर स्त्रियाँ ही सँभाले हुए हैं।

जापान

जापान का शासन चिर-काल से सैनिक मनोवृत्ति के साम्राज्यवादियों के हाथ मे रहा है, जिन्होंने लोकमत को कुचलने के लिये कोई बात उठा नहीं रखी। फिर भी वहाँ की स्त्रियों ने शासकों की कोप-दृष्टि और यातनाएँ सह कर बड़े महँगे मूल्य पर शान्ति-रक्षा का प्रचार किया ही। जापान आज फिर युद्ध के लिये कमर कस रहा है, वहाँ के सहस्रों स्त्री-पुरुष अपनी पराजय का बदला लेने की मानसिक तैयारी कर रहे हैं, पर

पाठशालाओं, होटलों, नाच-घरों तथा अन्य सार्वजनिक सम्प्रदायों में स्त्रियाँ आज भी शान्ति के लिये आवाज उठा रही हैं। जापानी स्त्रियों के हाथ के कढ़े हुए कसीदे और जरी के काम के रूमाल, मेजपोश, थालपोश और पलङ्ग-पोश रोज हजारों की तादाद में विकते हैं, जिन पर लिखा होता है—‘ससार के सब सुखों का मूल शान्ति है।’ जापानी मठों और मन्दिरों पर भी—विशेषतः जहाँ भिक्षुणियाँ रहती हैं—आज यही अथवा भगवान युद्ध के अन्य शान्तिपूर्ण वाक्य लिखे मिलते हैं। सन् १८१७ में जब रूस, जर्मनी और फ्रान्स ने मिलकर जापान पर आक्रमण किया और उसे बुरी तरह परास्त किया, तो जापानी स्त्रियों ने अपनी एड़ी से छोटी तक का जोर शान्ति-स्थापना के लिये लगाया और युवकों को बरबस देश की शान्ति को खतरे में डालनेवालों से लड़ने की भेजा। पर जापान ने जब शान्ति के लिये नहीं, बल्कि प्रतिहिसा के लिये सन् १९०४ में युद्ध का बिगुल बजाया, तो इन्हीं स्त्रियों ने युद्ध-विरोध के लिये अपने प्राणों की बाजी लगादी। इसें जापान के लड़ाकू अधिकारी फूटी और खो भी नहीं देख सकते थे, अत उन्होंने हजारों ही स्त्रियों को सरे-बाजार गोली से उडवा दिया—सिर्फ शान्ति का प्रचार करने के अपराध पर।

इङ्ग्लैण्ड

अब जरा सभ्यता और विज्ञान में ससार की नाक बननेवाले पश्चिम की ओर चलिये। सबसे पहले हम इङ्ग्लैण्ड को लेते हैं। स्थिति के कारण इङ्ग्लैण्ड की शान्ति सदा खतरे में रही है। पहले इसे घरेलू भगड़ों से शान्ति नहीं मिली। फिर जब यह कुछ बलवान हुआ, तो इसकी दृष्टि बाहरी राष्ट्रों और उपनिवेशों पर पड़ी। किन्तु शासकों की इस मनोवृत्ति के बावजूद वहाँ की स्त्रियों ने सदा शान्ति के लिये प्रयत्न किया है। धार्मिक-दमन और उपद्रवों के अलावा आक्रमणों के परिणाम-स्वरूप इङ्ग्लैण्ड में जो युद्ध हुए हैं, उनमें से अधिकाश पुरुष-शासकों के समय में ही हुए।

एडवर्ड तृतीय ने जब कैले पर आक्रमण किया और घेरा डाल लिया, तो उनकी रानी उन्हे इस विग्रह से विमुख करने के लिये स्वयं जहाज में बैठकर युद्ध-क्षेत्र में गई थी। भारानी एलिजाबेथ, ऐन और विक्टोरिया के समय में भी शान्ति-स्थापना का विशेष प्रयत्न हुआ है। कुमारी फ्लोरेस नाइटिंगेल का नामोलेख किये विना यह प्रसङ्ग अधूरा कहा जायगा। १८५४-५६ के क्रीमियन युद्ध में धायल सैनिकों की सेवा-कुश्चिष्ठा करने के कारण कुमारी नाइटिंगेल का नाम इञ्जलैण्ड के इतिहास में छुतझतापूर्वक उल्लिखित हुआ है। पर हमारी समझ में तो शान्ति के एक मिशनरी के रूप में उनका नाम विज्व के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। धायल सैनिकों की मरहम-पट्टी करते समय कुमारी नाइटिंगेल ने उन्हे घरवालों की याद नहीं दिलाई, धावो के कारण उनके प्रति सर्वेदना अथवा सहानुभूति नहीं प्रकट की, वल्कि इस गाढ़े समय में नाइटिंगेल ने उन्हे याद दिलाई युद्ध की विभीषिका की, अपार जन-सहार की, उनके अञ्ज-भञ्ज की और उनसे अनुरोध किया कि ठीक होने पर खुदा के लिये वे कभी फिर युद्ध में भाग न ले। और अँधेरी रात में साँय-साँय करती हुई साइबेरिया की उस बर्फीली हवा का अनुमान तो कीजिये। ऐसी हवा के झफेटो से बाते करती हुई, अपने दुबले-पतले शरीर को फर और मोटे ऊनी कपड़ों में लपेटे, हाथ में एक धीमा-सा लम्प लिये, लाशों को रौदती और धायलों से ठोकर खाती, इमशान बनी युद्ध-भूमि में कॉपती हुई नाइटिंगेल अकेली कई रातों धूमती रही। लेम्प के धीमे प्रकाश की सहायता से वह हताहत सैनिकों के चेहरे देखती जाती। जहाँ कहीं गहरे धावो या अधिक रक्त-स्राव के कारण बेहोश कोई सैनिक मिल जाता, वही वह रक जाती और लेम्प पर केटली में थोड़ा-सा पानी गरम कर उसके धावो को बोती और दवा लगाती। होश आने पर वह सैनिक को खेमे में लाती और समझती कि देखो भविष्य में लड़ाई में मत जाना। लड़ कर इस प्रकार प्राण गँवाना अच्छी बात नहीं है। कहते हैं कि बाद में जब इञ्जलैण्ड के अधिकारियों

को कुमारी नाइटिंगेल के इस युद्ध-विरोधी प्रचार का पता चला, तो उनके बहुत से प्रशंसक ही उनके निन्दक बन गये और उन पर सैनिकों को बरगलाने का नीचतापूर्ण लाञ्छन भी लगाया जाने लगा।

जर्मनी

शासन में सैनिकों का विशेष प्रभाव रहने के कारण जर्मनी में शान्ति सदा खतरे में रही है और जब-जब वहाँ की स्त्रियों ने शान्ति-रक्षा का प्रयत्न किया, उन्हे इसका गहरा मूल्य चुकाना पड़ा है। १६वी शताब्दी में जब जर्मनी के प्रधान-मन्त्री ओटो बिस्मार्क ने खूनी और फौलादी नीति की घोषणा की और जर्मन युवकों को सामूहिक रूप से समरागिन में झोकने का यत्न किया, तो स्त्रियों ने ही युद्ध के विरुद्ध जेहाद बोला। इसका परिणाम वही हुआ, जो किसी निरकुश स्वेच्छाचारी शासक की अवज्ञा का हो सकता था। स्त्रियों को गोलियों से भून डाला गया। विगत दोनों महायुद्ध के समय जब वहाँ की स्त्रियों ने युवकों को युद्ध-क्षेत्र में जाने से रोका, तो निरकुश कैसर ने भी उन्हे यही पुरस्कार दिया। गत महायुद्ध में जर्मन चान्सलर हर हिटलर के शासन-काल में भी उनकी युद्ध-विरोधी आवाज और आन्दोलन को जिस कूरता और अमानुषिकता से कुचला गया वह दैनिक-पत्रों के पाठकों से छिपा नहीं है।

फ्रास

फ्रास की स्त्रियों ने शायद शान्ति के लिये सबसे अधिक प्रयत्न किया है। इसका कारण उसकी राजनीतिक स्थिति है। उसे शान्ति से रहने का अवसर बहुत कम मिला है। कभी उसका पड़ोसी जर्मनी उसे निगल जाने के लिये मुँह वाये रहा है, तो कभी डूङ्गलैण्ड ने जल और स्थल से उस पर आक्रमण किये हैं। इन्ही वाहरी सङ्कटों के कारण फ्रास की महिलाओं ने शान्ति का महत्व अन्य देशों की महिलाओं की अपेक्षा अधिक समझ और इसके लिये उन्होंने अपना अधिकाश समय दिया है। १८७०-७१ के

जर्मन-युद्ध के बाद जब सेना और कम्यूनार्डों में शासन-सत्ता की बागड़ोर के लिये भगड़ा हुआ और युद्ध से नष्ट-प्राय प्राप्ति को गृह्य-युद्ध की काली घटाओ ने धेर लिया, तो दोनों रणोद्यत दलों के बीच में खड़े होकर प्राप्ति की १४ हजार स्त्रियों ने धोषणा की कि यदि हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो कोई बात नहीं, पर हम देश में अन्त कलह न होने देगी। पर युद्ध का प्रमाद यो सहज और शीघ्र उत्तरनेवाला कहाँ? सैनिक स्वार्थ में अन्वे हो रहे थे। उन्होंने स्त्रियों की उस प्रार्थना को ठुकरा दिया। दोनों ओर से दबादब गोलियाँ बरसने लगी और देखते-देखते पैरिस की वह सड़क ३० हजार स्त्री-पुरुषों की लाशों से ढाँक गई। इनमें अधिकाश स्त्रियाँ ही थीं। भारत की राजपूत बालाओं के जौहर को छोड़ कर भला ससार में इन वीराङ्गनाओं के त्याग की किससे तुलना की जा सकती है?

रूस

यूरोपीय देशों में शिक्षा और सभ्यता की दृष्टि से रूस एक दीर्घ काल तक पिछड़ा हुआ देश रहा है। पर इधर पिछले कुछ वर्षों में जारो के अत्याचारों और समय-समय पर होनेवाले युद्धों ने उसे शान्ति का मर्म भली-भाँति समझा दिया। क्षेत्रफल के लिहाज से एक विशाल देश होने के कारण उसके शासन-प्रबन्ध में बड़ी ढिलाई रही है—खासकर उसकी सेना का प्रबन्ध, सङ्घठन और शिक्षा तो बड़ी ही असल्तोषजनक रही हैं, जिसके कारण युद्धों में प्राय उसे हारना पड़ा है। युद्ध की हानि से हार का दण्ड कही बदतर होता है। यह दण्ड विशेषत स्त्रियों को भोगना पड़ा। पुरुषों को भौत के घाट उत्तरना पड़ा और वे अनाथ और निराश्रित हों अपने भाग्य को कोसने लगी। आखिर उनके सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि इन युद्धों का एकमात्र कारण है जार का निकम्मा शासन, जिसका मूलोच्छेद ही देश के लिये अभीष्ट है। जारगाही का तख्ता उलटने में स्त्रियों ने पुरुषों से किसी प्रकार भी कम काम नहीं किया।

स्वार्थी पुरुष भले ही उनका उपकार न माने, पर यह ध्रुव सत्य है कि यदि रूस की स्त्रियों सहयोग न देती, तो रूसी राज्यकान्ति इतनी शीघ्र सफल नहीं होती। उन दिनों मास्को और पित्रोग्राद में जो बम फेकनेवाली गुप्त संस्थाएँ वनी थीं, उनमें लगभग ४५ प्रतिशत स्त्री-सदस्याएँ थीं। उनके साहस का अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि स्वयं ज्ञार के महल में जाकर एक युवती ने बम रखा था, जिसे इसका गहरा जुर्माना भी देना पड़ा। सुप्रसिद्ध भारतीय समाजवादी श्री० एम० आर० मसानी ने अभी थोड़े ही समय पूर्व रूस की यात्रा की थी। एक बार आपने अपनी रूसी मार्गदर्शिका (गाइड) से पूछा कि रूस आजकल शस्त्रीकरण क्यों कर रहा है? तो उसने जवाब दिया—सामूहिक शान्ति के लिये। इसका राजनीतिक अर्थ चाहे जो-कुछ निकाला जाय, पर सच यही है कि वह शान्ति के लिये आज भी व्याकुल है और इसके लिये वहाँ की स्त्रियाँ अब भी सक्रिय हैं।

इटली

सिन्ध्योर मुसोलिनी के शासन-काल में इटली का सार्वजनिक जीवन उतना ही आतङ्कपूर्ण हो गया था, जितना हिटलर के समय में जर्मनी का। मुसोलिनी की आज्ञा के विरुद्ध मुँह खोलना वहाँ मौत को निमन्त्रण देना था। पर इसकी परवा न कर स्त्रियों ने शान्ति के लिए बराबर अपनी आवाज बुलन्द की है। पिछले इटली-अबीसीनिया युद्ध के समय मकाले के पतन के बाद इटली से कुछ और सेना अफ्रीका के लिये भेजी जा रही थी। कहते हैं कि दक्षिणी इटली के एक स्टेशन से जब यह सेना जहाज में सवार होने के लिये रेल द्वारा नेपल्स बन्दरगाह को रवाना होने लगी, तो इसका विरोध करनेवाली ४५० स्त्रियों रेल की पटरी पर लेट गई। इज़लैण्ड के एक पत्र में द्या कि मना करने पर भी जब इन्होंने मार्ग न दिया, तो इन पर गोलियों की बौछार की गई, जिसके फल-स्वरूप लगभग ३५० तो वही

ढेर हो गई और शेष बुरी तरह धायल हुईं। इटली के पत्रों में यह समाचार नहीं छपा। इसके कुछ ही दिन बाद एक और ऐसी ही घटना हुई। जब अफीका जानेवाले सैनिक रेल में सवार होने के लिये एक स्टेशन की ओर जा रहे थे, तो सड़क पर एक जलूस बना कर आती हुई स्त्रियों ने उनका मार्गिवरोध किया और उनको युद्ध में न जाने के लिये कहा। बहुत समझाने-बुझाने पर भी जब उन्होंने सैनिकों को मार्ग न दिया, तो टेलीफोन द्वारा मुसोलिनी से सलाह ली गई, जिसने कहा कि आखिरी चेतावनी देने पर भी यदि वे मार्ग न छोड़े, तो उन्हे गोली से उड़ा दो। न त्रिया-हठ टल सकती थी और न मुसोलिनी की आज्ञा ही। आखिर यहाँ भी स्त्रियों को सामूहिक वलि चढ़ानी पड़ी। साथ ही अवीसीनिया की स्त्रियों ने भी अपने देश की शान्ति-रक्षा के लिये जो-कुछ किया, उससे पाठक अपरिचित न होगे। देश की आजादी के लिये वे पुरुषों के कन्धे-से-कन्धा मिलाकर बराबर लड़ी और मरीं।

अमरीका

अब जरा विज्ञान के गढ़ अमरीका में चलिए। १८वीं शताब्दी तक तो यह एक प्रकार से विच्छिन्न और गृह-कलह के सङ्कट में ही फँसा रहा। इसके बाद यहाँ जो शान्ति स्थापित हुई, वह स्वभावत मँहगी थी और इसीलिये वह अमरीकन लोगों के जीवन का अटल सिद्धान्त बन गई। ‘मनरो-डॉकिट्रन’ इसका एक प्रबल प्रमाण है। हाँ, गत यूरोपीय महायुद्धों में उसे शामिल जरूर होना पड़ा, किन्तु जिन्होंने महायुद्धों का वास्तविक विवरण पढ़ा है, उनसे यह छिपा नहीं है कि यह किस लाचारी और स्वार्थों की रक्षा का फल था? आज बड़े वैज्ञानिक ढंग से वहाँ शान्ति का प्रचार हो रहा है। प्रत्येक नगर में युद्ध-विरोधी और शान्ति-प्रचारिणी अनेक संस्थाएँ हैं, जिनमें से अधिकाश का सञ्चालन स्त्रियाँ ही करती हैं। स्थानाभाव के कारण हम शान्ति के मिशनरी के रूप में काम करनेवाली असल्य अम-

रीकन महिलाओं का परिचय यहाँ नहीं दे सकते। उदाहरण के लिये हम केवल एक भद्र महिला का थोड़ा-सा उल्लेख यहाँ करेंगे। यह है वहाँ की नेशनलिस्ट विमेज कौसिल की उपाध्यक्षा श्रीमती स्टर्नबर्गर, जो 'शान्ति-सम्पादिका' या 'शान्ति की प्रकाशन-मन्त्रिणी' के नाम से अमरीका के घर-घर में परिचित है। आपकी अवस्था इस समय कोई ६६ वर्ष की है। पर आप नवयुवतियों की-सी शक्ति और फुर्ती के साथ शान्ति-प्रचार का काम कर रही है। आप के हिस्से में दो मुख्य काम हैं—एक तो स्कूल-कॉलेजों, आश्रमों तथा सभा-संस्थाओं में वायर-लैस, टैलीवीजन अथवा मैजिक-लैन्टर्न की सहायता से शान्ति-विषयक भाषण देना और वाद-विवाद तथा शब्दा-समाधान में भाग लेना, और दूसरा प्रमुख दैनिक, साप्ताहिक, मासिक तथा त्रैमासिक पत्रों में शान्ति-सम्बन्धी लेख, विज्ञापन और कार्टून आदि छपवाना। इस समय आप कोई ५०० दैनिक और १३८ साप्ताहिक तथा मासिक पत्रों के शान्ति-विभाग की सम्पादिका हैं। शान्ति-प्रचार आपकी दिनचर्या का एक अङ्ग हो गया है। जिस दुकान पर आप सौदा खरीदने जाती है, उसके दुकानदार को समझाती है कि देखो यदि युद्ध छिड़ गया, तो चीजों के मूल्य चढ़ जायेंगे और अधिकाश लोगों के युद्ध-क्षेत्र में चले जाने से तुम्हारी बिक्री कम हो जायगी। लाभ तो दूर रहा, तुम्हारा खर्च निकलना भी कठिन हो जायगा। एक बार मिन्नेसोटा के दो अखबारों के एजेण्टों में वातचीत हो रही थी कि यदि लड्डाई छिड़ जाय तो मजा है, खूब गरमागरम खबरे आयेंगी, अखबार अधिक बिकेंगे और हमारी आमदनी बढ़ेगी। श्रीमती स्टर्नबर्गर कही उधर से गुजर रही थी। युद्ध शब्द का उल्लेख सुन कर आप उन दोनों के बीच में कूद पड़ी और बोली कि युद्ध में आदमी अधिकाशत युद्ध-क्षेत्र में चले जायेंगे और उनकी जगह दफ्तरों व कारखानों में स्त्रियों को पिसना पड़ेगा। फिर भला अखबार पढ़ने की फुर्सत किसे मिलेगी?

ऐसे ही अनेक उदाहरण हमें अन्यान्य देशों के इतिहास में भी मिलते

है। हमने केवल उन्हीं देशों का उल्लेख किया है, जिनका विश्व-शान्ति पर कुछ क्रियात्मक प्रभाव रहा है। वैसे तुर्की, ईरान, मिस्र और स्पेन की स्त्रियों ने भी शान्ति के लिये कुछ कम प्रयत्न नहीं किया। आयरलैण्ड की स्त्रियों ने भी अपने देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिये कुछ उठा नहीं रखा। मैंकिसको की स्त्रियों ने तो एक बार यह प्रतिज्ञा की थी कि जीते जी वे अपने पति, भाई या पिता आदि को कभी युद्ध में न जाने देगी।

कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व की शान्ति के लिये स्त्रियों ने बड़ी कीमती कुर्बानियाँ की हैं। सुख, वैभव और प्राणों का मोह कभी उनकी शान्ति की अखण्ड आराधना में वाघक नहीं हुआ। अपने घर की भाँति वे समूचे विश्व को हरा-भरा और फला-फूला देखने को उत्सुक रही हैं। आज जब ससार दो महायुद्धों की विनाश-लीला देख चुका है, इस बात की महत्ती आवश्यकता है कि माताएँ, वहने, पत्नियाँ और पुत्रियाँ पुरुषों को इसकी पुनरावृत्ति से विरक्त करने की सजग चेष्टा करें।

पञ्जाब की जाग्रत महिलाएँ

आज या किसी आनेवाले कल, जब भी भारतीय महिला-समाज के जागरण का इतिहास लिखा जायगा, हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि पञ्जाब-प्रात का नाम सबसे पहले आयगा। बाजारो में, मेलो और शादियों में शिक्षिता और सुन्दर पोशाक धारण किये पञ्जाबी बहनों को देखकर हृदय आनन्द से उछल पड़ता है। पर पञ्जाब की बहनों की जाग्रति केवल उनकी शिक्षा और पोशाक तक ही सीमित नहीं है; वह उनके जीवन में, उनके घर में, उनके प्रात में बड़ी गहराई के साथ व्याप्त है।

पञ्जाब ही सर्वप्रथम क्यों ?

भारतीय महिला-समाज के जागरण में पञ्जाब का स्थान सर्वप्रथम है, इतना कह-भर देने से पाठकों को सन्तोष न होगा। उन्हे इसका कारण जानने की भी उत्सुकता होगी। भारत के विभिन्न प्रातों में नारी को ऊपर न उठने देने में मुख्य कठिनाइयाँ रही हैं, परम्परागत रुढ़िवाद और सामाजिक बन्धन। पर सौभाग्य से पञ्जाब में रुढ़िवाद और सामाजिक बन्धनों को अपनी जड़ गहराई तक पहुँचाने का अवसर नहीं मिला। इसका एक विशेष कारण है, जो भारत के किसी भी अन्य प्रात के सम्बन्ध में लागू नहीं हो सकता। वह यह कि भारत पर उत्तर-पश्चिम से हुई चढ़ाइयों ने पञ्जाब को सदा आबादी और बरबादी के सम्बन्ध में जकड़े रखा है। आत्म-रक्षा और पेट की चिन्ता ने उसे कभी रुढ़ियों और सामाजिक बन्धनों की ओर अधिक ध्यान देने ही नहीं दिया। दूसरे यत्न आक्रमणकारियों का

वहुत-सा भाग पञ्जाब के पडोस मे बस गया और प्रत्यक्ष या परोक्ष, इच्छा से या अनिच्छा से, पञ्जाब को उससे रोटी-बेटी का व्यवहार करना पड़ा। आक्रमणों का आतङ्क, तो कालान्तर मे शान्त हो गया, पर वह अपनी अमिट छाप पञ्जाब पर छोड गया। अपने नये पडोसियों के सम्पर्क और जीवन-सम्ग्राम की कष्ट-सम्भ्यता ने पञ्जाब के सामाजिक और धार्मिक बन्धनों को ढीला कर दिया। वह समय तो बीत गया, पर आज भी पञ्जाब मे सामाजिक और धार्मिक बन्धन भारत के अन्य प्रान्तों की अपेक्षा अधिक ढीले, लचीले और दुर्बल है।

पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव^१

यवन-काल के बाद भारत मे अङ्गरेज आये। ये लोग पूर्ववर्ती आक्रमणकारियों की भाँति उत्तर-पश्चिम से न आकर पश्चिम-दक्षिण से आये, पर इनसे पूर्व इनकी हवा पञ्जाब मे पहुँच गई। यवन-राज्य के पतन और अङ्गरेजी शासन की स्थापना से पूर्व पञ्जाब मे सिक्खों का प्रभुत्व रहा। पर उनका कोई विशेष और स्थायी प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना एक पृथक् भत बना लिया। किन्तु इसमे कोई सन्देह नहीं कि उनके शासन ने पञ्जाब के धार्मिक और सामाजिक बन्धनों को ढीला करने मे कुछ-न-कुछ सहायता ही पहुँचाई।

पर आधुनिक पञ्जाब के सामाजिक जीवन पर अगर सबसे अधिक असर किसी का हुआ है, तो इसी पश्चिमी सभ्यता का। धार्मिक और सामाजिक बन्धनों की शिथिलता के कारण पञ्जाब ने पाश्चात्य सभ्यता को जिस शीघ्रता और सहूलियत के साथ अपना लिया, भारत के किसी दूसरे प्रान्त ने नहीं। कही-कही तो पाश्चात्य सभ्यता का यह रङ्ग इतना गहरा हो गया है कि विशुद्ध भारतीयता के प्रेमी चौक भी उठे हैं। पर यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता में सब-कुछ ऐसा नहीं है, जिसे अपनाकर भारतीयता के मोहर्की रक्षा भी की जा सके।

शिक्षा का बढ़ता हुआ प्रचार

पञ्जाब की बहनों को घर से बाहर लाने और समाज में आगे बढ़ाने का एकमात्र नहीं तो सबसे अधिक श्रेय शिक्षा को है। पञ्जाब के हर नगर, कस्बे और बड़े गाँव में कन्याओं की शिक्षा का प्रबन्ध है। पञ्जाब-सरकार ने स्वतं स्त्री-शिक्षा के प्रचार की ओर इतना ध्यान नहीं दिया, जितना स्वयं महिलाओं ने दिया और दिलवाया। आज पञ्जाब के साधारण-से-साधारण परिवार में भी कोई ऐसी कन्या न मिलेगी, जो निरक्षर हो। हमने तो देखा है कि अब लड़कों की पढाई पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, जितना कि लड़कियों की। यही कारण है कि आज पञ्जाब में विद्यालयों की सख्त्या असाधारण गति से बढ़ रही है। काँलेजों में पढ़नेवाली बहनों की सख्त्या भी कम नहीं है, और कई बार तो उन्होंने अपनी प्रतिभा का ऐसा परिचय दिया है कि पुरुष भी दङ्ग रह गये हैं।

पर यह न समझना चाहिये कि पञ्जाब की बहनों की शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित है। बहुत-सी बहनों ने डॉक्टरी, नर्स, अध्यापन, सिलाई-बुनाई और दन्दानसाजी में विशेष योग्यता प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का खासा अच्छा परिचय दिया है। दर्जनों बहनें विदेश हो आई हैं। अब तो प्रतिवर्ष कुछ-न-कुछ बहनें अध्यापन या डॉक्टरी की विशेष योग्यता प्राप्त करने विलायत जाती हैं। अभी थोड़े ही दिन हुए श्रीमती दत्त की अध्यक्षता में पञ्जाबी युवतियों का एक दल यूरोप की सैर करके लौटा है। हम समझते हैं कि इन बहनों का भ्रमण अन्य ज्ञान-पिपासु बहनों को भी विदेश में जाकर ज्ञानार्जन करने को उत्सुक बनायेगा और पञ्जाब के स्त्री-समाज में शिक्षा की लहर और भी प्रवलता के साथ आगे बढ़ेगी।

सामाजिक उन्नति और विकास

शिक्षा ने पञ्जाब की बहनों के जीवन को आमूल-चूल बदल दिया है।

पर्दा तो वे एक युग हुआ फाड़ चुकी थी, अब जो थोटा-वहुत लोग-दिलाऊ पाखण्ड और भिरभक थी, उसे भी बड़े नाहम के माय उन्होंने ठुकरा दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज सामाजिक जीवन में यदि हियों का पलड़ा पुरुषों से भारी नहीं है, तो हल्का भी नहीं है। वे समाज के हर क्षेत्र में पुरुष के भमान भाग लेती हैं। भत्कार्यों में उसे सहयोग देती है और अपनी इच्छा और अधिकारों के प्रतिकूल होनेवाली वात का निर्भी-कता और दृटता से विरोध करती है। शिक्षित महिला-समाज में पुरुषों के अत्याचार और ज्यादतिर्याएं एक प्रकार में अतीत की गायाएं हो गई हैं। वचपन की शादियाँ अपने-आप उठ गई हैं, पुराने ढोग-घृतूरे लुप्त हो गए हैं, धर्म और जाति-पांति की विडवना भिट रही है। काफी विवाह जाति-पांति तोड़ कर और प्राय वर-वधू की महमति से होते हैं। इसका एकमात्र श्रेय पञ्जाबी वहनों को ही है, जिन्होंने पुल्पों का हृदय और समाज का कलेवर ही बदल दिया है। हम तो यहा तक कहेंगे कि पञ्जाब की वहनों ने पुरुषों पर विजय पाई है।

मुस्लिम वहने पिछड़ी हैं।

ऊपर हम जो-कुछ कह आये हैं वह अधिकारात हिन्दू या सिक्ख वहनों के सम्बन्ध में ही लागू होता है। दुर्भाग्यवश पञ्जाब की मुस्लिम वहने एक प्रकार से इस नारी-जागरण के युग का अपवाद वनी हुई है। उनमें में साधारण घरानों की वहने तो प्राय शिक्षा ने दूर ही रहती या रखी जाती है। जो कुछ पढ़ती है, तो वे काँलेज तक में भी वुरका नहीं छोड़ती और किर शिक्षा समाप्त करने के बाद तो वुरका उनके जीवन के साथ ही छूटता है। अभी पिछले दिनों पञ्जाब-असेम्बली की मुस्लिम सदस्याएं वुरके में ही असेम्बली में आई और वुरके में से ही भाषण दिये। मैं तो समझ ही नहीं सका कि पढ़-लिखकर भी हमारी ये वहने वुरके का मोह क्यों और कैसे नहीं त्याग सकी? यहीं कारण है कि आज पञ्जाब के सार्व-

जनिक जीवन में केवल पुरुषों का प्राधान्य है और मुसलमानों में स्त्री-शिक्षा हिन्दुओं और सिखों की अपेक्षा शायद दशाश भी नहीं है।

कुछ मुस्लिम महिलाएँ भी ऐसी हैं जिन्होंने पर्दे को ठुकरा दिया है और जाति के मुल्ला-मौलियों के शोर-गुल का ख़याल न कर आगे बढ़ रही है। बेगम शाहनवाज और लेडी अब्दुलकादिर शायद इनमें प्रमुख हैं। अपने व्यवहार और प्रतिभा से उन्होंने न केवल पञ्जाब या भारत में ही, बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की है। हम तो कहेंगे कि जब तुर्की, मिस्र, अरब, ईरान, इराक, अल्बानिया आदि की मुस्लिम महिलाओं ने पर्दा त्याग दिया और आज वहाँ के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ रही हैं, तो पञ्जाब की मुस्लिम बहने गुलामी के इस चोले को उतार फेकने में विलम्ब क्यों कर रही है? क्या उन्हें प्रकाश और स्वतन्त्रता प्रिय नहीं है?

फैशन-परस्ती का रोग

पर हमारा यह लेख अधूरा ही समझा जायगा यदि हम पजाब में तीव्र गति से फैलनेवाली एक सक्रामक बीमारी का जिक्र न करे। वह महामारी है—‘फैशन-परस्ती’। खुशबूदार तेल, पाउडर, क्रीम, स्नो, सेट, लिपस्टिक आदि का प्रचार पजाब में बेहद बढ़ रहा है। कपड़ों और जूतों का फैशन तो इतना बढ़ रहा है कि वर्ष में शायद दो-एक डिजाइन नये आविष्कार किये जाते होंगे। विवाह, उत्सव और मेलों आदि को जाने दीजिये; आमतौर पर बाजारों में से गुजरने और प्रातः-साय वायु-सेवन को जानेवाली महिलाएँ भी ऐसे चटकीले-भड़कीले और वारीक कपड़े पहनती हैं कि जिनसे उनकी ‘लाज ढँकने’ की मर्यादा का पालन की अपेक्षा उल्लङ्घन ही अधिक होता है। देश की दरिद्रता को ध्यान में रखते हुए यदि पजाबी बहने फैशन-परस्ती को कम कर बज़़्ाल और गुजरात की भाँति सादगी को अपना सकें, तो शायद उनसे प्रान्त और देश को विशेष लाभ हो। किसी अश तक

कुछ पञ्जाबी वहनों ने पाश्चात्य सभ्यता का अन्धानुकरण करते हुए कई ऐसी वातों को भी अपनाना शुरू किया है, जो शायद भारतीय नारी के लिए शोभा और गौरव का हेतु नहीं है। क्या ही अच्छा हो यदि पञ्जाब की जाग्रत महिलाएँ इस फैशन-परस्ती के कलद्वारा को धो वहावे।

नारीत्व की लाभदाना

शास्त्रकारों ने जिस नारी को पूजनीया एवं बन्दनीया बतला कर घर, परिवार और समाज के मूर्द्धन्य पर आसीन किया है, कवि ने जिसके आँचल के दूध और आँखों के पानी को कल्पना और वाग्विलास के सहारे काव्य का गौरव प्रदान किया है तथा चित्रकार ने जिसके कटि-कुच-नासिकान्यन को अधिकतम काम्य रूप देकर अपनी निर्जीव तूलिका को अमर बनाया है, वही नारी आज युद्ध-क्षेत्र से अवैध गर्भ-धारण का पाप, बलात्कार का आधात और यौन-व्याधियों की विरासत लेकर लौटी है ! आज उसे देख कर हमारे मन मे पूजा या बन्दना के भावों का उद्वेक नहीं होता । आज उसके निस्तेज-कृश शरीर को देख कर कवि को शृगार की प्रेरणा नहीं मिलती और न उसके रँगे-पुते होठो, नाखूनों या गालों को देख कर किसी चित्रकार का अपनी तूलिका ही उठाने को मन करता है । आज कल्पना और कला-लोक की वह रगीन मूर्ति मानो खण्डित होकर अनेक प्रश्नसूचक चिन्हों के रूप मे एक स्थूल यथार्थता बन हमारे सामने खड़ी है । आज तो मानो उसके आँचल का दूध ही उसकी आँखों का पानी बन कर दुनिया की दया और सहानुभूति की भीख माँग रहा है । क्या उसे यह भीख मिलेगी ? पर यदि यह भीख उसे मिल भी जाय, तो क्या वह इससे अपनी अरक्षा की कुण्ठा और आशका दूर कर पायगी ? किन्तु कब तक ?

गत १६ फरवरी, १९४६ के 'ब्लिट्ज' मे भारतीय महिला-सहायक-दल की १०० सदस्याओं की ओर से जो पत्र छपा है, वह भारत की दुर्बल नारी की ओर से ऐसी ही भीख माँगता-सा जान पड़ता है । पत्र मे कहा गया है कि इन भारतीय महिलाओं को न सिर्फ रग-भेद के कारण अपमान की कड़वी धूंटे ही पीनी पड़ी, वल्कि प्रलोभन देकर अथवा दवाव डाल कर

इनकी इज्जत भी लूटी गई, इन्हे पतित किया गया और इनकी रही-सही प्रतिष्ठा तथा गौरव को भी नष्ट कर दिया गया। इनमें से बहुतों को अवैध रूप से माता बनना पड़ा, बहुतों को जबरन गर्भिणी बनाया गया और बहुतों के साथ बलात्कार हुआ, जिसके परिणाम-स्वरूप बहुत-सी गर्भी, सुज्ञाक आदि यौन-व्याधियों से पीड़ित हो गई हैं। बहुतों को नाचने, गाने, शराब पीने तथा अफसरों का मनोरजन करने के लिए भेजा गया। बहुत बार कई लड़कियाँ शराब के नशे में बेहोश गली-सड़कों पर पड़ी पाई गईं, जहाँ से उठा कर उन्हे निवास-स्थान पर पहुँचाया गया। ऐसी कई पीड़ित लड़कियों को गर्भपात करवाना पड़ा और कइयों ने लज्जा एवं ग्लानि के कारण आत्महत्या भी कर ली। जहाँ ये शिकायतें की गई हैं, वहाँ लड़कियों की ओर से कई तथ्यों को स्वीकार भी किया गया गया है। लड़कियों ने माना है कि भूठे बादों और गलत प्रोपेगेण्डा के कारण वे अपने घरों और परिवारों से छीन ली गईं, उन्हे अस्वाभाविक वातावरण में रखा गया, उन पर किसी तरह का नियन्त्रण नहीं था और चारों ओर रँगरँलियों का बाजार गरम था। यह बात भी स्वीकार की गई है कि बहुत-सी जवान लड़कियाँ ऊँचे-ऊँचे मनसूबे लेकर दल में भर्ती हुईं और बहुत-सी जान-वूफ़ कर इसलिए प्रलोभनों में फैसं गईं कि उन्हे किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त न थी। कुछ ने अपनी अज्ञानता भी स्वीकार की है। ~~अस्तु~~

ये बाते काफी गम्भीर हैं। अधिकारियों ने इन आरोपों की आशिक सत्यता स्वीकार करके भी बिना किसी निष्पक्ष जाँच के इन्हे अतिरजित तथा असत्य बतला दिया है। परन्तु सुप्रसिद्ध लोकसेविका श्रीमती हसा मेहता तथा श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय का समर्थन प्राप्त होने और सरकार द्वारा आशिक स्वीकृति के बावजूद इनकी खुली जाँच करवाने की अनिच्छा को देखते हुए मूल रूप से इनकी यथार्थता में सन्देह नहीं किया जा सकता। जो-कुछ भी हो, यह समस्या राजनीतिक से कहीं अधिक सामाजिक है। किन्तु हमें यह देख कर आश्चर्य हुआ कि पत्रों, व्यक्तियों

एवं सस्थाओं द्वारा इसे सामाजिक की अपेक्षा राजनीतिक महत्व ही अधिक दिया गया है। इसमे कोई सन्देह नहीं कि रग-भेद के कारण इस दल की सदस्याओं को जिन असुविधाओं, असमानताओं एवं अपमानों का शिकार होना पड़ा है, उनकी राजनीतिक अहमियत कम नहीं है। पर वह एक पृथक् और व्यापक प्रश्न है, जिसके शिकार केवल भारतीय महिलाएँ या फौजी ही नहीं, समस्त देशवासी हैं—और वह भी अकेले भारत या ब्रिटिश साम्राज्य में ही नहीं, सार-भर में। रग-भेद का मुख्य कारण भारत की राजनीतिक गुलामी है, और यह कहना गलत न होगा कि इसके अन्त के साथ ही सर्वांश में नहीं, तो अधिकाश में रग-भेद का भी अन्त हो जायगा। पर नारी के तथाकथित पतन और उसके साथ हुए बलात्कार का प्रश्न सर्वथा हमारा अपना और सामाजिक है, जिसका हल राजनीतिक स्वतन्त्रता-मात्र से ही नहीं हो जायगा। यहाँ हम उसके सामाजिक पहलू पर ही विचार करेंगे।

मानव-सृष्टि के आदि-काल से नर और नारी का स्वाभाविक सम्बन्ध
 पहले शारीरिक रहा है, फिर और कुछ। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भूख और भोग ही दोनों का समान धर्म रहा है। इसकी पूर्ति में दोनों एक-दूसरे के साथी-सहयोगी रहे हैं। ‘नियम’ या ‘अधिकार’-जैसे प्रश्न उनके सामने तब नहीं थे। दोनों में से किसको कम और किसको अधिक भूख-भोगेषणा महसूस होती थी और एक के सहयोग-सहायतार्थ प्रस्तुत न होने पर दूसरा क्या करता था, इस सम्बन्ध में सप्रभाण कुछ नहीं कहा जा सकता। पर मानव-विकास के चक्र की प्रागैतिहासिक काल की कहानियों से यह आभास जरूर मिलता है कि प्रकृतिश अधिक बलवान् होने के कारण पुरुष नारी की अपेक्षा अधिक बलात्कारी, स्वेच्छाचारी एवं निरकुश रहा है। जब उसे भूख लगती, जल-थल-नभ से जो भी मिल सकता था, छीन, तोड़, काट, मार, खोद या अन्य उपायों से प्राप्त कर वह अपनी क्षुधा शान्त करता था। इसी प्रकार भोग की इच्छा होने पर उसे जब, जहाँ,

जो भी नारी मिलती, उसकी इच्छा-अनिच्छा अथवा स्वीकृति-सहमति की परवाह किए बिना ही वह अपनी भोगेषणा जान्त करता था। (नारी के अभाव मे कई बार उसने अनेक प्रकार के अप्राकृतिक उपायों तथा पशुओं से भी ऐसा किया है।) नारी की इच्छा-अनिच्छा अथवा स्वीकृति-अस्वीकृति, उसके साथ भोग करने के अधिकार-अनधिकार तथा इस कृत्य के परिणाम आदि की चिन्ता करना तब तक वह सीखा ही नहीं था।

पर स्मरण रहे, यह आदि-काल की बात है। ऐसे आचरण को देख कर, पुरुष को केवल वर्वर अथवा बलात्कारी कहने से ही काम न चलेगा। अपने मन या इच्छा से अधिक उससे यह सब करवाना प्रकृति का काम था। अज्ञान के कारण प्रकृति पर उसका कोई वश न होकर उस पर प्रकृति का ही प्रविकार था। भूख-भोगेषणा के तकाजों को दबाने की न उसे कोई जरूरत देख पड़ती थी और न कभी उसने इनकी पूर्ति मे कोई सामाजिक अथवा नैतिक निषेध की ही सृष्टि की। जल, थल और नभ पर किसी का अधिकार न था, अत अपनी भूख मिटाने के लिए पशु-पक्षियों का शिकार करने अथवा कन्द-मूल-फल प्राप्त करने के मार्ग मे उसे किसी प्रकार के अवरोध-विरोध अथवा प्रतिद्वन्द्विता का सामना नहीं करना पड़ता था। पर जब सुगमता और प्राचुर्य से खाद्य मिलनेवाले स्थानों पर एक से अधिक पुरुषों की दृष्टि जमी, तो बलपूर्वक उसने उत्तम स्थानों को अपने एकाधिकार मे कर लिया—अर्थात् कुछ भू-भागों को पुरुष-विशेष अपनी सम्पत्ति समझने लगा। लगभग यही बात भोगेषणा की तृप्ति के सम्बन्ध मे भी हुई। नारी के शारीरिक एव मानसिक अवरोधों के सिवा—जिन पर वह अपने शरीर-बल से सहज ही विजय प्राप्त कर लेता था—उसके सामने सबसे बड़ी वाधा थी दूसरे नर या नरों की प्रतिद्वन्द्विता की, जो उसीके समान अपनी भोगेषणा की तृप्ति के लिए बलात्कार की शरण लेते थे। अत नारी को 'प्राप्त' करने के लिए उसे अकसर प्रतिद्वन्द्वियों से

सघर्ष करना पड़ता था और 'विजयी' होने पर भूमि ही की तरह वह नारी को भी अपनी 'सम्पत्ति' समझ कर अधिकारपूर्वक ग्रहण करता था।

किन्तु आदि-कालीन मानव का ज्यो-ज्यो विकास होता गया, त्यो-त्यो उसके भूख-भोगेषणा की पूर्ति के ढग भी बदलते-सुधरते गए। ज्यो-ज्यो वह 'सम्भ्य' होता गया, शरीर ही की तरह उसने अपने मन और शरीर के व्यापारों को भी ढँकना शुरू किया। परन्तु उसके जीवन का मूल धर्म कभी नहीं बदला, समयानुसार उसके बाह्य रूपों में परिवर्तन अवश्य होते गए। उसके अब तक के विकास का सारा इतिहास उसके जीवन के इसी मूल सत्य की नगनता एवं उसकी अभिव्यक्ति की बाह्य कुरूपता को कम करने अथवा ढँकने—नर-नारी की भूख-भोगेषणा की तृप्ति को दोनों के लिए अधिकाधिक सुगम, स्वस्थ, सुखद, स्वाभाविक, ऐच्छिक एवं समान स्वातन्त्र्यपूर्ण बनाने—के प्रयास एवं सघर्ष का ही इतिवृत्त है। युगातीत सघर्षों, षड्यन्त्रों एवं रक्तपात के बाद उसने यह समझा कि जब सभी नर-नारी में भूख-भोगेषणा समान रूप से है, एक की उभयेषणा की तृप्ति दूसरे के मार्ग में वाधक नहीं होनी चाहिए। यह अस्वाभाविक एवं अदूरदर्शितापूर्ण बाधा ही सारे सघर्ष, प्रतिद्वन्द्विता अथवा झगड़ों की जड़ है। इसे हम नर-नारी में व्यष्टि से समष्टि की भावना या सामाजिकता का उदय कह सकते हैं। शरीर अथवा अस्त्र-वल से लड़ कर सारे मसले हल करने के बजाय, जब मानव ने बुद्धि अथवा समझ से काम लेना शुरू किया, सघर्षों का स्थान समझौतों ने ले लिया और निरकुश स्वेच्छाचार का स्थान आचरण के सामाजिक नियम-कानूनों ने। अब वह कितना ही भूखा क्यों न हो, किसी के भी खेत से अनाज या किसी की भी दुकान या घर से खाद्य लेकर भूख मिटाना अनुचित, गैरकानूनी और चोरी समझने लगा। सामाजिकता अथवा सामूहिक जीवन की भावना के कारण मानव-समाज में ऐसी शक्ति आ गई कि इस तरह अवैध आचरण करने-वालों को दण्डित एवं बहिष्कृत किया जाने लगा। भोगेषणा की तृप्ति

के मार्ग में तो यह सामाजिक अवरोध और भी कड़ा सावित हुआ। उससे कितना भी व्याकुल होने पर नर का चाहे जिस स्थान पर और चाहे जिस नारी से उसकी इच्छा के विरुद्ध भोगेषणा की तृप्ति करना पाप और अनीति-पूर्ण समझा जाने लगा।

पर मानव-समाज इस दिशा में विशेष आगे नहीं बढ़ा। धर्म, जाति, रक्त, वर्ण आदि के नाम पर नर-नारी के बीच में अनेक नई ऊँची दीवारे खड़ी हो गईं। शरीर ही की तरह सबका बौद्धिक विकास भी एक-सा नहीं हुआ है। बकौल हेवलक एलिस के सभ्य और सस्कृत मानव बड़ा कपटी जीव हो गया है। अपने सकीर्ण स्वार्थों के लिए समाज को उसने अनेक देशों, जातियाँ, धर्मों, वर्णों और रक्त-श्रेणियों में वॉट दिया है। एक दिन जो निर्द्वन्द्व एवं निर्वस्त्र नर-नारी पहाड़ों-जगलों-मैदानों में घूमते और बिना किसी शर्म या भिभक्त के जब और जहाँ भी इच्छा हुई अपनी भूख-भोगेषणा पूरी कर लिया करते थे, आज उन्होंने अपने बीच में न सिर्फ वस्त्राभूषणों और ईंट-पत्थरों की दीवारे ही खड़ी कर ली है, बल्कि देश, जाति, धर्म, कानून, वर्ग, वर्ण, दासता, शोपण आदि के रूप में न-जाने कितने विभाजक पर्दे और दीवारे भी खड़ी कर ली हैं। इनमें से कुछ का, किसी हद तक, औचित्य एवं आवश्यकता स्वीकार भी की जा सकती है, पर अधिकाग्न ने तो नर-नारी के सम्बन्धों को काफी कटू, अस्वाभाविक एवं पाश्चात्यक बना दिया है। जिस प्रकार जमीन पर 'शासक', 'सरकार' या 'राष्ट्र' के नाम पर मुट्ठी-भर लोगों ने अधिकार जमाकर उत्पादन के सारे साधनोंको अपनी वपूती बना लिया है और अधिकाश लोगों को भूखों मरने पर मजबूर किया है, उसी प्रकार धर्म, जाति, रक्त, वर्ण, समाज और राष्ट्र के स्वयम्भू धनी-धोरियों ने नर और नारी के सहज स्वाभाविक सरबन्ध को भी एक खासा अच्छा व्यवसाय बना दिया है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि जो वयस्क व्यक्ति पेतृक सम्पत्ति, उच्च पद ग्रथवा अच्छी आय के न होने पर अपनी जाति, धर्म, वर्ण और समाज में अपना साथी

‘खरीदने’ की क्षमता नहीं रखते, वे दुराचरण या वेश्या-वृत्ति की शरण भले ही ले, ‘विवाह’ नहीं कर सकते। आज नर और नारी का सम्बन्ध बहुत-कुछ उनके वश के बाहर की-सी बात हो गई है। सभ्यता, संयम और सुरक्षा के नाम पर उस पर पवित्रता, धार्मिकता, नैतिकता और सच्चरित्रता का जो मुलम्मा चढ़ाया गया है, उसने इसे एकदम कृत्रिम, खोखला और अस्वाभाविक बना दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि नर और नारी का यह सहज-स्वाभाविक सम्बन्ध कानून और धार्मिक रूप बन कर अपनी स्वाभाविकता एवं स्वतन्त्रता खो चुका है। अधिकाश घरों में तो आज यह धर्म या कानून-सम्मत बलात्कार ग्रथवा व्यभिचार के रूप में ही कठिन साँसे लेता नजर आ रहा है।

पाषाण और धातु-युग का मानव आज कितना भी सभ्य, उन्नत एवं वैज्ञानिक विचारवाला क्यों न हो गया हो, पर पूँजीवादी समाज-व्यवस्था के कारण उसके समग्र जीवन का दृष्टिकोण एकमात्र पैसे से प्रभावित है। इस युग में मनुष्यों के तन और मस्तिष्क पैसे से खरीदे जाते हैं। जिस प्रकार धनाद्य व्यक्ति चाहे जितने सुस्वादु व्यजन खरीद कर अपने उदर और रसना की तृप्ति कर सकता है, उसी प्रकार वह भोगेषणा की तृप्ति के लिए भी चाहे जितनी नारियों के शरीर खरीद सकता है। जिनके पास पैसा नहीं या कम है, वे वय-प्राप्त एवं स्वस्थ होने पर भी निकृष्ट एवं अप्राकृतिक उपायों का अनुसरण करते हैं। इसने नर और नारी के दृष्टिकोण को सर्वथा दूषित कर दिया है। इसीलिए आज नर के लिए नारी भोग की अन्य वस्तुओं की तरह ही एक खरीदी जा सकनेवाली चीज हो गई है। नर के इस दूषित दृष्टिकोण ने नारी को निरक्षर एवं अज्ञान-ग्रस्त रख कर आज ऐसा निर्जीव और नासमझ बना दिया है कि वह अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व एवं पृथक अस्तित्व को भूल-सी गई है। इसी भूली, खोई और अज्ञान-ग्रस्त नारी को नर ने बन्दनीया, पूजनीया, आत्मत्याग की प्रतीक और न-जाने क्या-क्या काव्यात्मक सज्जाएँ देकर अपनी

चिर-दासी बना लिया है। ऊपर हमने भारतीय महिला-सहायक-दल की सदस्याओं के जिन आरोपों का जिक्र किया है, वे इसी दासता, अज्ञान और रुढ़िगत कुसस्कारों से ग्रस्त दुर्बल और भूली-खोई नारी की चीत्कार-मात्र है। वह घर की चहारदीवारी छोड़कर बाहर युद्ध-क्षेत्र में आई, इसलिए उसे ऐसा कटु अनुभव हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। आए दिन समाज में—घरों में और घरों के बाहर—उसके साथ ऐसा ही वर्त्ताव होता है, और इसके विरुद्ध इस तरह की चीत्कार ग्रथवा अदालतों की ड्यूडी नापने के सिवा उसके सामने जैसे और कोई चारा ही नहीं।

इन अभागी महिलाओं के आरोपों को ले कर जितना बड़ा राजनी-तिक तूफान देश में उठा, उतना बड़ा सामाजिक भूकम्प नहीं आया। इससे यह अनुमान करना बेजा न होगा कि नारीत्व की इस तीखी लाज्जना को भी चुपचाप सह लेने की हम लोगों में कितनी क्षमता है। जहाँ नारी देवी, गृहलक्ष्मी, माँ और न-जाने किन-किन पवित्र नामों से सम्बोधित की जाती हो, वहाँ उसका यह घोर अपमान सभा-सम्मेलनों में पास हुए चन्द्र प्रस्तावों और धारा-सभा में पूछे गए कुछ प्रश्नों के सिवा समाज में कोई गहरी और तीव्र प्रतिक्रिया पैदा न कर सका यह कम खेद और शर्म की बात नहीं है। पर पुरुषों से अधिक हमें इसकी शिकायत स्वियों से है। यह उनके अपने सम्मान, स्वाभिमान और गौरव का प्रश्न है। चरित्र और नैतिकता के रुढ़िगत आदर्शों में विश्वास न होने पर भी हम इतना तो अवश्य ही कहेंगे कि इस युग में भी जो नारी पुरुष के बलात्कार से अपनी रक्षा नहीं कर सकती, उसे किसी से इस बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए। एकाध लड़की के साथ किसी सैनिक ने छेड़-छाड़ या बलात्कार किया होता, तो उसे एक अकस्मात् और नारी के शारीरिक दौर्बल्य के कारण हुई दुर्घटना कह कर नजर-अन्दाज किया जा सकता था। पर जहाँ सैकड़ों जवान लड़कियां रह रही हो और महीनों तक सामूहिक रूप से उनके साथ जोर-जवरदस्ती की जाती रहे और वे सिर्फ

भारत-रक्षा-कानून के डर से इसका भण्डाफोड़ न करे और न कोई सक्रिय सामूहिक विरोध ही, इस पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर बहुत-सी लड़कियों का यह स्वीकार करना कि पदोन्नति के भूठे वादो, भविष्य के बड़े-बड़े मन्त्सुबो, किसी प्रकार का नियन्त्रण न होने और चारों ओर रँगरलियों के सामान होने आदि के कारण कई बार तो वे जान-बूझ कर इन प्रलोभनों में फँस गईं, उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। रही अज्ञानता, उपयुक्त बौद्धिक और नैतिक शिक्षा का न दिया जाना और अस्वाभाविक वातावरण, सो इनके लिए विदेशी शासन को, जो अपने स्थिर स्वार्थों एव साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ रहा हो, सर्वांश में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लगभग सभी देशों की स्त्रियों ने पिछले महायुद्ध में बहुमूल्य सहयोग दिया है। कल-कारखानों, दफ्तरों, अस्पतालों एव युद्ध-क्षेत्रों में उन्होंने जो-कुछ किया है, उससे युद्ध जीतने में काफी मदद मिली है। पर किसी भी देश में ऐसे गम्भीर आरोप सुनने में नहीं आये।

ईमानदारी का तकाजा है कि भारतीय नारीत्व की इस लाल्हना के मूल में हमारे देश की नारियों की जो अज्ञान-जनित बढ़मूल धारणाएँ, झंडिगत आन्तियाँ और चरित्र तथा नैतिकता-सम्बन्धी मिथ्या भावनाएँ हैं, उन्हे हम स्वीकार करे, ठीक तरह से समझे और विश्लेषण के बाद उन्हे दूर करने की चेष्टा करे। जो मिथ्याभिमानी अपनी सभ्यता, सस्कृति और नैतिकता के अनुचित मोह में पड़ कर भारतीय नारीत्व को विश्व-नारीत्व से अलग, विशिष्ट एव ऊँचा सावित करने की चेष्टा करते हैं, वे नारीत्व के सबसे बड़े और निष्टृप्त शत्रु हैं। यदि हम इस कूप-मण्डकता से तनिक ऊपर उठ सके, तो हमें यह जानते देर न लगेगी कि अनेक वातों में श्रेष्ठ एव उन्नत होते हुए भी भारतीय नारियाँ विश्व में सबसे अधिक गुलाम, पिछड़ी हुईं और अज्ञान-ग्रसित हैं। हम लोग जीवन, समाज, चरित्र आदि सब को आदर्शों की तुला पर ही तोलने के अभ्यासी हैं, जब कि

पूँजीवादी समाज-व्यवस्था मे कोरे आदर्श थोथे ढकोसलो और दुर्बल को ठगने के अस्त्रो से अधिक कोई अस्तित्व या महत्व नहीं रखते। सहज-स्वाभाविक और सामान्य जीवन की बात हम न कभी सोचते हैं और न उस पर अमल ही करते हैं। आदर्शों के नाम पर कुछ अव्यावहारिक स्वप्नों की गठरी माथे पर लादे फिरना और एक दिन उसी के साथ चिता पर सो जाना ही मानो हमारे जीवन का सबसे ऊँचा आदर्श है। आदर्शों 'की कृत्रिमता के फेर मे पड़ कर हम जीवन की सहज यथार्थता से मुँह मोड़ लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारा जीवन दुराचार-पूर्ण, पलायनवादी, नीरस, असुखकर और भार-रूप हो जाता है तथा जब कभी उसमे परिस्थितिवश माकस्मिक आघात लगते हैं, तो हमारे आदर्शों का महल सहसा ढह पड़ता है और हमे जीवन बेकार-सा दिखाई देने लगता है। अतएव सहज सामान्य जीवन के लिए पहली आवश्यकता यह है कि हम छूँछे आदर्शों की दुम से लटकने की आकाशी वृत्ति छोड़े और जीवन को परिस्थितियो एव समय की आवश्यकताओं के अनुसार ढाले। न नर को राक्षस और नारी को देवी समझे, न उनके प्राकृतिक सम्बन्ध को धर्म और नैतिकता के मुलम्मे से अवाञ्छनीय रूप से चमकीला बनाने की ही कोशिश करे।

पर इसका मतलब यह कदापि नहीं कि हम जीवन मे नैतिकता और सञ्चरित्रता के आदर्श को सर्वथा कोई स्थान नहीं देना चाहते। उनके सही मूल्य और महत्व को किसी भी हालत मे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, पर उनके थोथे स्वरूप एव अनावश्यक महत्व के विरोधी हम अवश्य हैं। यदि औसत आदमी को इमानदारी से मेहनत कर सामान्य जिन्दगी बसर करने का मौका मिले, तो कभी भी वह जीवन को पतित एव गर्हित नहीं होने देगा। आदर्शों की उडान न भर कर भी वह दुराचारी नहीं बनेगा। बुराई और बदमाशी पर आदमी तभी उतारू होता है, जब जीवन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति का मार्ग बन्द कर दिया जाता है।

स्वाभाविक जीवन की जहाँ गुजाइश नहीं, वही अस्वाभाविकता का विस्फोट होता है। इसे कितना ही आकस्मिक एवं आधातपूर्ण क्यों न कहा और समझा जाय; पर इसके कारण और परिस्थितियाँ हम स्वयं उपस्थित करते हैं। दूसरे शब्दों में आज का समाज मनुष्य को सहज-स्वाभाविक जीवन से वचित कर दुराचरण अथवा नैतिक स्वल्पन के लिए ही विवरण-सा करता है।

सबसे पहली बात, जिस पर हमें ध्यान देना है, वह है नर और नारी के सरवन्धों की अस्वाभाविकता। युग बदले, युग-धर्म बदला, पर हम अभी वही सदियों पहले की लीक पीट रहे हैं। आज भी हमारे देश में, अपवादों को छोड़कर, जीवन-साथी चुनने की जिम्मेदारी माँ-वाप की ही है। जहाँ लड़के-लड़की जवान और सुशिक्षित होते हैं, वहाँ भी यह जिम्मेदारी माँ-वाप अथवा सरक्षक की ही रहती है—वल्कि इसे जिम्मेदारी से अधिक वे अपना अधिकार समझते हैं, और ग्रनेक बार तो लड़के-लड़की की इच्छा और सरक्षक के इस अधिकार-पालन में व्याधात उपस्थित होने पर जीत सरक्षक की ही होती है। कुछ लड़के-लड़की सम्पत्ति के लोभ से और कुछ माता-पिता अथवा सरक्षक का जी न दुखाने या मन न तोड़ने के मोह से अपनी 'इच्छा' की उनके 'अधिकार' पर बलि दे देते हैं। कहीं-कहीं लड़के तो सरक्षकों के इस अधिकार को चुनौती देते अथवा उसके खिलाफ बगावत करते भी हैं, पर लड़कियाँ तो अपेक्षाकृत बहुत ही कम। इस तरह विवाह के नाम पर होनेवाला उनका यह मूक बलिदान भारतीय जीवन का बहुत बड़ा कलक है।

जीवन का साथी स्वयं चुनने के खिलाफ पुरातनपन्थियों की सबसे पेटेण्ट दलील यह है कि चूँकि प्रेम अन्धा होता है, जवानी विवेकहीन होती है, यह चुनाव अनुभवी माता-पिता अथवा सरक्षक द्वारा होना ही समीचीन है। यह दलील इतनी खोखली और लगो है कि आज इसकी व्यर्थता सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं। दूसरी श्रेणी के लोगों का कहना है कि

चूंकि अधिकाश लड़कियाँ पढ़ी-लिखी नहीं, अत. वे जीवन-साथी के चुनाव में अपनी स्वतन्त्र इच्छा से काम नहीं ले सकती। पर शिक्षित होने पर भी वहुधा वे अपने सरक्षको पर ही निर्भर करती हैं। इसका कारण यह है कि आजकल की अधिकाश लड़कियाँ शिक्षा पाकर भी परम्परागत रुद्धियों से मुक्त नहीं हो पाती। (यही हाल लड़कों का भी है।) आर्थिक स्वावलम्बन में तो अभी वे बहुत ही पिछड़ी हुई हैं। एक तो उनकी शिक्षा जैसी होनी चाहिए, नहीं होती, दूसरे जन-साधारण की भ्रान्त धारणाओं एवं सामाजिक स्तर के बहुत गिरे हुए होने के कारण पुरुष ही की तरह वे आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र नहीं हो पाती। टेलीफोन, अस्पताल, शिक्षा-विभाग आदि को छोड़ कर बहुत कम क्षेत्रों में उन्हें उपयुक्त काम मिल सकता है। अपनी पश्चिमी वहनों की तरह दफ्तर के भीतर और बाहर के अनेक कामों के लिए अभी वे अपना कृतीत्व सिद्ध नहीं कर पाई हैं। यह कहना सर्वांश में ठीक नहीं कि अवसर मिलने पर वे सब-कुछ कर सकती हैं, क्योंकि अन्य देशों की नारियों की अपेक्षा भारतीय नारी अभी आचरण और नैतिकता के अनुचित महत्व और पुरुषके साथ खुलकर बात-चीत करने एवं घुल-मिल सकने की भिन्नक से मुक्त नहीं हो सकी है। पढ़-लिख कर वह घर से बाहर ज़रूर आई है, पर बाहर की आज्ञादी जैसे उसे एकदम सकटापन्थ, दुरुह एवं महँगी-सी जान पड़ रही है।

यदि केवल अवसर मिलने का ही प्रश्न है, तो पिछले महायुद्ध ने अन्य देशों की भाँति भारतीय महिलाओं को भी काफी बड़ा अवसर दिया। देश की राजनीतिक गुलामी के कारण जन-साधारण की भावना युद्ध में विदेशी शासकों की मदद न करने की ओर ही अधिक थी, अत जितनी शिक्षित स्त्रियाँ युद्ध-कार्यों में भाग लेने कोआगे आ सकती थीं, नहीं आईं। जो आईं, वे गरीब या निम्न मध्यम-श्रेणी की थीं। सामान्यतया ये शिक्षित ही थीं। पर इस सब के बावजूद इनमें से महिला-सहायक-दल में भर्ती हुई वहनों के साथ जो-कुछ-हुआ, उसे क्या कहा जाय? आर्थिक

स्वावलम्बन तो इन्हे मिला, पर अज्ञान, उच्चाकाक्षा, अस्वाभाविक वातावरण, कठिनाडयों और प्रलोभनों के कारण ये अपने चरित्र की रक्षा नहीं कर पाईं ! क्यों ? जिन्हे यह नहीं मालूम कि वे क्या और क्यों पढ़ रही हैं, स्कूल और कालेज जाने-लेआने के लिए जिन्हे एक सरक्षक की जरूरत पड़ती रही है, ट्राम, बस और दफ्तरों में जो अकेली चलने में भिस्फूकती है, अजनबी पुस्थों से खुल कर बात करने में जो शरमाती है और सब-कुछ पढ़ कर भी नर तथा नारी के सम्बन्धों के बारों में जिनका ज्ञान न-कुछ, अधूरा या भ्रातिपूर्ण ही रहता है, वे भला अकेली अपने पाँवों पर कैसे खड़ी हो सकती है ? यूरोप और अमरीका की न-जाने कितनी स्त्रियाँ आज दूर देशों में अकेली रह कर बड़े-बड़े काम और जीविकोपार्जन कर रही हैं। पर कितनी भारतीय स्त्रियाँ माज, विदेशों को जाने दीजिए, अपने ही देश में अकेली रह कर सुख-शान्ति से जीवन-यापन कर पाती हैं ?

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतीय नारियों में (पर सिर्फ़ शहरों में ही) शिक्षा का काफी प्रचार हुआ है और आर्थिक स्वावलम्बन की ओर भी उनकी प्रवृत्ति हुई है। आज उनकी स्वतन्त्रता, समानता, शिक्षा एवं अधिकारों के दावे भी किए जा रहे हैं। जाग्रत्ति और लोकतन्त्र के इस युग में इनका स्वागत और समर्थन ही किया जाना चाहिए। पर स्वतन्त्रता और अधिकार माँगने से नहीं मिला करते, वे प्राप्त किए जाते हैं। उनके उपयोग और उन्हे कायम रखने के लिए नारी में क्षमता होनी चाहिए। भारतीय महिला-सहायक-दल की सदस्याओं—सब नहीं—के साथ हुए तथाकथित दुर्घटवहार से स्पष्ट है कि यह क्षमता अभी भारतीय नारी में नहीं आई है। शिक्षा ने उसे नौकरी के लायक भले ही बना दिया हो, आत्म-विश्वास और आत्म-बल वह उसे नहीं दे सकी और न रुद्धिगत कुसस्कारों से उसे मुक्त ही कर पाई है। जो नारी पढ़-लिखकर घर से बाहर जाती है, जीविकोपार्जन के सघर्ष में पड़ती है, उसे अपनी देह और चरित्र की रक्षा और चारित्रिक नैतिकता को धार्मिक तथा घर के अब तक

के कैदखाने की धारणाओ से भिन्न करके देखना-समझना होगा । हर स्त्री यदि अपनी लज्जा-रक्षा के लिए द्रौपदी की तरह कृष्ण को ही पुकारेगी, तो उसे बुरी तरह निराश होना पड़ेगा । इसी प्रकार शारीरिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में भी यदि वह सतर्क और सम्यक् रूप से अभिज्ञ न होगी, पर-पुरुष के स्पर्श-मात्र से ही यदि अपने चरित्र अथवा सतीत्व को अप्स्ट मानने लगेगी, तो घर की कैद से अच्छा और सुरक्षित स्थान भला उसके लिए और कहाँ होगा ?

पर क्या आज की नारी विकास-मार्ग की कठिनाइयों से डर कर फिर उसी युगातीत गुलामी में मुँह छिपा लेगी, जिसने उसे पूजनीया और वन्दनीया कहलवा कर भी पुरुष के पाँव की जूती ही बनाये रखा है ? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा । आज उसे आगे बढ़ने—स्वतन्त्र और स्वावलम्बी होने—के अवसरों से लाभ उठाना होगा । उसे आँचल के दूध और आँखों के पानी को यात्मबल एवं आत्म-विश्वास में बदलना होगा । चरित्र और नेतिकता-सम्बन्धी रुद्धिगत भ्रान्तियों से उसे अपने-आपको मुक्त करना होगा । अवाञ्छनीय नरों की कुचेष्टाओं को विफल करने, उन्हे दण्डित करने-कराने का साहस तथा मनोनुकूल जीवन-साथी चुनने की क्षमता एवं विवेक उसे अपने में पैदा करना होगा । जीवन-क्षेत्र की फिसलती जमीन पर उसे मजबूती से अपने पाँव टिकाने होगे और मजबूत हाथों से बलपूर्वक अपने अधिकार, समता-स्वतन्त्रता, प्राप्त करने होगे । जब वह घर से बाहर आई है, तो उसे अपने-आपको बाहर की परिस्थितियों-आवश्यकताओं के अनुरूप भी बनाना होगा । आज का समाज शरीर नहीं, बुद्धि-बल से सचालित होता है । अत उसे अपने-आपको शरीर या बुद्धि में पुरुष से दुर्बल समझने की भ्रान्ति त्याग कर बुद्धि से काम लेना होगा । विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से भी बढ़ कर उसके लिए सच्चा विद्यालय जीवन का क्षेत्र एवं सघर्ष है । अपने बुद्धि-बल और कौशल से इसमें उचित शिक्षा प्राप्त करना और सफल होना

ही उसकी सफलता कही जायगी । इसी सफलता द्वारा वह अपनी सारी अयोग्यताओं, कमियों, वादाओं और सामाजिक तथा अर्थनीतिक अनाचारों से मुक्त हो स्वच्छता एव स्वावण्म्बन की सास ले सकेगी ।

जीवन-साथी का चुनाव

विवाह शायद सूष्टि के आदि-काल से ही मानव जीवन का सबसे विपम और जटिल प्रश्न रहा है। चाहने और प्रयत्न करने पर भी मनुष्य इसे उचित और सन्तोषजनक रूप में हल नहीं कर सका है। आज भी यह उसके सामने उसी रूप में उपस्थित है, जिस रूप में यह उसके कई पीढ़ियों पहले के पूर्वज के सामने था। पर इसका कारण मनुष्य की अक्ष-मता या अज्ञान नहीं, विवाह की गहनता है, जो उसके लिए कभी न हल होनेवाली पहेली-सी बनी हुई है। हाड़-मास का पुतला यह 'मानव' न कभी अपनी कल्पनाओं को सत्य कर 'देवता' वन सका है और न ही वह धर्म तथा नीति की सीमाओं में बाँध कर भी विवाह को 'आदर्श' बना सका है। प्रयत्न तो आज भी वह इसी वात के लिए कर रहा है कि विवाह को सभ्यता और सस्कृति की ऊँची-से-ऊँची सीढ़ी पर पहुँचाये और अपनी सुनहली कल्पनाओं के स्वर्ग को पाप और प्रमाद की इस पृथ्वी पर लाये।

विवाह एक सस्कार है, जिसका शास्त्रों में विधान है। पर हमें शङ्का है कि सस्कार और विवान बन कर भी यह सही मानी में अपनी उपयोगिता और आवश्यकता सिद्ध कर सका है? सभी विधान तो सफल नहीं होते? सस्कार हमने उसे ज़रूर बना लिया है, पर वह एक औपचारिकता से अधिक कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन के सत्य अथवा वास्तविकता के साथ यह औपचारिकता कितनी घुल-मिल सकी है, यह तो हमें अनुभव की कसौटी पर ही कस कर देखना है। माता-पिता वर-वधू का निर्वाचन—अगर इसे 'निर्वाचन' सज्जा दी जा सके—कर देते हैं और ब्राह्मण, मौलवी या पादरी उनका 'पाणि-ग्रहण' करा उनके 'सम्बन्ध' पर धर्म की मोहर भी लगा देता है। इसके बाद माता-पिता और विवाह

करानेवाले अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं। लेकिन वर और वधू का यह 'पाणि-ग्रहण' क्या वास्तव में दो हृदयों को, शरीरों को, स्नेह-सूत्र में बाँधनेवाली एक सुखद नैतिक गत्ति होती है या सिर्फ़ कुत्ता-घसीटी और फजीहत ही, यह तो वर-वधू ही बतला सकते हैं। जब विवाह के बाद वर और वधू जीवन के नग्न सत्य का सामना करते हैं, एक-दूसरे के इतने निकट आते हैं जहाँ किसी भी तरह के मध्यस्थ की गुञ्जाइश नहीं रहती, तब वे अनुभव करते हैं कि अपने जीवन का साथी चुनने में बड़ों के लिहाज़ और समाज के नियम-प्रतिवन्धों से काम लेकर उन्होंने शायद अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। हमारा यह अभिप्राय नहीं कि विवाह के मामले में बड़ों के अनुभव या सलाह से लाभ न उठाया जाय, पर यह हर हालत में वैकल्पिक होना चाहिए, लाजिमी नहीं। अपने साथी के चुनाव का अन्तिम निर्णय तो उन्हीं को करना चाहिए, जिन्हे जीवन-भर साथ रहना है।

लेकिन इस सम्बन्ध में भी यह आपत्ति की जा सकती है कि पाश्चात्य देशों में तो विवाह वर-वधू की इच्छा से ही होते हैं, फिर वे असफल क्यों होते हैं? इस प्रकार की आपत्ति काफी माकूल है। आदमी जो कुछ निर्णय करता है, वह सदा-सर्वदा के लिए ठीक हो, यह जरूरी नहीं। रोज़ बदलने-वाली स्थिति तथा नई-नई घटनाओं और अनुभवों का हमारे जीवन पर अनिवार्यत असर होता है और उसीके अनुसार हमारे जीवन का दृष्टिकोण भी बदलता जाता है। आज हम जिसे ठीक समझते हैं, कल वह ठीक नहीं मालूम या कुछ कम ठीक होता है। वय के साथ ज्यो-ज्यो हमारा ज्ञान और अनुभव बढ़ता जाता है, त्यो-त्यो हमारी बुद्धि और निर्णय-शक्ति भी सशोधित और परिमार्जित होती जाती है। परिवर्तन तो प्रकृति का अटल नियम है। विवाह की समस्या और उसके हल की भी हमें इसीके मुताबिक कतर-व्यौत बैठानी पड़ती है। उचित और जरूरी यही है कि हम आज तक के अनुभवों से पूरा-पूरा लाभ उठाते हुए कल का

अगला कदम बढ़ाये, ताकि पिछली गलतियों की पुनरावृत्ति होने का डर न रहे। जो लोग स्वयं अपना जीवन-साथी चुनते हैं—जिसके चुनाव की गलती की जिम्मेदारी वे अपने सिवा किसी दूसरे पर नहीं डाल सकते—उन्हें किन-किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है?

विवाह में जिन बातों का मुख्यतया ध्यान रखा जाना चाहिए, वे हैं पात्र और काल। पर पात्र से भी पहले काल विवाह में विचारणीय पहलू है। किन्तु दुर्भाग्यवश हमारे देश में तो जहाँ लड़की १२-१३ वर्ष की हुई और लड़के की रेख फूटी नहीं कि उनकी शादी की बातचीत शुरू हो जाती है। अभिभावक कहने लगते हैं कि अब यह शादी के लायक हो गए हैं। अगर लड़की १५-१६ और लड़का १८-२० की उम्र पार कर जाय, तब तो अभिभावकों को उनके विवाह की इतनी अधिक फिक्र हो जाती है कि कर्ज लेकर या बड़ी-से-बड़ी जोखिम उठा कर भी वे अच्छे या साधारण पात्र का विचार किये बिना उनकी शादी का 'पाप'-काट देते हैं। वे अक्सर कहा करते हैं कि जवान होने पर अगर शादी नहीं की गई, तो लड़के-लड़की के विगड़ने का खतरा है। जवान लड़के और लड़की को इतनी आशङ्का और भय की दृष्टि से देखा जाता है जैसे वे कोई भयङ्कर ज्वालामुखी हैं, जो न-मालूम कब फूट पड़े। माता-पिता के अलावा सभी परिचित-परिजन और पास-पडोसवाले भी उठते-बैठते उनके विवाह का ही जिक्र करेंगे। कभी-कभी तो दो व्यक्तियों के विवाह के लिए चिन्तित होनेवाले व्यक्तियों की सख्त्या का अन्दाज़ा लगाना भी कठिन हो जाता है। हर नौजवान से नाम, निवास-स्थान, शिक्षा और पेशा, जायदाद या वेतन वगैरह पूछने के बाद शादी का सवाल ज़रूर पूछा जाता है—वह विवाहित है या अविवाहित? अगर विवाहित है तो कितने बाल-बच्चे हैं, और अगर अविवाहित है, तो क्यों? अब तक शादी क्यों नहीं हुई?

यह समझना काफी मुश्किल है कि हम लोगों ने आखिर विवाह को

इस प्रकार हौआ क्यों बना रखा है ? माता-पिता और पड़ोसियों को लड़के-लड़कियों के जवान होने ही उनके 'बिगड जाने' की आशङ्का क्यों होने लगती है ? अधिकाश लोगों पर विवाह का भूत इस बुरी तरह क्यों सवार है ? इन प्रश्नों पर अगर हम जरा बारीकी से विचार करें, तो हमें इनकी तह में एक मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा मिलेगा । यह सत्य हमारी कमजोरियों और खामियों का एक नग्न-चित्र है, जो निस्सन्देह अत्यधिक काला है । जिस नवयुवक या नवयुवती के सामने इच्छा या अनिच्छापूर्वक विवाह या बिगड जानेकी आशङ्का, बस यहीं दो विकल्प हो, उसे अपना भविष्य बनाने में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना 'पड़ता है, यह कोई भुक्त-भोगीं ही बता सकता है । ज्योही वह अपने-आपको या दुनिया को समझने लायक हुआ, उसके सामने विवाह का एक ऐसा धृआँधार तूफान उठ खड़ा होता है कि वह उसके भीतर से आशा या प्रकाश की कोई क्षीण-रेखा भी नहीं देख सकता । उसे ऐसा मालूम होता है मानो वह जीवन-भर डस तूफान से लडेगा और लड़ता-लड़ता ही अपनी विफलता की थाती दूसरों के लिए छोड़ कर एक दिन शिथिल होकर सदा के लिए गिर पड़ेगा । यहीं उसके आशा और आकाक्षामय 'जीवन की और उसके सुनहले सपनों की दुखद इति होगी ।

विवाह नर और नारी के जीवन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्स्कार श्रव व्यापार है) हम यहाँ विवाह को उसी रूप और ग्रथ में मान कर चलते हैं, जिसमें कि वह आमतौर पर आजकल समझा जाता है । विवाह की रस्म पूरी की जाने से पहले उसकी आवश्यकता, अनिवार्यता और अहमियत को जतलाने के लिए हमारे घर, पड़ोस और समाज में जो वाता-चरण तैयार कर दिया जाता है, अधिकाश लड़के-लड़कियों को उसीकी रोशनी में अपना मार्ग तय करना पड़ता है । उससे ऊपर उठ कर या उसकी सीमाओं से परे कुछ देखने या करने की क्षमता और साहस वहुत कम लोगों में पाया जाता है । इसीलिए विवाहेच्छुकों को विवाह का

काल लोक-लज्जा और शायद अपनी निजी कमजोरियों को देख कर ही निश्चित करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में जवान होते ही लड़के-लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है या उन्हे विवाह कर लेना पड़ता है। विवाह केवल काम-वासना की तृप्ति ही तो नहीं है। वह कुछ और भी है, जिसे शायद शब्दों में हम ठीक-ठीक न बतला सकें।^{१०} सेक्स-सम्बन्ध या काम-वासना की तृप्ति तो विवाह के बिना भी हो सकती है—और शायद सभी कालों में होती भी रही है—लेकिन जीवन के सच्चे साथी की प्रीति और प्रेरणा द्वारा जिस जीवन-इकाई का निर्माण होता है, वह तो यच्छे विवाह के बिना सम्भव नहीं। केवल कानूनी औपचारिकता और धार्मिक रस्म ही तो विवाह नहीं है।^{११}

^{१०} आज हमारे देश के विभिन्न वर्गों और जातियों में जो विवाह होते हैं, वे निश्चित रूप से 'ठीक समय' पर नहीं होते। यही कारण है कि अधिकांश विवाह एकदम असफल रहते हैं।^{११} श्रीजकल हमारे यहाँ विवाह का 'ठीक समय' जवानी का आरम्भ समझा जाता है। शायद यह समझ या धारणा हमें कई पीढ़ियों से विरासत में मिली है। युवावस्था में स्वभाव-तथा काम का वेग प्रवल और कुर्दमनीय होता है। इसलिए इस अवस्था में होनेवाले विवाहों का उद्देश्य काम-वासना की तृप्ति प्रधान और सस्कार या जीवन-साथी की भावना गौण हो जाती है। ऐसे विवाहों का आकर्षण जितना भी हो, उनका महत्त्व एव सार्थकता कम है। इनमें अपने जीवन का साथी उसीको चुनने का प्रत्यक्ष या परोक्ष भूकाव रहता है, जो अधिक-से-अधिक सुन्दर और सुडौल हो, और 'कामदेव' की प्रसन्नता एव सन्तुष्टि के लिए अधिक-से-अधिक योग दे सके। काम एक ऐसा मद है, जो शान्त होने की वजाय अधिक भड़कता है, जब तक उसकी आग मानव को शिथिल कङ्काल नहीं बना देती। वह ऐसे विवाह में स्वर्ग का सुख देखता है और अपने साथी को 'प्रेम' से ओत-प्रोत कर देता है। जब तक शारीरिक सम्पर्क से पैंदा होने वाला यह आकर्षण और प्रेम रहता है, विवाह उसके

लिए पश्चात्ताप का कारण नहीं बनता, पर इसके कम होते ही वह 'विवाह' को भझट या जजाल समझने लगता है। यद्यपि समाज और कानून का डर उसे यावज्जीवन इस जजाल से पिछ नहीं छुड़ाने देता, पर वास्तव में वह जीवन का सच्चा सुख और सन्तोष खो बैठता है। शारीरिक सम्पर्क की यह प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त होती है कि वह सिर्फ विवाह या वैवाहिक जीवन से विकर्षण ही पैदा नहीं करती, बल्कि घर, पड़ोस और सुतराम् ससार से भी एक तरह का गहरा विराग और विकण्ठा-सी पैदा कर देती है। विवाह के गलत तरीके की इस भोड़ी विफलता पर पर्दी डालने अथवा इसे जीवन की विजय और सफलता की सीढ़ी बनाने के लिए हमने अपनी अहमन्यता के द्वारा बानप्रस्थ तथा सन्यास आश्रमों की सृष्टि कर ली है। यह मनुष्य का दूसरों को धोखा देने के बाद अपने-आपको धोखा देने का एक कल्प प्रयत्न-मात्र है। जिस स्त्री को वह अग्नि की साक्षी देकर 'अपनाता' है और यावज्जीवन साथ रखने की 'प्रतिज्ञा' करता है, वाद में उसीको छोड़ कर जङ्गल में जाकर तपस्या करना ही उसका 'पवित्र कर्त्तव्य' और 'धर्म' हो जाता है। अगर हम इन सब बातों पर बारीकी से विचार करे तो हमें पता चलेगा कि इनकी तह में विकृत काम का विकर्षण और प्रतिक्रिया के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसमें विवाह का इतना दोष नहीं, जितना काल और पात्र के चुनाव की अनुपयुक्तता का है।

 प्रश्न उठता है कि विवाह की ठीक वय क्या है? अगर वह जवानी के उष काल में न किया जाय, तो क्या जवानी के ढंग जाने पर किया जाय? और क्या इस प्रकार किया गया विवाह वास्तव में 'विवाह' की आवश्यकता और उद्देश्य की पूर्ति कर सकेगा? नीति और धर्म की तराजू पर इन बातों को नहीं तोला जा सकता। हमें तो इनको अनुभव और उपयोगिता की कसीटी पर कस कर देखना है। ऐसा करने की जरूरत इसलिए भी है कि लोहे की लकीर की तरह विवाह की वय की कोई मर्यादा निश्चित नहीं की जा सकती। हर स्थिति, स्वभाव और स्वास्थ्य वाले आदमी

के लिए इसका विभिन्न होना स्वाभाविक है। हमें तो ध्यान केवल इस बात का रखना है कि विवाह की वय या काल निश्चित करते समय क्या आधार होना चाहिए? इस सम्बन्ध में हम फास के सुप्रसिद्ध समाजवादी लेखक और राजनीतिज्ञ मौ० ल्यूब्लुम के अनुभव का जिक्र करने का लोभ सवरण नहीं कर सकते। मौ० ल्यूब्लुम एक यथार्थवादी है और समाजोपयोगिता के अनुभव के आधार पर ही जीवित रहने का मार्ग निश्चित करने के पक्षपाती है। विवाह की समस्या का आपने कई वर्षों तक बड़ी बारीकी से अध्ययन किया और आपने अनुभवों के निचोड़ को 'Marriage' नाम की एक पुस्तक के रूप में लोगों के लाभार्थ पेश किया है। इस पुस्तक में अधिकाशत वैयक्तिक सम्पर्क के उदाहरण दिये गये हैं और फिर उनके स्वाभाविक परिणाम दिखाये गये हैं। स्थानाभाव के कारण यहाँ हम केवल उन उदाहरणों के निष्कर्ष की ही चर्चा करेंगे। सबसे उल्लेखनीय बात आपने यह बतलाई है कि पुरुष स्वभाव से ही बहु-स्त्री-गामी (Polygamous) है। यौवन के उष काल में वास्तविक अर्थों में—मनसा, वाचा और कर्मणा—उसका एक स्त्री के प्रति सच्चा वफादार होना सम्भव नहीं। हाँ, आपवादों की गुञ्जाइश इसमें ज़रूर है, लेकिन वह भी बहुत कम, क्योंकि आमतौर से पुरुष एक साधारण जीव के ही स्वभाव का है। पुरुष का यह स्वभाव फास में ही हो, यह बात नहीं। कमोबेश रूप में यह बात दुनिया-भर के पुरुषों के सम्बन्ध में सत्य है। सभी देशों और सभी कालों में नर और नारी के सामाजिक सम्बन्ध अधिकतर इसी स्वभाव-प्रेरणा से बनते हैं। वहाँ किसी नवयुवती का घर के बाहर के नौजवान से मिलना अनैतिक या अवाञ्छनीय नहीं समझा जाता। विवाह से पहले वहाँ अधिकाश पुरुषों के कई-कई 'प्रेम-सम्बन्ध' होते और टूट जाते हैं। पर इसका यह मतलब नहीं कि पुरुष का यह स्वभाव आजीवन उसे स्त्रियों का पीछा करने को ही प्रेरित करता है। युवावस्था के प्रारम्भिक काल में, जब उसकी शारीरिक शक्ति चरम सीमा को पहुँची हुई

होती है, वह अपनी वासना को पूरा करने के लिए बुद्धि और धन का अधिकाधिक उपयोग करता है। पर कुछ ही समय बाद उसकी यह भूख कम हो जाती है और शारीरिक शक्ति के अपेक्षाकृत कम हो जाने से स्वभावतया वह शिथिल हो जाता है। पर शारीरिक सम्पर्क की भावना कम ज़रूर हो जाती है, पर एकदम कभी मरती नहीं। इस समय पुरुष के हृदय में एक नई भावना उठती है। यह है शारीरिक सम्पर्क के लिए रस-लोलुप अमर का जीवन छोड़कर किसी एक सच्चे जीवन-साथी के साथ सुख और शान्ति से सात्त्विक जीवन विताने की। यही भावना उसे सच्चा सद्गृहस्थ बनाती है और ऐसा कर वह समाज की एक उपयोगी सुशिक्षित और अनुभवी इकाई के रूप में जीवन व्यतीत करता है। यौवन के इस ज्वार के ढलने में ५, १० या १५ वर्ष भी लग सकते हैं। इतने समय का अनुभव पुरुष को विवाह के असली महत्व और आवश्यकता का कायल कर देता है और वह केवल एक साथी के साथ रहने की आकांक्षा करने लगता है अर्थात् इस अवस्था में वह एक पत्नी-न्रत वाला हो जाता है। फ्रास में पुरुष की यह मनोदशा ३० से ५० वर्ष की अवस्था के बीच में रहती है। मौ० ब्लूम ने इसी अवस्था के बाद का समय विवाह के लिए सर्वोत्तम बतलाया है।

उपर्युक्त उद्घरण को पढ़ कर शायद बहुत से पाठक-पाठिकाएँ लेखक को खब्ती और स्वप्नदृष्टा समझें। उन्हे यह प्राशका हो सकती है कि फ्रास का अनुकरण कर हम दुराचार और अराजकता फैलायेगे, जो हमारे मौरुसी सदाचार की सीमाएँ छिन्न-भिन्न कर देगी। पर क्या हमारा सदाचार यही है कि पर्दे के पीछे भाई का बहन तक से और श्वसुर का पुत्रवधू तक से अनुचित सम्बन्ध हो, अनेक घर दुराचार के अड्डे बने रहे, तीर्थ-स्थानों और मन्दिरों में सधवा और विधवा कुल-वधुओं की असमत का व्यापार होता रहे? जिस उम्र में हमारे यहाँ विवाह होते हैं, वह विवाह के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ विवाह की तैयारी या जमीन तैयार

करने के लिए उपयुक्त है। विवाह का ठीक समय तो यौवन का ज्वार—काम का बोग—ढल जाने के बाद ही है। इस समय वे अधिक गम्भीर समझदार और अनुभवी हो जाते हैं। हमारे यहाँ यह अवस्था ३० और ४० के बीच में समझी जानी चाहिए। बहुतों को विवाह की यह अवस्था व्यावहारिक दृष्टि से शायद ठीक न जान पड़े, क्योंकि एक तो हमारा देश फ्रास की अपेक्षा अधिक गरम है, दूसरे वहाँ की तरह नवयुवकों और नवयुवतियों में स्वतन्त्र प्रेम-सम्बन्ध स्थापित होने की यहाँ कर्तव्य गुञ्जाइश नहीं। ऐसी दशा में ३०-४० वर्ष की अवस्था तक नवयुवकों और नवयुवतियों का “अखण्ड ब्रह्मचारी” रहना सम्भव नहीं। यह कठिनाई वास्तव में इतनी बड़ी है, जिसे आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें सदाचार के थोथे आदर्श और मिथ्या पवित्रता की भावना पर विजय पानी होगी। सेक्स के समुचित ज्ञान और उसके प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण की हमें नितान्त आवश्यकता है। हमारे यहाँ तो सेक्स-ज्ञान और अपने से विरोधी लिङ्ग के व्यक्ति को समझने और उसके साथ रहने का ‘उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य’ विवाह के बाद ही शुरू होता है। इससे पहले उसका ज़िक्र करना भी बेशर्मी और पाप समझा जाता है। हमारी सस्त्रिय में मनुष्य या तो ‘देवता’ है, या फिर एकदम ‘राक्षस’। इसके बीच की कोई स्थिति—जिसमें मनुष्य न देवता हो और न राक्षस, बल्कि एक साधारण कोटि का जीव हो—तो जैसे है ही नहीं। यही कारण है कि विवाह से पहले हमें सदाचार और ब्रह्मचर्य का जामा पहन कर कृत्रिम ‘देवता’ बनकर रहना पड़ता है। इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह होती है कि विवाह के बाद पुरुष निरा पशु या ‘राक्षस’ बन जाता है और नारी उसका नि सहाय वाहन। अपने घर में वह जी खोल कर बलात्कार और बाहर दुराचार करता है। पर इसे बुरा नहीं समझा जाता, क्योंकि इसका करने वाला समाज के वर्तमान विधान के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता।

ऊपर हमने विवाह की वय के बारे में जो-कुछ लिखा है, वह केवल पुरुष को ही ध्यान में रख कर। स्त्री पर वह लागू नहीं हो सकता। इसलिए नहीं कि हम स्त्री और पुरुष में जान-बूझ कर किसी तरह का भेद करना चाहते हैं, बल्कि दोनों का शारीरिक विकास और प्रकृति ही इतनी भिन्न है कि समय के एक ही गज से उन्हें नहीं नापा जा सकता। पुरुष में पाश्विक बल की और नारी में कोमलता एवं सहज-बुद्धि की प्रधानता होती है। इसलिए नारी का जो मानसिक विकास १६-१८ वर्ष की उम्र में हो लेता है, पुरुष का शायद २०-२२ तक भी नहीं हो पाता। इसी प्रकार जरीर की गठन और बनावट में भी नारी पुरुष को काफी पीछे छोड़ जाती है। १६-१८ वर्ष की कई लड़कियाँ अकसर पूरी औरत मालूम देती हैं, जब कि २०-२२ वर्ष का नौजवान लड़का-सा ही लगता है। उनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग का विकास पुरुष से इतना भिन्न होता है कि उन्हें यह भेद और इसका कारण स्वतः स्पष्ट मालूम होने लगता है। हमारे देश का रहन-सहन, जलवायु और कई प्रकार की धार्मिक एवं सामाजिक मर्यादाओं और प्रतिवधों के कारण हमारे यहाँ की लड़कियों का यह एहसास (Consciousness) इतना गहरा होता है कि यदि हम यह कहे कि वे वय से पूर्व ही 'नारी' बन जाती हैं—कुछ तो नारीत्व के एहसास से उनके मन और शरीर पर पड़ने वाले असर के कारण और कुछ बड़ी-बूढ़ियों की शिक्षा और आशीर्वाद के कारण—तो शायद अत्युक्ति न होगी। दुर्भाग्यवश हमारे देश की माताओं का बहुत बड़ा भाग अशिक्षित है। उनका अनुभव पुरानी दक्षियानूसी परिपाठी और दन्त-कथाओं अथवा अपनी पृवर्जों से मिली हुई सीख का इस्तज्ज्ञत रूप ही है, जिसे वे अपनी पारिवारिक विरासत के कारण घुट्टी की तरह लड़कियों के गले उतार देती है। एक और उन्हें यह 'सिर-पैर की गिक्का दी जाती है और दूसरी ओर उनके सामने सीता तथा सावित्री का आदर्श रखा जाता है। भले ही उन्हें किसी भी लम्पट या मूर्ख नर-पशु के गले वाँध दिया जाय, पर

उनके नामने सीता या सावित्री बनने के आदर्श और 'पति-परमेश्वर' की भेदा करने के 'धर्म' के भिन्न और कोई विकल्प नहीं रहता।

मध्य-थ्रेणी के जिन परिवारों में लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजा जाता है, वहाँ अमूमन देखने में आता है कि १२-१४ या इससे अधिक की उम्र होने पर लड़कियों का स्कूल जाना बन्द करवा दिया जाता है। उनके घर से बाहर निकलने, खिड़कियों से झाँकने, शृङ्खार-रस या रोमास यी चीजें पढ़ने, अधिक बनाव-शृङ्खार करने और एकान्त में बैठने-हँसने-रोलने यादि पर प्रतिवन्ध-सा लगा दिया जाता है। लड़की ने इस उम्र तक चाहे चौथी-पाँचवीं कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त की हो, चाहे मिडिल या मैट्रिक पास किया हो, शिक्षा उसकी पूर्ण हुई समझी जाती है, और तब उसके विवाह की फिल होने लगती है। क्या इन माता-पिताओं ने कभी यह सोचने का कष्ट भी किया है कि उनकी लड़की के मन पर—जो पढ़ने की उत्पाट इच्छा रखते हुए भी पटाई से हटा ली गई है और विवाह का गतलब न समझने पर भी जिसके विवाह की बातचीत या सौदे होने जाए है—या बीतती होगी? माना कि माता-पिता के प्रति उसका बादर, आजाकारिता और कहे जाने वाले समाज की मर्यादा उसके मुँह पर ताला लगा देते हैं, पर क्या यह शौल-सकोच तथा लिहाज-मुलाहिजा उने अपनी मारी इच्छाओं और महत्वाकाक्षात्रों का खून कर अपने-आपको मन, बचन और कर्म से उस अपरिचित व्यक्ति को सौंप देने के लिए भी राजी कर लेता है, जिसे उसके सबसे बड़े हितेच्छु समझे जाने वाले मां-बाप ने उसके जीवन-साथी के रूप में चुना है? न मालूम कितने युगों ने इस मरण्या अबोध तरुणी मानवता का विवाह की बेदी पर इस नृत्य दण ने बनिदान होता आया है। आज भी यह अबोध गति से जारी है और पट-नियंत्रण भी उसके विरुद्ध आज तक नारी ने कभी सामूहिक रूप से कोई प्रभावपूर्ण विरोध या आपत्ति नहीं की।

लोन नहीं जानता कि मनी और नावित्री ने अपने विवाह के सम्बन्ध

मेरे अपने पिता के आदेशों की अवहेलना की थी ? आज भी जब-तब हम ऐसी लड़कियों का विवरण पढ़ या सुन लेते हैं। लेकिन यह सत्या कितनी कम है ? करोड़ों लड़कियों मेरे से अगर १०-२० या १००-५० ने यह 'विद्रोह' किया भी, तो इससे क्या ? हम तो यह चाहते हैं कि विवाह का निर्णय शत-प्रतिशत लड़कियाँ (और लड़के भी) स्वयं करें। अगर माता-पिताओं को उन्होंने इस चिन्ता से मुक्त कर दिया, तो शायद वे उनका और अपना जीवन अधिक सुखी और सन्तोषप्रद बना सकें और लड़कियों के मन तथा शरीर पर वह कुप्रभाव न पड़े, जो माता-पिताओं की इस चिन्ता के परिणाम-स्वरूप पड़ता है। इससे होगा यह कि लड़कियाँ होश सँभालते ही विवाह के चक्कर मेरे पड़ने के बजाय प्रकृत रूप से अपना विकास कर सकेंगी और कब तथा किससे विवाह किया जाय, इसका निर्णय भी सोच-विचार कर खुद ही करेंगी। लेकिन इससे लड़कियों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। पहले तो हमारे समाज का सञ्जन ही इतनी दकियानूसी, अस्वास्थ्यकर और दोषपूर्ण है कि भौजूदा वातावरण मेरे लड़के और लड़की के बीच मेरी खड़ी माता-पिता या सगे-सम्बन्धियों की ऊँची-मोटी दीवार का सामूहिक रूप से एकदम ढाया जाना असम्भव-सा लगता है। पर जो लड़के और लड़कियाँ ऐसा करने का साहस कर सके, उनकी जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। उन्हे विवाह की वय और पात्र का चुनाव काफी सोच-समझ कर करना चाहिए, ताकि फिर पछताना न पड़े और अपने विवाह के सुपरिणाम को वे दूसरों के सामने उदाहरण के तौर पर रख सके, जिससे कम साहस वालों को भी प्रेरणा मिले। चूँकि सब लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास एक-सा नहीं होता, इसलिए सब के लिए विवाह की कोई एक वय निश्चित नहीं की जा सकती। यह तो प्रत्येक के लिए पृथक्-पृथक् ही होगी। साधारणतया इसे २० से ३० तक निश्चित किया जा सकता है। ३० से अधिक इसे ३५ तक भी ले जाया जा सकता है, किन्तु २० से कम तो किसी भी दशा

मेरी ठीक नहीं। विवाह के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए शरीर और मन से कोई भी लड़की २० वर्ष से कम वय में शायद अच्छी तरह तैयार नहीं हो पाती। हमारी समझ में तो वे न्यूनतम वय भी २२-२३ वर्ष रखें, तो और अधिक अच्छा हो।

बहुत से पाठक शायद लड़कियों के विवाह की न्यूनतम और अधिकतम वय को अव्यावहारिक या बहुत अधिक कहेंगे। उनके दिमाग में विवाह की जो धारणा है, उसे देखते हुए उनका यह विचार शायद ठीक भी है। हमारे यहाँ विवाह काम-विकार के शमन का एक सस्ता साधन समझा जाता है। विवाह का विचार हमारे दिमाग में पहले-पहल शायद काम-विकार से भी उत्पन्न होता है और उस अवस्था को पहुँचने से पहले ही, जब कि हम उसके उद्देश्य को शायद रोक न सके, हमारे यहाँ विवाह हो चुकते हैं, ताकि लड़के-लड़कियों के 'विगड़ने' की सम्भावना न रहे। पर सच तो यह है कि विवाह को कानून और धर्म के शिक्षण में कस कर हम उसे 'कानूनी-व्यभिचार' से अधिक कुछ नहीं बना सके हैं। यह हमारी युगों की मानसिक गुलामी और अन्ध-विश्वास का परिणाम है। लड़के-लड़कियों के युवावस्था में पाँव रखते ही उन्हें अथवा उनके अभिभावकों को उनकी काम-विकार की शान्ति के साधन जुटाने की फिक्र होने लगती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि चूँकि मनुष्य मैथुनी सृष्टि का ही एक साधारण जीव है, उसमें इस प्रकार के विकार का उत्पन्न होना सर्वथा स्वाभाविक है। पर इसका प्रथम अकुर उत्पन्न होते ही सदा के लिए इसमें ढूँढ़ जाना शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए हानिकर है। माना कि हमारे देश की जलवायु उष्ण है, जिसका हमारे मानसिक-विकारों और शारीरिक विकास के साथ गहरा सम्बन्ध है, पर इससे भी अधिक असर पड़ रहा है हमारे शरीर और मन पर, हमारी परम्परागत धारणाओं, विश्वासों और तथाकथित सास्कृतिक अन्धविश्वास का। मनुष्येतर अन्य जीवों के लिए निद्रा, आहार और मैथुन ही 'धर्म' बन गया है, पर मनुष्य-योनि की

श्रेष्ठता इसीमें है कि वह इन सबको करता हुआ भी इनमें आपादमस्तक लीन नहीं होता और इनसे ऊपर उठ कर मानवता के विकास और उन्नति के लिए कुछ और भी करता है। काम-विकार उसके लिए आनन्द और मनोरजन का सस्ता साधन न बन कर वैसा ही रहा है, जैसा कि भूख, प्यास, निद्रा आदि। काम के वेग में अनियन्त्रित रूप से बह जाने से शरीर और मस्तिष्क को ऐसा घुन लग जाता है, जो हमें दुनिया में कोई महान् कार्य करने के योग्य नहीं रखता। इसीलिए विवाह का युवावस्था के प्रारम्भ में नहीं, बल्कि ढलाव के आस-पास होना चर्चा है, क्योंकि तब तक शरीर और मन दोनों ही कुछ शिथिल और परिपक्व हो चुकते हैं, और हम अपने जीवन का उद्देश्य एवं दिशा निर्धारित कर चुके होते हैं। तब काम का विकार भी कुछ शिथिल हो जाता है, और हमें दुनिया का कुछ अनुभव भी हो जाता है।

इस प्रकार वय निश्चित कर लेने के बाद, जीवन-साथी के शारीरिक विकास और गठन तथा मानसिक-स्थिति का विचार करना आवश्यक है। वैवाहिक जीवन की सफलता या विफलता का यह एक बहुत बड़ा आधार है। यदि कोई स्त्री ३० वर्ष की होने पर भी २० से अधिक की न दीखती हो या उसके शरीर का विकास २० वर्ष की स्त्री से अधिक न हुआ हो, तो उसका २०-२२ साल के उस पुरुष से विवाह करना बुरा नहीं, जो कि भरा-पूरा जवान हो। अर्थात् साथी के चुनाव का शारीरिक पहलू वर्षों की गिनती से नहीं, बल्कि शरीर के विकास से ही मापा जाना चाहिए। आयु की विषमता व्यावहारिक जीवन में आकर खो-सी जाती है, लेकिन शरीर की विषमता अधिक ऊपर उठ आती है। कभी-कभी तो उस विषमता की प्रतिक्रिया वैवाहिक जीवन के सारे सुखों और सन्तोष पर पानी फेर देती है। अनमेल विवाहों से होनेवाले दुष्परिणाम इतने व्यापक और सर्व-विदित हैं कि उनका उदाहरण देने की यहाँ विशेष आवश्यकता नहीं। लेकिन जीवन-साथी के चुनाव में शारीरिक पहलू से भी कही

अधिक महत्वपूर्ण है मानसिक पहलू । अक्सर विवाहों में लड़कियों का सौन्दर्य और गिरावट, और लड़कों का धर और स्वास्थ्य भर देखा जाता है । विवाह के पहले आकर्षण के रूप में इनका महत्व चाहे जितना हो, किन्तु व्यावहारिक जीवन में इनसे भी अधिक जरूरी है विचारों का सम्म्य, उद्देश्य की एकता और मानसिक धरातल की समता । कवि के गले फूहड़, भावुक के गले कर्कशा, स्नेह-वत्सला के गले लम्पट और कुशाग्र-वुद्धि स्त्री के गले मूढ़ पुरुष का मढ़ा जाना कितना दुखद, दु सह और दुराग्रहपूर्ण है, यह कोई भुक्तभोगी ही बता सकता है । विचार न मिलने के कारण कलह, आत्म-हत्या, अनाचार और नाना प्रकार की दुर्घटनाओं की बात हम जब-तब सुनते हैं । पर क्या कभी एक क्षण का भी हमने यह विचार किया है कि इस प्रकार के विवाह मानवता का कितना बड़ा अहित कर रहे हैं ?

पात्र के चुनाव में सबसे अधिक खतरनाक और फिसली जर्मीन है, शारीरिक आकर्षण या वाह्य-सौन्दर्य जो हमारी विवेक-वुद्धि पर अज्ञान एवं जननून का पर्दा डाल देता है और जिसके दलदल में फैसं कर हम अपने जीवन-साथी को चुनने की आवश्यक बातों को उस बक्त नज़र-अन्दाज़ कर जाते हैं । यही नहीं, उस बक्त तो हमारा दिमाग कुछ ऐसा खो-सा जाता है कि हम अपने को आकर्षित करनेवाले को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने और बड़ा-से-बड़ा पार्थिव त्याग करने को भी उद्यत हो जाते हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि सौन्दर्य एक ऐसा मद है, जिससे कोई भी नेत्रवान प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । जीवन-साथी के चुनाव में वाह्य-सौन्दर्य को आवश्यक महत्व ही दिया जाना चाहिए, अत्यावश्यक या अनावश्यक नहीं । इसे अधिक महत्व देने का परिणाम कभी-कभी बड़ा धातक और निराशाजनक होता है । जहाँ केवल वाह्य-सौन्दर्य पर रोझ कर विवाह-सम्बन्ध किया जाता है, वहाँ उसके घटते या नष्ट होते ही शारीरिक आकर्षण का स्थान घृणा

और विकर्षण ले लेते हैं, और वैवाहिक जीवन के स्वप्नों का प्रासाद ताश के महल की तरह उसके एक ही झोके में ढह पड़ता है। सौन्दर्य का जीवन-सहचर के चुनाव में अपना एक खास स्थान और महत्व है, जिसकी सामान्यतया उपेक्षा करना अपेक्षित नहीं। किन्तु उसे एकमात्र सौन्दर्य की कस्टी पर कसना भी तो ठीक नहीं। 'सौन्दर्य एक आवश्यक और आकर्षक गुण अथवा विशेषता होने पर भी सब कुछ नहीं है। वैवाहिक जीवन के घेरे को बाह्य-सौन्दर्य भले ही प्रकाशमान कर दे, किन्तु जीवन के विशाल प्राङ्गण को, विश्व की सुंदर प्राचीरों से घिरे हुए जीवन-सग्राम के क्षेत्र को केवल शारीरिक सौन्दर्य ही प्रकाशमान नहीं कर सकता। यह काम आत्मा का सौन्दर्य ही कर सकता है, जिसका चमड़े की सुन्दर खलीती में होना न आवश्यक है और न अनिवार्य ही। केवल 'आँखे सेकने' वाले भ्रमर-वृत्ति के लोग सदा जीवन के सच्चे सुख और सौन्दर्य के शब पर ही खड़े-खड़े किसी दिन काल-कवलित हो जाते हैं। फिर सौन्दर्य किसी एक की वपूती तो है नहीं कि जिसे हम पसन्द करे, सदा उसीके पल्ले बैंधा रहे। आज जिस सौन्दर्य से हम आकृष्ट होते हैं, कल उससे उच्चतर सौन्दर्य से क्या हम आकृष्ट न होगे? और परसो उससे भी उच्चतम से? इस तरह का मनचलापन हमें सन्मार्ग पर कभी नहीं चलने दे सकता। भौंवरों की तरह फूल-फूल का रस लेते फिरने की लम्पटता किसी भी व्यक्ति, देश और समाज को सच्चा सुख, शान्ति और सन्तोष नहीं दे सकती। ।

शरीर और मन के सम्यक् विकास के अलावा गृह-कार्यों की दक्षता और जीवन में आवश्यक व्यावहारिकता का होना भी कम जरूरी नहीं है। पर यह एक ऐसी मोटी बात है, जिसको साधारणतया सभी लोग समझते हैं। वैवाहिक जीवन में शायद इन सबसे आवश्यक बात है दो साथियों का एक-दूसरे को—उसके विकारो, कमजोरियो, गुणो, प्रवृत्तियो, रुचि, खूबियो और खामियो को ठीक-ठीक समझना। शारीरिक विकास

के साथ जिस प्रकार सौन्दर्य का आवश्यक सम्बन्ध है, उसी प्रकार मानसिक विकास, शिक्षा और गृह-कार्यों की दक्षता के साथ एक-दूसरे को भली भाँति समझने का भी बड़ा गहरा सम्बन्ध है। दो साधियों में सौन्दर्य, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, शिक्षा, कार्य-दक्षता और इतर गुणों के होने पर भी यदि एक-दूसरे को ठीक-ठीक समझने की विवेक-वुद्धि नहीं है, तो वे विवाह के सम्बन्ध में आंखद्वंद्व होकर भी उसके वास्तविक सुख और शान्ति से बचित ही रहेंगे। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि वैवाहिक जीवन का मुख्य आधार ही यही है। सौन्दर्य, शिक्षा, सम्पत्ति या कार्य-दक्षता की कमी से थोड़ी-बहुत ग्रसुविधा या परेशानी होने पर भी काम चल ही सकता है, लेकिन पारस्परिक समझ की इस कमी से वैवाहिक जीवन भार-रूप हो जाता है। वैवाहिक जीवन अनेक आन्तियों, गलतफहमियों, तलाकों, असामयिक मौतों, आत्म-हत्याओं, घड़्यन्त्रों, दुराचारों ग्रादि का मूल कारण अधिकाश में इसकी कमी ही है। यह कमी केवल अशिक्षितों या अद्वेश-शिक्षितों में ही हो, ऐसी वात नहीं है। शिक्षित भी इसके कम शिकार नहीं हैं—बल्कि अशिक्षितों की अपेक्षा वे ही इसके ज्यादा शिकार हैं। इसका सम्बन्ध बहुत कुछ आदमी के मनोवैज्ञानिक विकास एवं मनोवृत्ति से है। अक्सर देखा गया है कि छोटी-छोटी और मामूली-सी वातों पर पति-पत्नी में अन-वन हो जाती है, और कभी-कभी तो इन्हीं का परिणाम विवाह-विच्छेद तक हो जाता है। यूरोप में तो कई बार सिनेमा, सैर, घड़ी, कृत्ता, नीकर और पत्नी के कपड़ों की सिलाई तक पर विवाह-विच्छेद हो जाता है। अक्सर पति-पत्नी की गलतफहमियों का कारण एक-दूसरे की प्रकृति और आदतों से ठीक-ठीक परिचित न होना और अविश्वास या सन्देह-वृत्ति भी होते हैं। शक्की तवियत के स्त्री-पुरुष कभी-कभी एक-दूसरे पर निराधार शक करके भी अपना जीवन कष्टमय बना लेते हैं।

 जीवन-साथी चुनते समय रक्त और परिवार से सम्बन्ध रखनेवाली

वातो पर भी पूरा-पूरा ध्यान दिया जाना ज़रूरी है; जिन्हे आजकल के, नई रोशनी के लोग विशेष महत्व नहीं देते। इससे हमारा तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि उच्च जाति या वश वाले उच्च जाति या वश में ही विवाह करे और निम्न जाति या वश के निम्न जाति और वश में ही। वश की यह उच्चता या निम्नता तो स्वार्थी और शोषक-बुद्धि मानव की कुप्रवृत्ति का ही एक दुष्परिणाम है। वश से हमारा तात्पर्य रक्त-सम्बन्ध से है। समान जलवायु, सभ्यता एव सस्कृति में पले हुए व्यक्तियों में विवाह-सम्बन्ध अधिक उपयुक्त है। पर समान रक्त के व्यक्तियों में इस सम्बन्ध का होना हानिकर है। अक्सर स सम्बन्ध में लोग मुसलमानों का उदाहरण दिया करते हैं, जिनमें कि चचेरे भाई-बहन में विवाह जायज माना है। प्रोफेसर रगल्स गेट्स ने इस प्रकार के विवाहों को आपत्तिजनक नहीं बताया है। यूगेनिक-सोसाइटी आज भी इन्हे सही मानती है। रोम की प्रसिद्ध सौन्दर्य-सभ्राजी क्लियोपेट्रा ने अपने एक और बाद में दूसरे चचेरे भाई से विवाह किया था। डॉ० पॉल पोपेनू (कैलीफोर्निया) ने मिस्र के १८वें राजवंश के स्थापक अहमज प्रथम का उदाहरण दिया है, जिसने अपनी बहन से विवाह किया था। इसके बाद इसकी ६-७ पुश्तों में भाई-बहन ही विवाह करते रहे, किन्तु उनमें और उनकी सन्तानियों में कोई खास खराबी नहीं देख पड़ी। पर दूसरी ओर डॉ० हाल्डेन ने इसका बड़ी ठोस दलीलों से खण्डन किया है। आप का कहना है कि एक ही रक्त के स्त्री-पुरुष में विवाह-सम्बन्ध होने से न सिर्फ पूर्वजों के रोग ही उन्हे विरासत में मिलते हैं, बल्कि नये-नये रोग भी पैदा हो जाते हैं और उनके तथा उनकी सन्तानियों के मानसिक और शारीरिक विकास पर धातक असर पड़ता है। हिटलर की मानसिक विकृति और असाधारणता का बहुत बड़ा कारण यही है। डॉ० एडकिन्सन ने समान रक्त के व्यक्तियों की ४०० सन्तानों की जांच का यह परिणाम निकाला है कि उनमें अपने माता-पिता की जारीरिक और मानसिक विकृतियाँ न्यूनाधिक रूप में

मौजूद है। दमा, कालाज्वर, तपेदिक, बवासीर, रक्त-विकार, मिर्गी आदि रोग अधिकाश व्यक्ति अपने पूर्वजों से ही लेते हैं।

जीवन-साथी के चुनाव में परिवार का विचार भी आवश्यक है। हम लोग वचपन से जिस वातावरण और स्थिति में रहते हैं, उसका हमारी रहन-सहन और आदतों पर गहरा असर पड़ता है। विवाह के बाद यदि हम अपनी और अपने साथी की आदतों और रहन-सहन के तौर-तरीकों में विशेष व्यवधान या विपर्यय पाते हैं, तो जरा अटपटा-सा और कभी-कभी नागवार भी गुजरने लगता है। पारिवारिक अनुकूलता जीवन-साहचर्य के लिए जरूरी है। घर और उसके बाहर का जीवन हमारे जीवन-व्यवहार पर काफी असर डालता है। वचपन से २०-३० वर्ष की उम्र तक जिस वातावरण और सङ्गति में हम पलते, बढ़े होते और जीवन का व्यावहारिक पाठ पढ़ते हैं, उससे एकदम विपरीत या भिन्न वातावरण में अपने-आपको जमा लेना जरा कष्टसाध्य और मानसिक क्लेश का भी कारण हो जाता है। इसलिए विवाह से पूर्व इस सम्बन्ध में भी काफी खोज-नीन कर लेना जरूरी है।

‘वया हम ज़हर खा लें ?’

भारतीय महिला-सहायक-दल की सदस्याओं के साथ जो कुछ हुआ, उसकी गुरुता एवं गभीरता को कम न मानते हुए भी कहना पड़ेगा कि परिस्थिति-विशेष में ऐसे स्खलन असभव नहीं। उन्हे हम किसी हृदय तक मजबूरन हुए अपवाद भी कह सकते हैं। पर गत वर्ष के उत्तरार्द्ध में देश के विभिन्न भागों में हुए साप्रदायिक उपद्रवों के दौरान में नारियों के साथ जो कुछ हुआ है, वह तो शायद सभ्य-सभ्यार के इतिहास में असम्भवा और पाश्चायिकता का एक नया अध्याय है। गत अगस्त में कलकत्ते में हुए नर-सहार और उसके बाद पूर्वी बगाल के नोआखाली तथा त्रिपुरा जिलों में हुए उपद्रवों में लड़कियों और स्त्रियों को खास तौर पर मनमानी ज्यादतियों का निशाना बनाया गया। कलकत्ते के उपद्रव में नारियों को नगाकरके मारने-पीटने, बेइज्जत करने तथा उनके स्तन, नाक और अविशेष के काटे जाने के सवाद ‘प्रत्यह’, ‘अमृत बाजार पत्रिका’, ‘लीडर’ आदि में छपे हैं। वहूत-सी विवाहित और अविवाहित स्त्रियों को गुण्डे जबरन घसीट ले गए, जिनका अभी तक भी कोई पता नहीं लग सका है। पूर्वी बगाल में तो गुण्डे जान से मारने की अपेक्षा लड़कियों और स्त्रियों को न सिर्फ भगा ही ले गए, न सिर्फ उनके साथ बलात्कार ही किया, बल्कि धर्म-परिवर्तन कराकर उनके साथ जबरदस्ती ‘विवाह’ (?) भी कर लिए। कितनों के साथ ऐसा हुआ और कितनी अभागिने अभी भी इस तरह का ‘वैवाहिक जीवन’ विता रही हैं, इसका केवल अनुमान-भर लगाया जा सकता है।

यह सब कैसे हुआ, यहाँ इसका थोड़ा-सा उल्लेख कर देना शायद अप्रासादिक न होगा। पूर्वी बगाल में हुए गुण्डेपन के जो विवरण कलकत्ते

के पत्रों में निकले हैं और जो प्रेस-आँडिनेस के कारण छप नहीं सके हैं, उन सब का साराश भी यहाँ दे सकना सभव नहीं। यहाँ हम केवल कुछ चश्मदीद वक्तव्यों के उद्धरण ही देंगे। गांधी जी की लन्दन की मेजबान कुमारी म्यूरियल लीस्टर ने नोआखाली का दीरा करने के बाद दिए गए अपने वक्तव्य में कहा है—“हर शरणार्थी अपना एक-न-एक दुखद अनुभव सुनाता है। पर सबसे जघन्य थी नारियों की दुर्दशा। कइयों की आँखों के सामने उनके पतियों को मारा गया और जोर-जवरदस्ती धर्म-परिवर्तन कर किसी हत्यारे से विवाह करना पड़ा। इनकी आँखों में मृत्यु की-सी शून्यता थी—निराशा भी नहीं, एकदम शून्यता। वे इस तरह सामने देख रही थीं, मानो उनकी दृष्टि में कोई चेतना या भावना ही न हो। उन्होंने अपने आदमियों को बचाने की चेष्टा की, पर बेकार। जिन मुसलमान धरों में ये ग्रीरते वधुएं बना कर ले जाई गई हैं, गाँव में महायता-कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए वहाँ से उन्हें छुड़ा लाना मुश्किल हो रहा है। उन्हें चेतावनी दे दी गई है कि यदि वे अफतरों से यह नहीं कहेगी कि वे पहले की अपेक्षा अपने नए धरों में ही रहना चाहती हैं, तो उनके सम्बन्धे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जायगा। सहस्रों को अपने प्राणों की कीमत स्वरूप जवरदस्ती गो-मास खाना पठा और इस्लाम-धर्म स्वीकार करना पड़ा है।”

आचार्य कृपलानी ने भी अपने वक्तव्य में कहा है—“कइयों के जवरदस्ती विवाह हुए हैं। ग्रभी ऐसे विवाहों की मख्या निर्धारित करना सभव नहीं। नारी-अपहरण के मामले भी हुए हैं, पर समयाभाव के कारण मैं उनकी सत्या निर्धारित नहीं कर सका। इसी प्रकार बलात्कार के मामलों की सत्या भी निर्धारित नहीं की जा सकी।”^१ श्रीमती सुचेता

^१ त्रिपुरा और नोआखाली जिलों में हुए अपराधों की पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए बंगाल-सरकार ने दो भारतीय सिविल-सर्विस के

कृपलानी से, जिन्होंने पूर्वी बगाल की पीड़ित बहनों की सेवा-सहायता के लिए बहुत-कुछ किया, कई स्त्रियों ने अपने साथ हुए अत्याचारों का हृदयद्रावक वर्णन किया। उन्होंने बतलाया कि उनके सुहाग के चिह्न-स्वरूप पहनी हुई शख की चूड़ियाँ फोड़ डाली गई और उनकी मांगों से सिन्दूर पोछ डाला गया। कई जगह तो उन्हें जमीन पर गिरा कर गुण्डों ने अपने पाँव के अँगूठे से उनकी माँग का सिन्दूर मिटा डाला। गत २४ अक्टूबर को जब वे चाँदपुर पहुँचीं, तो अनेक अभागिनीं ने उन्हें अपनी घायल कलाइयाँ और सिर दिखाएं, जिनसे क्रमशः उनके सुहाग-चिह्न—शख की चूड़ियाँ और सिन्दूर—नष्ट कर दिए गए थे। ज़ेवर आदि के लिए बड़े भढ़े ढग से उनकी जामा-तलाजी ली गई और बहुत-सीं लड़कियों तथा युवतियों को गुण्डे अपने साथ भी ले गए। इनमें से कुछ वापस आ गईं और कुछ अभी भी गायब हैं। लोगों ने बताया कि इस तरह उडाईं हुई स्त्रियाँ वहाँ के दो मौतविर लोगों के घर ले जाईं गईं।

आचार्य कृपलानी जब श्रीमती कृपलानी के साथ नोआखाली के पीड़ित क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे, तो श्रीमती कृपलानी ने ऐसे जबरदस्ती किए गए विवाहों की ओर नोआखाली के अगरेज जिला-मजिस्ट्रेट मिं० मैकर्नी का ध्यान खीचा। उन्होंने कहा कि ऐसे विवाह हिन्दू-औरतों ने स्वेच्छापूर्वक किए हैं। इस पर एक विशिष्ट लड़की का मामला उन्हें

सदस्यों (एक अंगरेज और दूसरा हिन्दुस्तानी) को नियुक्त किया था। अंगरेज सिविलियन ने त्रिपुरा-ज़िले की रिपोर्ट के दौरान में कहा है कि अकेले चाँदपुर सर-डिवीज़न में ३०० और दूसरे में ४०० स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया। ये सब अल्पसंख्यक जाति की थीं और इनकी उम्र १० से ५० वर्ष तक थी। हिन्दुस्तानी सिविलियन को गुण्डों ने जाँच ही नहीं करने दी और तीन बार उस पर आक्रमण किया। (देखिए 'अमृत बाजार पत्रिका', ८ नवम्बर का अग्रलेख।)

वताया गया । वहाँ पहुँच कर उन्होंने एक नव-विवाहिता लड़की से पूछा, नो पहले तो उसने स्वेच्छापूर्वक विवाह करने की वात कही । पर जब लड़की को कहा गया कि सारी वात सच-सच कहे, उसके परिवार का कोई कुछ न विगाड़ सकेगा, तब लड़की ने कहा कि उससे जवरदस्ती विवाह किया गया है । इस पर जिला-मजिस्ट्रेट ने उसका उद्धार किया । (‘हिन्दुस्थान स्टैण्डर्ड’, ३० अक्टूबर)

ये काण्ड एक-दो दिन हुए हो, ऐसी वात नहीं । पुलिस और फौज के पहुँच जाने पर भी ये जारी रहे । गत १३ नवंबर के अपने वक्तव्य में अखिल-भारतीय महिला-सम्मेलन की प्रमुख कार्यकर्ता श्रीमती रेणुका राय ने कहा है—“जिन क्षेत्रों में फौज पहुँच गई है और उसकी गश्त लगती है, पर जहाँ अभी तक उसका कोई कैम्प नहीं है, उसकी गश्त हटते ही लड़कियाँ गायब हो जाती हैं । कई बार तो इस तरह गायब हुई लड़कियाँ कुछ दिन बाद फौजी गश्तियों के आते ही फिर लौट आती हैं । बहुत बड़ी सख्ती में स्त्रियों के ग्रपहरण और उनके साथ बलात्कार किए जाने के मामले शरणार्थी-कैम्पों में पहुँचे हैं । प्राप्त सबूत से जाहिर है कि इनमें से अधिकांश स्त्रियाँ निम्न और तफसीली जातियों की ही हैं, यद्यपि ब्राह्मण और अन्य सम्भ्रान्त परिवारों की लड़कियों के साथ भी ऐसा ही किया गया है । ये लड़कियाँ और स्त्रियाँ ११-१२ से लेकर ५० वर्ष तक की हैं ।”

गत ११ नवम्बर को गांधीजी के दत्तपाणा पहुँचने पर ग्रासपास के घरों से ३०० स्त्रियाँ एकत्र हो गईं, जो बराबर रो रही थीं । उन्होंने गांधीजी को बताया कि गुण्डों ने उनकी माँगों का सिन्दूर और शाख की चूड़ियाँ नष्ट कर उन्हे जवरन विधर्मी बना लिया । उनका रोना देख कर गांधीजी के साथ जो लोग थे, उनमें से कइयों की आँखों में आँसू आ गए । गत २७ अक्टूबर के ‘हरिजन सेवक’ में इसकी चर्चा करते हुए गांधीजी का यह वक्तव्य उद्धृत किया गया है—“ उन औरतों का बया,

जिन्हे भगा कर जवरन् मुसलमान बनाया जा रहा है ? किसी के बनाने से न कोई मुसलमान बनता है, न हिन्दू, न ईसाई । लेकिन हिन्दुस्तानी औरते अपने-प्राप को इतनी बेबस क्यों समझे ? क्या वहादुरी मर्दों का ही इजारा है ? औरतों के हाथ में आम तौर पर तलवार नहीं रहती । भाँसी की रानी के हाथ में तलवार थी, और तलवार के जौहर में वह अपने जमाने के सब लोगों से आगे बढ़ गई थी । लेकिन सभी औरते भाँसी की रानी नहीं बन सकती । फिर भी उन्हे भगा कर ले जाने वालों को वे यह जरूर कह सकती है कि न तुम हमे मुसलमान बना सकते हो, न अपने घरों में डाल सकते हो । मरने का इल्म तो सब जानते हैं । सीता एक दुबली-पतली और निरपराध स्त्री थी, लेकिन महाबली रावण भी उसका कुछ नहीं विगड़ सका । सीता की मिसाल को हम किस्से-कहानी की बात कह कर उड़ा न दे । मैंने मिस ओलिव डॉक को देखा है । वह अकेली जगली हृष्णियों के बीच गृहती थी । किसी ने उनकी तरफ आँख तक उठाने की हिम्मत नहीं की । मैं हिन्दुस्तान की ओरतों में ऐसी ही सात्त्विक हिम्मत देखना चाहता हूँ । आज पूरबी बगाल में फौज औरतों को बचाने की कोशिश कर रही है । लेकिन जिन्हे भगा लिया गया है, या जो फौज या पुलिस की हिफाजत के बावजूद भी भगाई जा सकती है, उनका क्या ? उन्हे अपनी हिफाजत खद करनी होगी । उसका एक ही अचूक रास्ता है—मरने की कला सीखना । जिसे मरना ही है, वह अपनी जीभ काट कर या सॉस रोक कर भी मर सकता है ।” गाधीजी की इस बात को सुन कर डॉ० सुशीला नय्यर ने उनसे कहा कि जीभ काट कर या सॉस रोक कर मरना मुमकिन नहीं । दूसरे दिन सुबह गाधीजी से मिलते वक्त डॉ० विधानचन्द्र राय ने डॉ० सुशीला नय्यर की बात की ताईद की । डॉक्टरी मत से तत्काल प्राण-न्याग के लिए तेज जहर ही एक इलाज हो सकता है । दूसरे दिन शाम की प्रार्थना-सभा में इसका जिक्र करते हुये गाधीजी ने कहा—“अगर मरने का सीधा रास्ता जहर

ही हो, तो मे कहूँगा कि बेडज्जती करने की बनिस्वत जहर खाकर मर जाना बेहतर है । मगर मे योग जानने वालो से इस बारे मे दरयापत्त करूँगा । मेरा खयाल है कि जहर के सिवा भी मरने का रास्ता होना चाहिये । हमने अपनी लड़कियों को बेबसी की तालीम दी है । हमने उन्हें सिखाया है कि उनकी हिफाजत अपने पति के साथ या चित्ता पर ही हो सकती है ।”

इसी सिलसिले मे गत ३ नवम्बर के ‘हरिजन सेवक’ मे गांधीजी की यह सलाह छपी है—“हमारी औरते हुल्लड से बहुत जल्द डर जाती है । करीब-करीब सारी दुनिया मे औरतों का यही हाल है । मैं चाहता हूँ कि हमारी औरते ब्रह्मादुर बने । मैंने वहनों से कहा है कि वे चाहे तो खजर रख सकती हैं । अगर उससे भी वे अपनी इज्जत न बचा सकें, तो जहर खा कर मर जायें । कोई कैसा ही मर्द या औरत क्यों न हो, १०० या ५० जनों का सामना एक खजर से नहीं कर सकता । मगर जब हमारी बहने इतनी ब्रह्मादुर बन जायेंगी कि जान तक देने को तैयार हो जायें, तब वे किसी से नहीं डरेंगी । उनकी रक्षा या हिफाजत भगवान् करेगा । अपनी रक्षा के दो रास्ते हैं—मारना और मरना, या बिना मारे मर जाना । मैं आप को दूसरा रास्ता बता सकता हूँ, पहला नहीं । आप जो चाहे, करे, लेकिन डरपोक न बने । डरपोकपन से बड़ा कोई पाप नहीं ।”

गांधीजी की सलाह का जिक्र करते हुए गत १५ दिसम्बर के ‘हरिजन-सेवक’ मे श्री किशोरलाल मशरू वाला ने लिखा है—“जिस औरत मे अपनी हिफाजत करने की ताकत और तालीम नहीं है, लेकिन जिसे अपनी पवित्रता की बहुत ज्यादा फिकर है, और जिसके दिल मे जुल्म की दहनत पैदा हो गई है, उस औरत को आज, अभी क्या सलाह दी जाय ? क्या उसे यह कहा जाय कि अगर तुम्हारी इच्छा के खिलाफ तुम पर जवरदस्ती की जाय, तो तुम उससे दुखी न होना, वल्कि उसे चुपचाप सह लेना ? इसमे शक नहीं कि सतीत्व अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए अपनी जान

देने की जरूरत नहीं ? नहीं, उससे तो यही कहा जा सकता है कि अगर तुम मौत का डर छोड़ दोगी, तो तुम्हे उपाय सूझेगे । जब तक तुम्हे अपने ग्रास-पास की हवा में जुल्मों और ज्यादतियों के होने का अदेशा मालूम हो, तब तक तुम खुदकुशी का भी कोई-न-कोई साधन अपने पास रख कर धूमों । अपने शील की रक्षा और मौत का डर, ये दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते । इसलिए जिसे अपना शील या अपनी इज्जत बचानी हो, उसे मौत का डर पहले छोड़ना चाहिये । यह कोई कमज़ोरी की सीख नहीं, बल्कि कमज़ोर के लिये भी जो एक इलाज मुमकिन है, वही सुझाया गया है । इसका यह मतलब नहीं कि जो औरत अपनी इज्जत के लिये लड़ लेती है, या लड़ते-लड़ते मर जाती है, उसकी वनिस्वत खुदकुशी करने वाली औरत ज्यादा अच्छी है । बल्कि इसमें उस औरत की कदर जरूर की गई है, जो अपने शील को जान से ज्यादा प्यारा समझती है । और यह ठीक ही है ।”

ऊपर के उद्घरणों से दो बातें स्पष्ट हैं पहली तो यह कि पूर्वी बगाल में दुर्बल और नि सहाय नारी को जिन ग्रधम, जघन्य और पैशाचिक अत्याचारों का शिकार बनाया गया, वह हमारे नैतिक पतन के नग्नतम रूप का परिचायक है । कुछ विगिष्ट अपवादों को छोड़ कर ससार के किसी भी सभ्य कहे जाने वाले देश में ऐसा गर्हित और अमानुषिक वर्ताव स्त्रियों के साथ शायद ही कही हुआ या होता हो । यह कहना असत्य और कपट होगा कि इस तरह के काण्ड केवल उपद्रव के उत्तेजित वातावरण में हुए, सामान्यतया ऐसा नहीं होता । उपद्रवों के रूप में एक सामाजिक तूफान आया, जिसने समाज के गलित और सड़े अगों पर पड़े पर्दे को एक झटके के साथ उतार फेका और उसके असली रूप को सर्व-साधारण के सामने उधाड़ कर रख दिया । नारी के प्रति इस देश के औसत आदमियों का जो यथार्थ दृष्टिकोण है, उसका जो प्रकट तथा अप्रकट आचरण है, उसकी जो दमित इच्छाएँ व लालसाएँ हैं, उपद्रवों के वातावरण ने उसे

जी-भर खुल खेलने का मौका दिया । ऐसी जहनियत केवल तथाकथित गुणों की ही नहीं, पढ़े-लिखों की भी है, जिनका परोक्ष हाथ इन काण्डों के पीछे था । आये दिन हम देखते और सुनते हैं कि अमुक जवान स्त्री के साथ ऐसा हुआ, अमुक के साथ वैसा । पुरुष मानो भूखे भेड़िये की तरह नारी-देह को हथियाने के लिए सब-कुछ भूल कर उस पर टूट पड़ता है । स्कूल-कालेजों की लड़कियों, नर्सों, डॉक्टरनियों, टेलीफोन-आँपरेटरों, अध्यापिकाओं आदि को भगाने और बिगाड़ने के लिए आए दिन जैसे षड्यत्र होते हैं, उन्हे क्या कहा जाय ? धन, प्रभुता और पशु-बल के जोर से पुरुष मानो किसी भी सुन्दर स्त्री को सती-साध्वी का जीवन न विताने देने पर तुला हुआ है । शान्ति-काल में वह पैमे, दबाव और पड़्यन्त्रों से अपनी इस पैशाचिकता को सन्तुष्ट करने के यत्न करता है और भीड़ तथा अशान्ति के समय युद्ध, अग्निकाण्ड, शादी-गमी, मेलो, सभा-सम्मेलनों, मन्दिरों आदि की भीड़ तथा बाढ़ के समय—यह अवाध रूप से फट पड़ती है । पाठकों को शायद विश्वास न हो, पर हमने अपनी आँखों से उन विवश स्त्रियों को भी देखा है, जिन्हे सहायता-केन्द्रों तक से अपनी असमत बचाने के लिए भाग निकलना पड़ा है । अस्पतालों में बीमार स्त्रियों तथा रेल, ट्राम, वस आदि में सफर करने वाली अकेली स्त्रियों की छेड़-छाड़ तो जैसे पुरुषों का रोज का विना पैसों का तमाशा बन गया है । पुरुष की इस बीमारी का इलाज भी नारी को ही करना है ।

दूसरी बात जो ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट है, वह यह है कि भारतीय नारी आज कितनी परवश और दुर्बल है । जहाँ इस देश का पुरुष पतन की आंखिरी सीढ़ी से भी नीचे खिसकता नजर आ रहा है, वहाँ नारी अपनी पवित्र दुर्बलता के बोझ से ही मरी जा रही है । उसके सामने आज दो ही मार्ग हैं या तो पतित और पशु बने पुरुष को अपना तन और मन अर्पित कर दे या जहर खा कर अपनी इह-लीला समाप्त कर दे । इसमें नारी का दोप ही क्या ? बकौल गाधीजी के हमने उसे बेवसी की

कुछ चुनी पुस्तके

ऐतिहासिक उपन्यास

सिंह सेनापति

◆ राहुल सांकृत्यायन ◆ मूल्य :

भगवान् बुद्ध के समय वैशाली का बज्जी जनतत्र कितना ऐश्वर्यवान् था, कितना आदर्श था, यह इसी एक बात से प्रगट है कि इस बज्जी राष्ट्र के शासनतत्र के अनुसार बुद्ध ने अपने धर्मचक्र की रूपरेखा बाँधी थी। सघ का शासनतत्र बज्जी शासनतत्र ही था। उसी गौरव प्राण जनतं के प्रसिद्ध सेनापति सिंह की आत्मकथा। साथ मे अतीत भारत के अनेक एकत्र और गणराज्यों के गौरवचित्र। गाधार से लेकर बज्जी भूमि तक सारा उत्तर भारत इस ऐतिहासिक उपन्यास की पृष्ठ-भूमि है। साहै राहुल की औपन्यासिक कला।

जय यौधेय

◆ राहुल सांकृत्यायन ◆ मूल्य ४

'बोला से गगा तक' प्रसिद्ध सास्कृतिक कहानी सग्रह की एक महत्व पूर्ण कहानी 'सुपर्ण यौधेय' के आधार पर राहुल का दूसरा ऐतिहासिक उपन्यास। आज के जुझती तब यौधेय थे। इन जुझातियों के पूर्वज ने किस प्रकार गणतत्र के गौरव के लिए चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे प्रताप चक्रवर्ती से लोहा लिया, कैसे वे असफल होकर भी इतिहास मे अमर हु गये। प्राचीन भारत की गौरवगाथा। राहुल का दूसरा प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथा-चित्र।

अस्वपाली

◆ रामरत्न भटनागर ◆ मूल्य १।।।

बौद्ध साहित्य की प्रसिद्ध भिक्षुणी वैशाली की परमसुन्दरी 'आओ पालिका' की जीवन-कथा के आधार पर लिखा ऐतिहासिक उपन्यास तब बुद्ध जीवित थे और उनके महायन से कपिलवस्तु, राजगृह, सारनाथ, और बज्जी देश गूँज रहे थे 'बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि सघ शरण गच्छामि'। २५०० वर्ष पहले के महान् धर्म-परिवर्तन के सास्कृतिक चित्र। प्राचीन भारत की एक अमर कहानी को इतिहास और कथा के रस के साथ यहाँ पढ़िये।

